खण्ड-348, अंक-7
गुरूवार, 16 माघ, शक संवत् 1902
(5 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	947–951
प्रश्नोत्तर	953–997
ग्राम टण्डा, जिला मेरठ के किसानों की फसल हरियाणा प्रान्त के किसानों द्वारा जबरदस्ती काट लेने के सम्बन्ध के नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	997
बुलन्दशहर जिले में डकैतों द्वारा नलकूपों की विद्युत् मोटरों तथा अन्य विद्युत् सामान की डकैती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	998
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	998–999
तराई जिले के मजदूर नेता श्री जसवीर सिंह व कामरेड करन सिंह व चौधरी हरस्वरूप की नादेही शुगर फैक्ट्री के मैनेजर द्वारा हत्या कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	999
इलाहाबाद की तहसील सोरांव व फूलपुर के कतिपय गांवों में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	999–1000
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1000–1002
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन के उपरान्त पुनः सभा मण्डप में आने से रोकने तथा महिला सदस्यों को सदन से बाहर निकले जाने के लिए महिला पुलिस बुलाए जाने के सम्बन्ध में उठाए गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1002–1013
सदन में मुख्य मन्त्री द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य बिना कार्य सूची में शामिल किये, देने के सम्बन्ध में आपत्ति	1013–1014
राज्याधीन श्रेणी 3 वा 4 सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की पूर्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य	1014
उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर सीमेन्ट देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य	1014–1015
आज सदन में सहकारिता मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को वितरित न किये जाने पर आपत्ति ..	1015–1018

विषय			पृष्ठ संख्या
दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	..	.. 1018–1019
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें		..	.. 1019–1022
1981–82 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)			.. 1022–1062
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं		..	.. 1062
ग्राम परसुरामपुर, जिला बस्ती में कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की साजिश से भू0 पू0 विधान सभा सदस्य, श्री सुखपाल पाण्डेय की जान से मारने की कोशिश तथा उनके शंडो को कमरे में बन्द होने के लिए मजबूर करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	.	.. 1062–1068
समितियां	..	..	.. 1069–1075

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 5 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष,

श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---351

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ललू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)

गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोबरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)

बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहरअली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)

राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (हारनपुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
बिजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौढ़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बख्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)

सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नो) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंहश्री, (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीका, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट :—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 5 फरवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

सब्जी मन्डी, आगरा के दुकानदारों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा सब्जी मंडी, आगरा के दुकानदारों की समस्याओं के सम्बन्ध में भेजा गया कोई पत्र 3–10–1980 से 8–10–1980 के बीच उन्हें मिला ? यदि हां, तो मुख्य समस्या क्या है तथा उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)––

जी हां ।

संदर्भित पत्र में वर्णित समस्याएं तथा उनकी स्थिति का विवरण संलग्न है ।
(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1069 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो विवरण दिया है, उसके क्रमांक (1) के संबंध में बताने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि तहबाजारी की दरें बढ़ा दी गयी हैं । आगरा में जो 144 वर्ग फुट का प्लाट है, जिसमें जो दूकानें बनी हैं, उसका किराया 21 रुपया प्रति माह है और जहां पर केवल थोड़ी सी जमीन है, 144 स्क्वायर फुट से भी कम है, यानी 80 स्क्वायर फुट जमीन लगी है, उसका किराया 24 रुपया प्रति माह है । तो, मान्यवर, जिनमें शटर लगे हैं और जमीन भी ज्यादा है, उसका किराया 21 रुपया प्रति माह तथा इस जमीन का किराया 24 रुपया प्रति माह करने का क्या कारण है जबकि पहले यह 6 रुपया और एक रुपया था और एकदम से 24 रुपया करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

मान्यवर, दूकानों का किराया आसानी से बढ़ाया जा सकता है और फिर तहबाजारी तो 13 वर्ष बाद रिवाइज हुयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जहां पर दूकानें बनी शटर लगे हैं, उसका किराया महापालिका 21 रुपया ले रही है और इनका किराया 24 रुपया है, तो इस विसंगति का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

मान्यवर, अगर दूकानें रिवाइज हो सकती हैं, तो वह भी रिवाइज कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सब्जी मंडी में 5 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं जो अपर्याप्त हैं और बढ़ाने के लिए कहा है कि जो मजदूर बढ़ायेंगे उसका पैसा सब्जी विक्रेताओं से लिया जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मंडी से तहबाजारी, चुंगी और टैक्स लिया जाता है, तो इन मजदूरों के लिए उनसे पैसा लेने का क्या कारण है ? विकास प्राधिकरण अपने पैसे से मजदूर क्यों नहीं बढ़ाती ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

आपकी बात से सहमत हूं । सफाई मजदूर बढ़वा देंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित माननीय मंत्री जी के उत्तर में दिया है कि चूंकि तहबाजारी से आसानी से किराया बढ़ाया जा सकता है, इसलिए बढ़ा दिया, तो क्या शटर वाली दूकानों का जो किराया है, उससे इनका किराया कम करने की कृपा करेंगे क्योंकि वे कमजोर हैं और उन पर किराया कम होना चाहिये, तो क्या इस विसंगति को दूर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो, उन्होंने बताया है कि जो दूकान और मकान हैं, उसका किराया बढ़ाने में कानून की प्रक्रिया की वजह से दिक्कत होती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

तो जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं करते, तब तक जो कमजोर वर्ग के हैं, उनका उससे कम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि उनका भी बढ़ायेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

कमजोर वर्ग वालों का कम करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, किराया घटाने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आलू पर चुंगी एक रुपया और आलू के बीज पर चुंगी 4 रुपया है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है । आलू का बीज देते नहीं लेकिन चुंगी 4 रुपये ले लेते हैं । दूसरी तरफ कानपुर में आलू और आलू के बीज पर 75 पैसे तथा इलाहाबाद में भी आलू और आलू के बीज पर 75 पैसे चुंगी ली जाती है, तो आगरा में एक रुपया और 4 रुपया का अनुपात जो रखा गया है, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि विचाराधीन है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मामला कब से विचाराधीन है और यह आलू का घटाने का है या पूरा घटाने का है । क्या यह पूरा मामला विचाराधीन है । इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

काफी समय से मामला विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय कर दिया जायेगा ।

लखनऊ नगर के बाराबिरवा, सुभाषनगर एवं भोलाखेड़ा मोहल्ले का पेयजल योजना सम्बन्धी पत्र

*2--श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में लखनऊ, कानपुर रोड पर स्थित बाराबिरवा से सुभाष नगर (भोलाखेड़ा) मोहल्ले में पीने के पानी की आपूर्ति करने के संबंध में अध्यक्ष जल निगम, लखनऊ को कितने पत्र संसद सदस्यों, विधायकों तथा क्षेत्रीय जनता के गत 7 माह में प्राप्त हुये हैं ? उन पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? उक्त पेयजल की अब कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार उन्हें तीन पत्र प्राप्त हुये हैं । उन पर कार्यवाही की गई है । इस क्षेत्र के लिए जो पेयजल की योजना बनाई गई है जिसके कार्यान्वयन में 2 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, बड़ी मुश्किल है जहां की बात यह कही जा रही है माननीय मन्त्री जी को मालूम है जिस बस्ती के बारे में सुभाषनगर भोला खेड़ा की बात कही जा रही है, वहां पर लगभग 30 वर्ष पुरानी बस्ती है और वहां पर अभी तक न तो हैन्ड पाइप लगा है और न ही सरकारी कुंआ है । यह बात माननीय मंत्री जी को मालूम है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी । हैन्ड पाइप नहीं है, तो लगवाने की व्यवस्था करूंगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, उस बस्ती के बिल्कुल निकट सिंचाई विभाग की कालोनी है, जो कि सुभाष नगर भोला खेड़ा से थोड़ी ही दूर पर है । वहां पर पानी बिजली सब चीज की व्यवस्था है वहां सारे विकास के कार्य है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सिंचाई विभाग की कालोनी जब इतनी निकट है और पानी की लाइन वहाँ पर है, तो इतनी देरी क्यों हो रही है ? इसमें 2 वर्ष का समय क्यों लग रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, मैं जल निगम और अपने विभाग की बात बता सकता हूं सिंचाई विभाग का उत्तर नहीं दे पाऊंगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

सिंचाई विभाग की बात इसलिए कह रही हूं कि चूंकि वहां पर जल निगम द्वारा पाइप लाइन पड़ी हुयी है बिल्कुल पास में है तो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से देर लग रही है । मैं यह जानना चाहती हूं कि कौन से कारण हैं, जिसकी वजह से 2 वर्ष का समय लग रहा है सुभाष नगर और भोलाखेड़ा में पानी की व्यवस्था में ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, बृहद योजना बनाई गई है, जब उसके अन्तर्गत धन उपलब्ध होगा तब किया जायेगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने 2 वर्ष का समय दिया यह किस सूचना के आधार पर 2 वर्ष की अवधि दिया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैंने केवल सम्भावना व्यक्त किया है, समय निर्धारित नहीं किया है ।

श्री भीखालाल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई कालोनी एक साल पहले बनना शुरू हुई और एक डेढ़ साल में बनकर तैयार हो गई और उस कालोनी के अन्दर नगर महापालिका ने पानी की व्यवस्था की । तो 30 साल पुरानी ग्रामीण बस्ती में अब तक पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यह भेदभाव क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सिंचाई विभाग की कालोनी के सम्बन्ध में सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग की जो कालोनी बनी उसमें पानी की व्यवस्था जल निगम द्वारा कराई गई या सिंचाई विभाग द्वारा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला हुसेनगंज में रोशनी एवं गंदगी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मोहल्ला हुसेन गंज (जयनारायण रोड) के निवासियों का संयुक्त प्रार्थना-पत्र नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य नगर अभियन्ता, नगर महापालिका, लखनऊ एवं रोशनी व्यवस्था अधिकारी को क्रमशः 4-7-80 एवं 24-8-80 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों और अब कब तक उस पर कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों में रोड पर गंदगी, सीवर बन्द होने के कारण गंदा पानी बहने तथा मार्ग में अंधेरा होने की शिकायतें थीं । यह स्थान निचला होने के कारण अन्य स्थानों से तमाम गंदगी इकट्ठा हो जाती है जो सीवर को रोक देती है, जिसके कारण गंदगी पैदा हो जाती है । इनके रुके सीवरों को खुलवा दिया गया है तथा सीवर के नवनिर्माण की कार्यवाही की जा रही है जिससे सीवर के बन्द होने तथा गंदगी की समस्या दूर हो जायेगी ।

जय नारायण रोड तथा राम मंदिर लेन में बल्ब लगाकर रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में यह माना है कि स्थान निचला होने के कारण अन्य स्थानों से गंदगी आकर इकट्ठा हो जाती है, तो क्या मन्त्री जी इस बात से आश्वस्त हैं कि सीवर के पुनः निर्माण से यह नौबत नहीं आयेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नया सीवर इसीलिए डाला जा रहा है कि यह कठिनाई पुनः उत्पन्न न हो ।

लखनऊ जिले के चिकित्साधिकारी, डाक्टर ए० पी० सिंह का स्थानान्तरण

*4—श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री मेंहदी असगर—

प्रथम सत्र 1980 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि नये चिकित्साधिकारी के आने के उपरान्त भी चार्ज न देने के लिए जिस चिकित्साधिकारी का उल्लेख किया गया है, वह कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ? क्या उन्हें पुनः उसी स्थान पर रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

नये चिकित्साधिकारी के आने के उपरांत भी चार्ज न देने के लिये जिस चिकित्सा अधिकारी का उल्लेख किया गया है वह डा0 ए0 पी0 सिंह हैं । डा0 सिंह के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है । उनकी कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें पुनः उसी स्थान पर मार्च, 1981 तक रोक दिया गया है ।

श्री संत बख्श रावत—

प्रथम सत्र 1980 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर दिया गया था कि जिन चिकित्साधिकारियों ने नये चिकित्साधिकारियों को कार्यभार नहीं सौंपा है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और इसमें उत्तर दिया गया है कि डाक्टर सिंह के विरुद्ध कुछ कठिनाइयों के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो यह विरोधाभास नहीं है और जिन्होंने सदन को गुमराह किया है उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति--

एक जगह प्रशासनिक अनुशासनहीनता की बात है और दूसरी जगह व्यक्तिगत कठिनाई की बात है ।

श्री संत बख्श रावत--

डाक्टर सिंह कितना अवधि से लखनऊ में हैं और कौन सी कठिनाइयां थीं जिनके कारण उनका स्थानान्तरण 31 मार्च तक के लिए रोक दिया गया ह ?

श्री लोकपति--

वह यहां लगभग 10 वर्षों से हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

ऐसे और कितने मामले हैं जिन पर व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं और उन सभी पर क्या इसी तरह से विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है । इसका उत्तर कैसे आ सकता है ।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज में सीमेन्ट के परमिट का वितरण

*5--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील में सीमेन्ट वितरण में जो क्रमवार रजिस्टर हैं उनके क्रमों को तोड़कर बिना किसी से जांच करये हुए परगना अधिकारी, डुमरियागंज तथा तहसीलदार डुमरियागंज ने जनवरी, 1980 से आज तक (अगस्त, 1980) कुल कितने लोगों को विशेष परमिट जारी किये हैं ? क्या यह सत्य है कि दो वर्ष से अधिक समय की पड़ी हुई दरख्वास्तों पर सीमेन्ट न देकर एक और दो दिन की दरख्वास्तों पर भी परमिट जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा जारी की गयी परमिट उक्त रजिस्टर के अनुसार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

खाद्य मन्त्री (श्री बासुदेव सिंह)--

जी नहीं ।

जनवरी, 1980 तथा फरवरी, 1980 में सीमेन्ट के परमिट खंड विकास अधिकारियों द्वारा जारी की गई जो क्रमवार तथा सत्यापन के पश्चात् ही जारी हुई हैं । माह मार्च तथा अप्रैल, 1980 में कोई परमिट जारी नहीं हुआ । माह मई से अगस्त, 1980 तक तहसील स्तर से सीमेन्ट के कुल 1,367 परमिटें जारी की गई हैं जो जांच सत्यापन के पश्चात् जारी की गई हैं ।

दो वर्ष से अधिक समय का कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है । अतः, रजिस्टर सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के सूर्यकुन्ड मन्दिर के निकट अवैध कब्जा हटाये जाने सम्बन्धी आदेश

*6–श्री श्याम लाल बाजपेयी––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के मुख्य बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में अवैध कब्जे होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो उन तथा अन्य स्थानों के अवैध कब्जे हटाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या यह सत्य है कि उन्होंने 18–9–80 को सेक्टर 'ए' महानगर तथा 8–10–80 को रिवर बैंक कालोनी के पास सूर्यकुन्ड मन्दिर के आस पास अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिया था, जिसका पालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो शासन अपने आदेश पालन करवाने के लिए कौन सा कारगर उपाय सोच रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

जी हां ।

दिनांक 18–9–80 व 8–10–80 के ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये । शासन द्वारा सूर्य कुंड मन्दिर के आसपास अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिनांक 29–10–80 को दिये गये थे ।

दिनांक 29–10–80 के उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1–12–80 को कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न के क्रम–1 में "जी हां" कहा है और क्रम–2 में भी "जी हां" कहा है । मेरी राय में जब अमीनाबाद जैसे मुख्य बाजारों में बकरी और भेड़ें चराना दूभर हो जायगा तब वे हटाये जाएँगे, इसीलिये माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 18–9–80 और 8–10–80 को ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये । मान्यवर, मेरे पास उन पत्रों और श्री राम सिंह खन्ना, के आदेश की नकल हैं श्री राम सिंह खन्ना तत्कालीन स्वायत शासन मन्त्री और स्वायत्त शासन सचिव के रिकार्ड को आप सीज करा लीजिये, फिर देखिये । यदि यह सही न हो तो मुझे जो चाहे दन्ड दीजिये ।

(मेजों की थपथपाहट)

यदि यह कथन गलत न हो, तो सेक्शन आफीसर, सम्बन्धित अधिकारी और विधायक को दन्डित किया जाय । मैं उन आदेशों को पढ़ता हूं ।

श्री शिव प्रसाद मिश्र, 152–बी सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ का प्रार्थना–पत्र मैंने अपने पत्र सहित माननीय मन्त्री जी को दिया । माननीय मन्त्री जी ने स्वायत्त शासन सचिव के नाम आदेश दिये हैं :—

"स्वायत्त शासन सचिव,

कृपया महापालिका विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा तत्काल अवैध कब्जे हटवानें की कार्यवाही करें । कार्य की प्रगति से अवगत भी कराएं ।

ह०/राम सिंह खन्ना" !

यह 18–9–80 का आदेश माननीय राम सिंह खन्ना जी का है ।

सूर्यकुन्ड मन्दिर, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ के प्रबन्धक महोदय के प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-10-80 पर माननीय मन्त्री जी के ये आदेश हैं :--

"सचिव, आवास एवं विकास,

सूर्यकुन्ड मन्दिर, लखनऊ से सम्बन्धित समस्याओं का तत्काल निदान करें । मन्दिर के निकट अवैध कब्जे हटाने के लिये प्रभावी कदम उठावें ।

"ह०/राम सिंह खन्ना"

मान्यवर, यदि यह गलत पाया जाय, तो मुझे जो चाहे दन्ड दिया जाय । क्या माननीय मन्त्री जी इस विषय में बतायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, आदेश तो माननीय सदस्य के पास हैं । मैं क्या बता सकता हूं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सूर्यकुन्ड मन्दिर के आस-पास जो मोटर मालिकों ने नगर महापालिका कर्मचारियों की सांठगांठ से अवैध कब्जे कर रखे हैं, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बताया है, मैं इसकी जांच करा लूंगा । अगर ऐसे आदेश हैं तो मैं जानबूझ कर उसको दबाने वाले लोगों के विरुद्ध और जिन लोगों ने उसे छिपाया होगा, उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा । यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि अवैध कब्जों को हटाने के लिये शासन कटिबद्ध है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, अवैध कब्जे हटाने सम्बन्धी घोषणा का मैं आदर करता हूं ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि उन तारीखों को आदेश नहीं हुए, जो बतायी गयी हैं, तो 29-10-80 को जैसा मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आदेश हो गये और 1-12-80 को उनका अनुपालन किया गया, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब माननीय मन्त्री जी के आदेश वहां पहुंचे तब कार्यवाही हुई या जब प्रश्न पहुंच गया तब कार्यवाही हुई ?

श्री श्री कृष्ण गोयल--

मान्यवर, यह जो इन्क्रोचमेंट्स हैं, इनको हटाने की कार्यवाही लगातार चलती रहती है । रोजाना हम लोग विभाग के जरिये कार्यवाही करते हैं और उस पर स्थगन आदेश भी होते हैं, स्टे आदेश बैकेट होते हैं और कार्यवाही होती है । नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण के अंदर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बड़े जोरों से चल रही है ।

श्री पंचानन—

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कह तो दिया कि हटाने की कार्यवाही निरंतर चल रही है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, जो अवैध कब्जे हैं, उनमें अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो अत्यंत गरीब होते हैं, तो क्या पता लगाकर ऐसे गरीब लोगों के कब्जे लीगलाइज करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग से प्रश्न है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में । अभी मन्त्री जी ने बताया कि कब्जे हैं, तो क्या जिन अधिकारियों की मिली भगत से और लापरवाही से यह कब्जे हुये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार मंत्री जी रखते हैं ?

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

बहुत उचित सवाल है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो दोषी पाया जायगा, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी और...

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मंत्री के आदेशों की अवहेलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री आजाद कुमार कर्दम—

आगरा में अभी नाजायज कब्जा हुआ है । जिसके सम्बन्ध में शासन को लिखा गया है और वहां के अधिकारियों को लिखा गया है । लेकिन हटाने के आदेश नहीं किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह अलग से प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि जो अबैध कब्जे हो रहे हैं उनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा । तो क्या यह सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक प्रश्न है ।

*7—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

नोटीफाइड एरिया, रुदौली, जिला बाराबंकी की पेयजल योजना

*8--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया रुदौली, जिला बाराबंकी में पेयजल की आपूर्ति के लिए कुंआ टंकी निर्माणाधीन ह ? यदि हां, तो कब से और 1 अगस्त, 1980 तक उसमें क्या प्रगति हुई? क्या सरकार बतायेगी कि रुदौली निवासियों को किस निश्चित तारीख से उसका लाभ मिलने लगेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नोटीफाइट एरिया रुदौली, जिला बाराबंकी की पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल योजना निर्माणाधीन है । यह कार्य 12 दिसम्बर, 1979 से प्रारम्भ हुआ था और 1 अगस्त, 1980 तक एक नलकूप की बोरिंग, डेवलपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है । रुदौली निवासियों को जून, 1982 तक पेयजल योजना का लाभ मिलने की सम्भावना है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि रुदौली पेयजल योजना का जब शुभारम्भ किया गया था, तो उस का काम पूरा होने का लक्ष्य प्रारम्भ में क्या निर्धारित किया गया था ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक एवं बेसिक हेल्थ वर्कर की शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान

*9--श्री दीपू--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मे कार्यरत एक ही शैक्षणिक योग्यता वाले बेसिक स्वास्थ्य कर्मचारी तथा परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के वेतन मान में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

दोनों संवर्ग के कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता भिन्न-भिन्न है और उन का वेतनमान भी भिन्न-भिन्न है । परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट साइंस है जब कि बेसिक हेल्थ वर्कर की शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल साइंस है और उनका वेतनमान क्रमशः 230-385 रु0 तथा 185-265 रु0 है ।

श्री दीपू--

मान्यवर, जब दोनों कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता एक ही है तो वेतन-मान उनके क्यों अलग-अलग है ?

श्री अध्यक्ष—

शैक्षिक योग्यता भिन्न-भिन्न हैं इसलिये वेतनमान अलग-अलग हैं, यह जवाब में है ।

देवरिया जिले के ए0 एन0 एम0 प्राशिक्षण केन्द्र में पी0 एच0 एन0 के पद पर नियुक्त श्रीमती उमा मिश्र एवं श्रीमती रतनम्मा

*10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में स्थित ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्र में पी0 एच0 एन0 पद पर कितनी महिलाएं काम कर रही ह ? क्या इसमें श्रीमती सूरीन सिंह एवं श्रीमती रतनम्मा भी हैं जो प्रशिक्षण दिये जाने हेतु लिए गए भवन में सन् 1976 से अब तक रह रही हैं और मकान किराया के साथ-साथ बिजली एवं पानी का किराया नहीं दे रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इनसे शीघ्र किराया वसूल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत प्रशिक्षण केन्द्र पर दो महिलायें श्रीमती उमा मिश्रा व श्रीमती रतनम्मा क्रमशः दिनांक 16-6-76 व 1-5-79 से पी0 एच0 एन0 के पद पर कार्यरत हैं । श्रीमती सरीन सिंह नाम की कोई महिला उस प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी पद पर कभी कार्यरत नहीं रहीं । श्रीमती रतनम्मा प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के एक कमरे में दिनांक 12-2-80 से रहने लगी थीं और उनसे भवन, बिजली एवं पानी किराया प्राप्त नहीं हुआ है । यह किराया उनसे शीघ्र वसूल किए जाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया को आदेश भेजे जा चुके हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिजली और पानी का किराया बताया गया है, तो यह कब से और कितना बाकी है और क्या वहां और भी ऐसी महिलायें रहने लगी हैं, प्रशिक्षण केन्द्र में, यदि ऐसी व्यवस्था है तो बतायें यदि नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जो वहां रह रहीं हैं ?

श्री लोकपति—

390.50 रु0 किराया बाकी है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस स्तर की यह महिला कर्मचारी है, उसी स्तर की महिला कर्मचारियों से प्रदेश में अन्य जगहों पर उनसे किराया वसूल किया जाता है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या आप महिला विरोधी हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं जानना चाहता हूं कि जैसे मंत्री जी ने कहा है कि क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षण केन्द्र में रहने के लिए पानी बिजली मुक्त है या रहने पर प्रदेश में सभी जगह किराया लिया जाता है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, आवश्यकतानुसार यदि प्रशिक्षण देने की अधिक आवश्यकता होती है तो उनको भवन में रखा जाता है और किराया ले लिया जाता है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया को आपने जो आदेश दिये हैं किराया वसूल करने के लिए, वह कब दिये हैं और क्या कृत कार्यवाही से किराया वसूल हुआ है कि नहीं ?

श्री लोकपति--

यह आदेश नवम्बर, 1980 में दिये गये हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पूरक प्रश्न में बताया है कि आवश्यकता के अनुसार किराया लिया जाता ह, कितना किराया लिया जाता है और कितना नहीं इसका क्या कोई मापदण्ड है ? या इसकी कोई विचारधारा है कि कभी-कभी आवश्यकतानुसार जो किराये को वसूल किया जाता है उसका मापदण्ड क्या है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, मैं इनके प्रश्न का अर्थ समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

सम्भवतः ये किराये की दर जानना चाहते हैं ।

श्री लोकपति--

मैंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो शासन उन्हें उस स्थान पर रहने की अनुमति दे देता है और उनसे नामिनल किराया ले लिया जाता है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

वहां जो महिलायें रहती है वे नौकरी करती हैं, प्रशिक्षण नहीं देती हैं लेकिन जो प्रशिक्षण का भवन है, शासन ने जिस भवन को प्रशिक्षण के लिए दे रखा है, उसमें वे निवास करती हैं । वह भवन प्रशिक्षण देने के लिए है न कि उनके रहने के लिए ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा, जिला वाराणसी के उच्चीकरण सम्बन्धी पत्र

*11--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल पिंडरा, जिला वाराणसी को 50 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव शासन के पास अर्सा 3 वर्षों से विचाराधीन है और जमीन के अभाव में मंजूरी नही दी गयी ? क्या यह सही है कि जमीन के एक नक्शे के साथ प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र मा0 स्वास्थ्य मंत्री को 20 अगस्त, 1980 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिन्डरा, जिला वाराणसी को उच्चीकृत कर 50 शैय्यायुक्त अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

माननीय विधायक महोदय का दिनांक 19 अगस्त, 1980 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु उनके सुझावों को कार्यान्वित करना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

श्री ऊदल--

यह जो मेरा पत्र प्राप्त हुआ था 19 अगस्त, 1980 का उसमें कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जिनमें शासन को कठिनाई हो रही है ?

श्री लोकपति--

आपने एक चिकित्सालय के लिये भूमि उपलब्ध कराने की बात कही थी । जो वर्तमान नीति है, उसके अन्तर्गत चार विकास खण्ड पर एक चिकित्सालय होगा । चार चिकित्सालय वाराणसी में हो चुके हैं, पांचवें को उच्चीकृत करना है । आप 50 शैय्या की बात कर रहे हैं । उच्चीकृत का अर्थ अलग है यदि केवल शैय्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो शासन इस पर विचार करेगा ।

श्री ऊदल--

उत्तर का प्रथम भाग है उच्चीकृत । चलिये आप उसमें से उच्चीकृत को निकाल दीजिये, आप संशोधन कर दें । लेकिन श्रीमन् मेरे प्रश्न को यदि आप देखें, तो उसमें उच्चीकृत का सवाल ही नहीं है । मैं प्रश्न पढ़ दूं कि एलोपैथिक अस्पताल पिंडरा, जिला वाराणसी को 50 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव शासन के पास है, उच्चीकृत का सावल ही नहीं है जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया । श्रीमन्, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि 1979-80 में शासन ने आदेश दिया था सी0 एम0 ओ0 वाराणसी को कि जमीन का पता लगायें, उन्होंने जमीन का पता भी लगाया और शासन को बताया भी । मैंने भी अपने पत्र के साथ एक नक्शा भेजा था मंत्री जी को, सी0 एम0 ओ0 ने भी नक्शा दिया था, तो इसको 50 शैय्या का अस्पताल बनाने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री लोकपति—

50 शैय्या का चिकित्सालय बनाने की योजना वर्तमान छठी योजना में शासन की नहीं है। आप के पिंडरा विकास खण्ड में 20+10=30 शैय्या के चिकित्सालय की बात विचाराधीन है।

श्री ऊबल—

जो 30 शैय्या का अस्पताल विचाराधीन है, यह कब बन जायगा।

श्री लोकपति—

यह आई0 डी0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 शैय्या का और 20 शासन का मिला कर 30 शैय्या का बनेगा।

चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ के निकट स्थित दुकानें

*12—श्री परमाई लाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने पार्कों के अलग-अलग रास्तों में तथा सिटी बस स्टैण्ड के चारों ओर छोटी-बड़ी बहुत सी दुकानें किसके आदेश से रखवाई गई हैं ? क्या उनसे किराया लिया जाता है ? यदि हां, तो वह किराया कहां जमा होता है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत दुकानें रेलवे अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत भू-भाग पर स्थित हैं। यह दुकानें रेलवे विभाग द्वारा आवंटित की गई हैं। इसका सम्बन्ध नगर महापालिका, लखनऊ से नहीं है और न ही महापालिका को इसका कोई किराया प्राप्त होता है।

देवरिया जिले में इनसेफिलाइटिस रोग से मृत्यु

*13—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में इनसेफिलाइटीस नामक महामारी से दिनांक 1-10-1980 तक कितने आदमी मरे हैं ? तथा कितने आदमी अस्पतालों में भर्ती हैं ? महामारी के रोकथाम हेतु कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

देवरिया जनपद में इनसेफलाइटिस रोग से दिनांक 1-10-1980 तक 116 व्यक्ति ग्रसित होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे जिनमें से 42 की मृत्यु हो गई है। शेष ठीक हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की है :

1—विशेष उपचार केन्द्रों की स्थापना।

2—इस रोग से ग्रसित रोगियों की खोज तथा उनको उपचार केन्द्रों पर पहुंचाने की सुविधा।

3—प्रभावित ग्रामों में कीटनाशक औषधियों का छिड़काव।

4—नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कम्युनेकेबल डिजीजेज, दिल्ली तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ की टीमों द्वारा रोग प्रसार के कारणों का अध्ययन तथा उनके परामर्श के अनुसार रोग निरोधात्मक कार्यवाहियां एवं मरीजों का उपचार।

5—जनता को इस रोग से बचाव के लिये आवश्यक बातों की जानकारी का कराया जाना।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी ने भर्ती होने वालों की संख्या 116 दी है, जिनमें 42 मर गये। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन की मृत्यु अस्पताल में जाने से पहले ही हो गयी, जिनको अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति ही पैदा नहीं हुई। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे इनसेफलाइटिस से मरने वालों की संख्या क्या है, जो अस्पताल में पहुंचने से पूर्व ही मर गये। आपने कहा है कि उपचार केन्द्र हम खोलने जा रहे हैं। कितने उपचार केन्द्र देवरिया में हैं और कहां हैं और तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फीगर आपने 1-10-80 तक की दी है। उसके बाद भी यह इन्सेफलाइटिस रोग वहां रहा। उसके बाद कितने लोग मरे जो फिगर आप दे रहे हैं, इसके लेटेस्ट फिगर क्या हैं मरने वालों की ?

श्री लोकपति—

प्रथम श्रीमन्, जन्म और मृत्यु दोनों के आंकड़े दिये जाते हैं। आज तक कुल मरने वालों की संख्या इस रोग से हमारे चिकित्सालय के माध्यम से अथवा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो उपलब्ध है वह 281 है। कुल रोगियों की संख्या दिसम्बर, 1980 तक 778 है। विशेष उपचार केन्द्रों की स्थापना जिस समय इस रोग का प्रसार था, उस समय हुई थी। यह योजना तो दूसरी है। उसकी रोकथाम के लिए खोले थे और उस समय देवरिया जनपद में लगभग 36 इस प्रकार के उपचार केन्द्र चल रहे थे।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया जनपद में यह रोग कितने गांवों में फैला था और रोगियों को लाने के लिए कितने वाहनों का प्रयोग किया गया ?

श्री लोकपति—

लगभग 4 प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों को छोड़कर, जो श्री मोहन सिंह जी के क्षेत्र की तरफ थे, सारे जनपद में यह रोग फैला था और हर प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत नहीं था। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास जो भी साधन उपलब्ध थे, उससे तथा कुछ दानी लोगों की तरफ से गाड़ियां वगैरह मिल सकीं उनसे रोगियों को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि देवरिया जनपद से गोरखपुर मेडिकल कालेज में कितने मरीज आये और कितने गोरखपुर जनपद से

महाराजगंज और मिछलौल केन्द्र में भेजे गये। वहां इस रोग से कितने लोगों की मृत्यु हुई ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि रेडियो में एक एनाउन्समेन्ट हुआ था कि 80 प्रतिशत गांवों में रोग के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो गया है, मेरी जानकारी को सही मानकर कि उन गांवों में 5 प्रतिशत भी गांव ऐसे नहीं हैं जहां दवाओं का छिड़काव किया गया हो। तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे और जो दोषी अधिकारी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है गोरखपुर मेडिकल कालेज में तथा गोरखपुर के चिकित्सा प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा वहां पर शासन के जो उपचार केन्द्र स्थापित थे उनमें ग्रसित लोगों की संख्या 598 है और जिनकी मृत्यु हुई उनकी संख्या 174 है। मेडिकल कालेज में देवरिया से कितने व्यक्ति आये हैं, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है और यदि आपकी आज्ञा हुई, तो वह मैं आपको पेश कर दूंगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है इन्सेफेलाइटिस जिस क्षेत्र में फैला था उस क्षेत्र के 80 प्रतिशत गांवों में छिड़काव का कार्यक्रम हुआ और अगर कोई ऐसा गांव जो इन्सेफेलाइटिस क्षेत्र के अन्तर्गत रहा और जहां छिड़काव नहीं हुआ और अगर माननीय सदस्य आपके माध्यम से हमें जानकारी दे देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या वे सदन को आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में यह रोग न फैल सके उस पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और उसकी रोकथाम कर दी जाय ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, इन्सेफेलाइटिस रोग जिन कारणों से फैलता है, उन कारणों का निदान बड़ा कठिन है। यह रोग चिड़ियों से फलता है, सुअरों से फैलता है, चौपायों से फैलता है, बकरियों से फैलता है, आपसे भी फैलता है और हमसे भी फैलता है क्योंकि हम लोग परिवार नियोजित नहीं कर पा रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह रोग लो० लो० ब० से फैलता है।

श्री लोकपति--

यह बीमारी सर्वप्रथम जापान से शुरू हुई और जनपद गोरखपुर के पड़ोसी देश नेपाल में यह बीमारी संक्रामक रूप धारण किए हुए है। लखनऊ मेडिकल कालेज और गोरखपुर मेडिकल कालेज के सहयोग से प्रयास हो रहा है इस रोग की रोकथाम के लिए।

श्री मोहन सिंह--

मंत्री जी ने उत्तर में लिखा है कि इन्स्टीट्यूट आफ कम्युनिकेबुल डिजीजेज इस बात पर काफी शोध कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3/4 वर्षों

में चूंकि इस रोग ने व्यापक रूप धारण कर लिया है और हजारों लोग मर रहे हैं, तो क्या इस इन्स्टीट्यूट ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट इस रोग के उचित इलाज के लिए शासन को दी है ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, कारण मैंने बताया कि एक विशेष प्रकार के मच्छर हैं जो सुअर और बत्तखों में पाये जाते हैं उनसे यह रोग फैलता है जबकि उन चिड़ियों और पशुओं को यह रोग नहीं होता उसका उपचार नहीं निकला है ।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ और पंचानन आदि के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री ओझा जी को बुला लिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर सवाल है प्रति वर्ष न केवल सैकड़ों म बल्कि हजारों की संख्या में गोरखपुर और उत्तरांचल के लोग मरते जा रहे हैं और जिस प्रकार से नैपाल से तमाम चीजों की तस्करी उधर बैठे नेता लोग करते हैं उसी प्रकार इस रोग की तस्करी हो रही है, तो क्या जिस प्रकार मलेरिया इरेडिकेशन के लिए केन्द्र सरकार ने एक प्रोग्राम मलेरिया इरेडिकेशन का चलाया था उसी प्रकार का इस रोग के इरेडिकेशन के लिए चलायेंगे जिससे नैपाल से आने वाले जो रोगाणु हैं उनको रोका जा सके क्योंकि यह हर साल का फीवर हो गया है ।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, 1978 में यह रोग उत्तर प्रदेश में आरम्भ हुआ था और उस समय इसके उपचार की जानकारी हेतु जापान से विशेषज्ञों की टीम मंगानी पड़ी थी । 1980 में पुनः इस रोग का प्रकोप हुआ था इस बार विदेशों से टीम मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । लखनऊ मेडिकल कालेज और भारत सरकार के सहयोग से रोग के निदान के कारणों की खोजबीन हुई । कारण मिल गये और जब बीमारी के कारण मिल जाते हैं तो उसकी औषधि का भी निर्माण हो जाता है । हम माननीय सदस्यों की भावना से अवगत हैं ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, आपके आदेश से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस इन्सेफेलाइटिस की जो दवा मंगाई गई वह किस फर्म से मंगाई गई, क्या वह बम्बई की फर्म है, उस दवा का क्या नाम है, क्या वह हिन्दुस्तान की दवा नहीं है, इसे फारेन से मंगाना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं यदुनाथ जी ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं वह दवा कहां से मंगाई गई क्या बम्बई की फर्म से मंगाई गई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठ जायं ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, एक जरूरी प्रश्न करना है आजमगढ़ में भी यह रोग फैला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं यदुनाथ सिंह जी, आपके प्रश्न को उत्तरित कराऊंगा ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी जितना इनके प्रश्न को आप समझे हैं उसका उत्तर आप दे दीजिए ।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, इस बीमारी का नाम अपनी भारतीय भाषा में मस्तिष्क ज्वर है । श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो माननीय सदस्य का भी अन्वेषण करवा लें ।

श्री पंचानन--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल के किन-किन जिलों में यह रोग फैला था ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

जब भी मैंने प्रश्न करने की कोशिश की है...

(व्यवधान)

जब भी मैं खड़ा होता हूं बोलने को, आप कहते हैं बैठ जाइये । आप मेरा नाम भी नहीं जानते, केवल चेहरा ही पहचानते हैं । मैं पढ़ा-लिखा हूं, सब समझता हूं आप मुझे अवसर नहीं देते हैं । मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है । मुझे बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपका नाम जानता हूं । मैं आपको पूरी तरह पहचानता हूं और जब उचित अवसर समझूंगा, आपको बोलने दूंगा ।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

आपन कहा कि मौका मिलेगा लेकिन मिला नहीं है । आज आप पूछ लेने दें, फिर आपसे कभी नहीं बोलने को कहूंगा...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मुश्किल तो यह है कि जब आपसे खड़े होने को कहता हूं तो आप बैठ जाते हैं और जब बैठने को कहता हूं तो खड़े हो जाते हैं । आप बोलें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

कम सुनाई दे रहा है, उम्र का सवाल है । मंत्री जी ने कहा है कि देवरिया में सब जगह छिड़काव कराया गया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से और शपथपूर्वक कहना चाहता हूं कि केवल देवरिया नगर में ही धुआं वाली मशीन से छिड़काव हुआ है और कहीं नहीं ? तो यह गलतबयानी है । यदि वहां के सी० एम० ओ० ने लिखा है । देवरिया प्र.पर को छोड़कर कहीं छिड़काव नहीं हुआ है, तो जिसने यह गलत सूचना दी है, उसको आप दंडित करेंगे ?

श्री लोकपति--

जरूर जांच करा लूंगा, श्रीमन् ।

मुजफ्फरनगर जिले में जारी किये गये सीमेन्ट के परमिट

*14--श्री हुकम सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद के पूर्ति अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से 15 जून, 1980 से लेकर 15 नवम्बर, 1980 तक कितने बैग सीमेन्ट वितरित किये गये ? क्या यह वितरण प्रार्थियों द्वारा दिये गये आवेदनपत्रों की वरीयता के आधार पर किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

प्रश्नगत अवधि में 52,952 बोरे सीमेन्ट के परमिट जिला पूर्ति कार्यालय, मुजफ्फरनगर से जारी किये गये ।

कार्यालय में पंजीकृत आवेदन पत्रों पर परमिटें सामान्यतः क्रमानुसार जारी की गई । कुछ आवेदन पत्रों पर विधायकों, मंत्रियों, उच्च अधिकारियों की संस्तुति को ध्यान में रखकर वरीयता के आधार पर परमिट दिये गये ।

श्री हुकम सिंह--

मन्त्री जी ने बताया कि 52,952 सीमेंट के बोरे वितरित किये गये और उन्होंने उसके तीन आधार बताए । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई वरीयता की सूची वहां पर पंजीकृत की गई और क्या वह सूची वहां पर कार्यालय में उपलब्ध है ? कितने लोगों को माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों और उच्च अधिकारियों के माध्यम से सीमेन्ट दी गई ?

श्री बासुदेव सिंह--

सम्पूर्ण सूचना इस फाइल में है, कहिए तो पढ़ूं । माननीय सदस्य यदि यह जानना चाहते हैं कि किन मन्त्रियों और माननीय सदस्यों की सिफारिश पर सीमेन्ट दी गई, तो वह भी मैं बता सकता हूं । सामान्यतः जब कभी भी किसी विधायक की कोई सिफारिश होती है, तो उसको प्राथमिकता देते हैं ।

श्री हुकम सिंह--

मेरा उत्तर नहीं आया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे माननीय मन्त्री जी ने बताया कि माननीय मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर प्राथमिकता दी जाती है, तो उस पक्ष को छोड़कर जो सीरियल था डी० एस० ओ० आफिस में, उसमें से कितने आदमियों को अलग से दिया गया और किस कारण से दिया गया ?

श्री बासुदेव सिंह--

उक्त सीमेन्ट की बोरियों का सीरियल था 4536, जो माननीय मन्त्री और विधायकों की संस्तुति पर दी गई हैं, उनकी संख्या है 2261 बोरी । अगर माननीय सदस्य किसी क्रम में कुछ जानना चाहते हैं या किसी क्रम में कोई व्यतिक्रम हुआ है, ऐसी कोई सूचना चाहेंगे तो निश्चय ही दी जायेगी ।

श्री हुकम सिंह--

जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में जो प्रार्थना-पत्र दिए गए, क्या उनकी कोई सूची है और जो क्रम वहां पर बनाया गया, उसके आधार पर वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया गया ?

श्री बासुदेव सिंह--

यह पूरी सूची है । जिस क्रम में वह दिया गया है, वह सब इस सूची में है और उसी में सिफारिशी प्रार्थना-पत्र भी समाविष्ट है, कहिए तो पढ़ दूं या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि यह ठीक से नहीं हुआ है, तो उसके बारे में जांच करा ली जायेगी ।

श्री हुकम सिंह--

जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर कोई क्रमानुसार वितरण नहीं किया गया है । केवल भ्रष्टाचार के आधार पर सारा सीमेन्ट दिया गया है । मन्त्री जी ने जो सूचना दी है, वह केवल असत्य का पुलिंदा है । मेरी जानकारी को सही मानकर क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बासुदेव सिंह--

माननीय अध्यक्ष, जिस मामले की माननीय सदस्य जांच चाहेंगे, उसकी पूरी जांच की जायेगी और यदि माननीय अध्यक्ष मुझे मौका देंगे, तो मैं इस सदन में सीमेन्ट के वितरण के बारे में एक वक्तव्य भी दूंगा ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं मन्त्री जी से कि क्या आपके पास यह भी जानकारी है कि रेल के द्वारा जितना सीमेन्ट आया

हैं, उसमें से शहरी क्षेत्रों में कितना गया हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना गया है तथा ट्रक से कितना सीमेन्ट आया हैं और उसमें से शहरी क्षेत्रों में कितना गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना गया है ? मैं यह जानकारी चाहूंगा ।

श्री बासुदेव सिंह—

इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

*15—श्री पंचानन—

[28-1-81 को अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के द्वारा उत्तरित ।]

*16—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

प्रदेश में डीजल, मिट्टी का तेल एवं सीमेन्ट का वितरण

*17—श्री मित्रसेन—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों में डीजल, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट सर्वसाधारण एवं सामान्य जनता को नहीं मिल पा रहा हैं ? और अभाव के कारण कृषि कार्य में बाधा पड़ रही हैं ? यदि हां, तो वितरण को सर्व सुलभ एवं समुचित कौन सी प्रभावी व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह—

इस समय प्रदेश में डीजल एवं मिट्टी के तेल का सामान्तयः अभाव नहीं है । संचरण की समस्या के कारण किसी समय कहीं-कहीं माल पहुंचने में कुछ विलम्ब अवश्य हो जाता हैं । वैसे, अन्यथा, स्थिति सामान्य है ।

जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध हैं, भारत सरकार द्वारा सीमेन्ट का आवंटन त्रैमासिक आधार पर किया जाता हैं । प्रदेश की आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत ही भारत सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है । इस आवंटन का 50 प्रतिशत सिंचाई एवं विद्युत् परियोजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा ही आरक्षित कर दिया जाता हैं जनवितरण कोटे में सामान्यतया लगभग दो लाख मी0 टन का आवंटन किया जाता हैं । रेलवे वैगनों के अभाव में कभी-कभी सीमेन्ट की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता हैं । शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता हैं कि आवंटन के अनुसार जिलों को सीमेन्ट प्राप्त हो और उसका समुचित वितरण उपभोक्ताओं को हो जाय ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि डीजल मिट्टी का तेल तथा सीमेंट गांवों की सामान्य जनता को किस प्रकार से बांटा जा रहा है, क्या वे कोई प्रभावी वितरण प्रणाली लागू करेंगे ? मन्त्री जी ने केवल सीमेंट का अभाव कहा है, तो क्या डीजल और मिट्टी के तेल को ग्रामीण जनता के जो परिवार कार्ड बन हुए हैं, उन पर सामान्य जनता को सीमेन्ट, मिट्टी का तेल और डीजल दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बासुदेव सिंह--

नगरों में जिला पूर्ति अधिकारी और देहातों के लिए एस० डी० एम० इन चीजों के परमिट जारी करते हैं लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात कहीं है वह स्वागत योग्य है और मैं घोषणा करता हूं कि इसमें से जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध है 20 प्रतिशत बिना किसी परमिट उनको सीधे अपने कार्ड स पर मिल जाया करेगा ।

13 -श्री रियासत हुसैन--

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया, गोरखपुर, बहराइच एवं बाराबंकी के कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र

*10-श्री कुबेर भंडारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ० प्र० के जनपद देवरिया, गोरखपुर, बहराइच एवं बाराबंकी में क्रियान्वित अतिरिक्त कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों को हटाकर अन्य जनपदों में क्रियान्वित करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी संबंधित निश्चित तथा विनाराधीन योजना के तथ्यों को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

देवरिया, गोरखपुर, बहराइच एवं बाराबंकी में कुष्ठ रोग की व्यापकता अधिक होने के कारण एक-एक अतिरिक्त कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की गयी थी । अब यहां पर कुष्ठ रोग की व्यापकता कम हो गयी है । अतः इन अतिरिक्त कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों को सीतापुर, उन्नाव, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जा रहा है जहां पर कुष्ठ रोग की व्यापकता अधिक है ।

तारांकित तथ्य संलग्नक में दर्शाये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1070 पर) ।

नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती में सीमेन्ट का वितरण

*20-श्रीमती कमला साहनी--

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में गत महीनों में बाढ़ से ध्वस्त गरीब किसानों के मकानों की मरम्मत और निर्माण के लिए सीमेन्ट उपलब्ध नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि तेतरी बाजार में कई व्यक्तियों की भव्य इमारतें चन्द दिनों में बन कर तैयार हो गयी ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा नौगढ़ तहसील में सीमेन्ट व्यवस्था करेगी ?

श्री बासुदेव सिंह--

जी नहीं । जनपद बस्ती की नौगढ़ तहसील में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक देहाती क्षेत्रों में वितरण हेतु 19,016 बोरी सीमेन्ट प्राप्त हुई जिसमें नवनिर्माण कार्य के लिये 10,828 बोरी तथा मरम्मत के लिये 8,188 बोरी सीमेन्ट उपलब्ध कराई गई । तेतरी बाजार टाउन एरिया क्षेत्र के लिये प्राप्त

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

1,460 बोरी सीमेन्ट में से मरम्मत के लिये 815 बोरी तथा नवनिर्माण कार्य के लिये 645 बोरी सीमेन्ट उपलब्ध कराई गई। नवनिर्माण कार्य हेतु प्राप्त 32 प्रार्थना-पत्रों में केवल एक भवन का कार्य पूरा हुआ है और शेष 31 भवन अभी निर्माणाधीन हैं। सीमेन्ट वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूं एवं चीनी का अभाव

**1-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के जनपदों में माह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर सन् 80 में सस्ते गल्ले की दूकानों पर चीनी का अभाव रहा जिसके कारण खुले बाजार में इन वस्तुओं के दाम चढ़े और काले बाजार में चीनी 10.00 रु0 प्रति किलो तक बिकी ? यदि हां, तो गेहूं व चीनी के अभाव के कारण क्या हैं ? उनको दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्गत महीनों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर समय से चीनी न पहुंचने के कारण कतिपय स्थानों पर चीनी की कमी हो गई। माह अक्तूबर एवं नवम्बर, 15, 1980 तक खुले बाजार में निर्धारित मूल्य पर चीनी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई। लेवी चीनी की दिक्कत दूर करने के लिये भारतीय खाद्य निगम से समय-समय पर निरन्तर कहा जाता रहा है। जहां तक गेहूं का संबंध है भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश को जन वितरण हेतु प्रतिमाह प्राप्त होने वाले गेहूं के आवंटन में भारी कटौती कर दी गई है। इस कमी के कारण पूरे प्रदेश में सरकारी गेहूं की उपलब्धता में भारी कमी परिलक्षित हुई है। गेहूं का कोटा बढ़ाये जाने के लिये भारत सरकार से वार्ता जारी है। कुछ हद तक गहूं की कमी को पूरा करने के लिये आटा मिलों को आवंटित गेहूं से आटा बनवा कर सस्ते गल्ले की दुकानों से बिक्री किये जाने की व्यवस्था की गई है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में य स्वीकार किय ा है कि खाद्य निगम द्वारा समय से चीनी उपलब्ध न कराने के कारण चीनी की कमी हो गयी हं। ये वे महीने हं अक्तूबर से दिसम्बर तक जिनमें ईद, गुड़िया, रक्षा बन्धन, बकरीद आदि सारे महत्वपूर्ण त्यौहार थे और स्वाभाविक था कि इन महीनों में इसकी अधिक मांग थी, लेकिन कहा गया कि निगम ने नहीं भेजी। चीनी की काले बाजार में बिक्री हुयी। यही नहीं इसके साथ-साथ हमारे यहां से चीनी पाकिस्तान को भी तस्करी के रास्ते से चली गयी, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय निगम द्वारा समय से चीनी न उपलब्ध होने की जानकारी पूर्ति विभाग को कब हुयी और उस जानकारी के बाद भारत सरकार को कब सीधे लिखा गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

जहां तक गेहूं की कमी का सम्बन्ध है यह लोक सभा में सवाल उठा था....

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। मंत्री जी की सीट पर एक माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और बगल के माननीय मंत्री जी से बातें कर रहे हैं, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

श्री वासुदेव सिंह--

इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों को मालूम होगा कि लोक सभा में राव वीरेन्द्र सिंह जी ने इस आग्रह को अमान्य किया और जो प्रश्न गेहूं देने की बात का था, नहीं माना। मैं उनसे बात कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने भी बात किया। अब सवाल यह है कि इस कमी का, जब कृषि मूल्य के बारे में आयोग में चर्चा चल रही थी, तभी यह सांकेतिक था कि गेहूं कम मिलेगा और जो स्थिति है, वह आपसे छिपाना नहीं चाहता, जो प्रश्न है उसका जबाब मैं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत महीनों में जो चीनी नहीं उपलब्ध हो पायी, उसका कारण यह है कि जो मिलों को आबंटन आता था, उसमें यह लिख कर आता था कि एफ० सी० आई० से उठेगा। लेकिन उसमें यह सूचना आई कि राज्य सरकार स्वयं उठायेगी और हुआ क्या कि सूचना चूंकि नहीं आई, इसलिए वह लेवी की चीनी नहीं उठाई गयी। हमारे प्रदेश में जो लोग कंगाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं पहुंचाना अत्यन्त जरूरी है, तो क्या सरकार स्वयं गेहूं खरीद कर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से बंटवाने की कृपा करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह सुझाव कार्यान्वित हो जाय, तो अच्छा होगा। हो सकता है कि हम एफ० सी० आई० से अलग ही कुछ सोचें। हर महीने में कितनी चीनी और कितना गेहूं मिला, इसका पूरा स्पेसिफिक आंकड़ा मेरे पास है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार से लिखकर आया कि राज्य सरकार के नामिनी से चीनी उठवाइये, लेकिन राज्य सरकार अपना नामिनी नहीं दे पाई और चीनी नहीं उठ पाई, तो मान्यवर इसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

अब तक एलाटमेंट की सूचना मेरे पास है। मैं इनसे कह रहा हूं कि जितनी चीनी आवंटित हुई और जितनी उठाई गयी 30-12 की पोजीशन में बता सकता हूं, 27-11 को बता सकता हूं। यह नहीं कि चीनी उठी नहीं या चीनी आवंटित नहीं हुई, कम है, अभाव की बात है, चीनी उठी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं लक्ष्मी शुगर मिल, महौली की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। इसका उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

दिला देंगे।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम प्रदेशीय सरकार के अधीन है और उसको सप्लाई का काम केन्द्रीय सरकार के अधीन है, जो कि अपनी पालिसी कभी-कभी बदलती है, कभीनहीं और कभी-कभी एजेंट से सरकार के नामिनी के नाम पर करना चाहती है और उसका नतीजा यह होता है कि 20 तारीख से पहले कभी उपभोक्ताओं को वितरण के लिये कोटे को उठाया नहीं जाता है और वह ब्लैक में बिक जाता है। इसको देखते हुए क्या सरकार इस बात पर पालिसी रिवाइज करने पर विचार करेगी ताकि केन्द्रीय सरकार से सप्लाई होने में कोई बाधा और वक्त में ढील न पड़ सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

इस प्रश्न का उत्तर हां में देता हूं।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सरकार सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आटा देने के लिये भी विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और क्या यह सत्य है कि प्रदेश में जो गल्ला सड़ गया था, उसे पिसा कर उपभोक्ताओं में बांटने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

वर्तमान सरकार के गठन के समय गेहूं का मूल्य एक रुपया प्रति किलो के आसपास था, लेकिन आज वह बाजार में ढाई रुपये के लगभग बिक रहा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग जीवन बसर कर रहे हैं, उनको सुख सुविधा देने हेतु तथा उनका जीवन चलाने की दृष्टि से क्या सरकार कोई दाम बांधो नीति पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह नीति का प्रश्न है।

श्री भीखालाल--

चीनी को भारत सरकार सप्लाई करती है और उस सप्लाई को एफ० सी० आई० उठा कर वितरित करता था, लेकिन प्रश्नगत महीनों में पी० सी० एफ० को चीनी उठाने के लिये आदेश दिये गये और पी० सी० एफ० पैसा न होने के कारण पूरा कोटा नहीं उठा सका, जिससे यह दिक्कत हुई ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य जो भावनायें व्यक्त कर रहे हैं, उन भावनाओं से शासन अवगत है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

अक्तूबर, नवंबर तथा दिसम्बर की तीन महीनों की प्रश्न में चर्चा की गयी है। क्या यह सत्य है कि मिल मालिकों से मिल कर आर्डर्स होने के बावजूद भी जानबूझ कर यहां चीनी उठाने में विलम्ब कराया गया है, क्योंकि चीनी के भाव इन दिनों काफी चढ़ जाते हैं और खांडसारी इन दिनों नहीं चलती है और मिल मालिकों ने अधिकारियों से मिल कर अपने फायदे के लिये चीनी उठवाने में विलम्ब कराई है ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह आक्षेप है। इसका मैं प्रतिवाद करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने 30 नवम्बर से जनवरी तक मूल्य बढ़ाने के कारण एफ० सी० आई०, चीनी मिल मालिकान और उच्च अधिकारियों ने मिलकर चीनी नहीं उठायी जिसके कारण बाजार में भाव बढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष--

वह प्रश्न आ गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, लेकिन जवाब नहीं आया। क्या इस पर जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने प्रतिवाद कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ।

गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव

**2--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रबी की गेहूं की उपज का समर्थन मूल्य वर्तमान समर्थन मूल्य से बढ़ाकर दिलाने का कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कितना मूल्य दिलाने का प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

जी हां। भारत सरकार से गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु वार्ता हो रही है। कृषि मूल्य आयोग की पिछली बैठक में इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सुझाव दिये गये थे और प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से यह मांग की गयी थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य जो 117 रु० प्रति कुन्तल है उसे बढ़ाकर आगामी फसल के लिए 140 रु० प्रति कुन्तल कर दिया जाय, भारत सरकार से अन्तिम निर्णय इस प्रश्न पर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में गेहूं का प्रति क्विन्टल कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और ये आंकड़े किस एजेंसी से प्राप्त किये हैं ?

श्री मोहन सिंह--

गत सत्र में मूल्य माननीय कृषि मंत्री जी नें बताया था। वह सदन में बैठें हुये हैं। कृपया माननीय खाद्य मंत्री जी की वे ही मदद कर दें।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, करीब 140 रुपया प्रति क्विन्टल यह आता है।

श्री मोहन सिंह--

140 रु0 कास्ट आता है और उतना ही दिलाने की कोशिश करतें है, तो किसान को मुनाफा कितना दिलाना चाहते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मुनाफा मिलाकर 140 रु0 है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कास्ट आफ प्रोडक्शन के बारे मे पूछा गया है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी नें 140 रुपया दिया है। जब 140 रुपया कास्ट आफ प्रोडक्शन आता है और वही मूल्य किसानों को दिलाना चाहते हैं, तो किसानों को क्या मुनाफा बचेगा ?

श्री रियासत हुसैन--

भूसा।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, 130 रुपया प्रोडक्शन कास्ट आती है और 10 रुपया प्राफिट का ऐड करके 140 रुपया किया है।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, वह कास्ट आफ प्रोडक्शन 130 रुपया प्रति क्विन्टल बता रहे हैं और पहले 140 रुपया प्रति क्विन्टल बताया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको किस एजेन्सी से प्राप्त किया है ? खुद कलकुलेट किया है या किसी एजेन्सी से प्राप्त किया है ?

श्री बलरास सिंह यादव--

मान्यवर, इस पर निवेदन किया था कि कास्ट आफ प्रोडक्शन जो लगायी जाती है, उसमें लेवर कास्ट ली जाती है, एरीगेशन कास्ट लगायी जाती है और जो जमीन का किराया होता है वह लगाया जाता है। तो, इस प्रकार से, कुल मिलाकर कास्ट वर्क आउट की जाती है।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंनें 140 रुपया प्रति क्विन्टल की मांग केन्द्रीय सरकार से की है। यदि केन्द्रीय सरकार इसमें असमर्थता व्यक्त करती है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं का दाम 140 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से दिलवाने के लिए अपना नैतिक कर्तव्य स्वीकार करतें है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, यह तो हाइपोथेटिकल सवाल है। जैसी स्थिति आयेगी उसे देखेंगे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, प्रोफेसर साहब तो आपका भी काम अपने ऊपर लेना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन 130 रु० उन्होंने बताया, तो उसके सोर्सेज कलकुलेशन के क्या हैं यह आप तीनों कृषि विद्यालयों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो रिपोर्ट मांगी थी वह क्या है और जैसा कहा है कि उसमें लेवर कास्ट और फर्टिलाइजर वगैरह भी शामिल है, तो उसको फैलाकर बता दें कि किस तरह से कलकुलेट किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है हमारी जो इम्प्रूव्ड वरायटी है, सीड है एडवान्स टेक्निक है। कितनी मात्रा प्रति हेक्टेयर सीड दिया जाय, कितनी पानी दिया जाय, कितना फर्टिलाजर दिया जाय कितना डीजल लगता है कितना पानी को कास्ट आती है इन सब चीजों को वर्क आउट करके बताया गया है। विश्वविद्यालय का जो प्रश्न है, यह अलग है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

समय समाप्त हो गया तो पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर हो गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने यह कहा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन जो इन्होंने बताया है 130 रुपये, इसको फैलाकर बता दें।

श्री अध्यक्ष—

आप पुनः प्रश्न कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

कास्ट आफ प्रोडक्शन को फैलाकर बता दें। किस प्रकार से इसको ऐसेस किया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । श्री किरन पाल सिंह, आप बैठ जांय । समय समाप्त हो गया, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय नेता विरोधी दल ने जिस प्रश्न को उठाया है लिखित प्रश्न दे दें, उसका उत्तर आपको दिलवा दिया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कुरावली की सीवर लाइन

1--श्री बंशीधर तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया कुरावली में जो सीवर लाइन बिछाई जा रही है, इस कार्य को पूर्ण करने का सरकार द्वारा निर्धारित समय निकल चुका है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

टाउन एरिया कमेटी कुरावली, जिला मैनपुरी में बिछाई जाने वाली सीवर योजना के पूर्ण किए जाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया था ।

योजना के समस्त कार्य दिसम्बर, 1981 तक पूर्ण होने की आशा है ।

प्रदेश में डीजल का आवंटन

2--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को अप्रैल से नवम्बर तक 1980 में प्रतिमाह कितना डीजल प्राप्त हुआ और उसमें से प्रतिमाह कितना वितरित किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1072 पर) ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला बड़ा चांदगंज में मकानों का आवंटन

3--श्री दल गंजन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ा चांदगंज (छप्परतल्ला) लखनऊ में कितने मकान रेन्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत सन् 1972 से 31 अक्तूबर, 1980 तक आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 1972 से 31 अक्तूबर, 1980 की अवधि तक रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत बड़ा चांदगंज, लखनऊ के कुल नौ (9) मकानों का आवंटन किया गया, जिनमें छप्परतल्ला नामक मुहल्ले के दो (2) मकानों का आवंटन भी शामिल है ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समाप्त हो गया ।

4—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[4 थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जिला जौनपुर का भवन

5—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर, जौनपुर का अपना कोई भवन नहीं है ? जिससे जनता को घोर असुविधा हो रही है ? क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर, जौनपुर के भवन का शीघ्र निर्माण करायेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जिला जौनपुर के भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

थाना हजरतगंज, लखनऊ के मुकदमें का हस्तान्तरण

6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 1636 सी0 75, थाना हजरतगंज की विवेचना कोआपरेटिव सेल से हटाकर अनुसंधान शाखा को सौंप दी गयी है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । पुलिस उप महानिरीक्षक सी0 आई0 डी0 ने अभियोग की महत्ता के आधार पर अ0 सं0 1636 सी/75 थाना हजरतगंज, लखनऊ की विवेचना को दिनांक 14-2-78 को कोआपरेटिव सेल से सी0 आई0 डी0, सी0 बी0 को हस्तांतरित करने का आदेश पारित किया ।

तदनुसार, विवेचना सी0 आई0 डी0, सी0 बी0 को हस्तांतरित की गई ।

जिला सहकारी बैंकों में प्रशासक नियुक्त किये जाने की मांग

7—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला सहकारी बकों को ईमानदार और चुस्त तथा सहकारी बैंकों पर अंकुश बनाये रखने के लिए शासन निदेशक मंडल के बजाए जिला सहकारी निबंधक अथवा प्रशासकीय अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य संचालन कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो यह नीति कब से लागू हो जाने की संभावना है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं ।

जिला सहकारी बैंक निगमित निकाय हैं । इनका प्रबन्ध सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों/संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है । जब संचालक मण्डल सहकारी समिति अधिनियम नियमावली एवं उपविधियों द्वारा आरोपित कर्त्तव्यों के पालन में चूक करता है तो उसी दशा में प्रशासक को नियुक्त की जा सकता है । अतः प्रश्न में उल्लेखित नीति लागू किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि विकास बैंक द्वारा आजमगढ़ जिले में पम्पिंग सेटों की सम्पूर्ति

8—श्री पंचानन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में 20 अक्तूबर, 1980 को कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र पी० सी० एफ० के पास ऐसे थे जिन्हें पम्पिंग सेट नहीं प्राप्त हो सके ? और क्या उन्हें शीघ्र पम्पिंग सेट दिलाने के लिए सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

आजमगढ़ जनपद की भूमि विकास बैंक की शाखाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 अक्तूबर, 1980 तक किसानों को पम्पिंग सेट की सम्पूर्ति हेतु 221 अधिकार पत्र भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये जिसके विरुद्ध पी० सी० एफ० ने दिनांक 20-10-80 तक 202 पम्पिंग सेटों की सम्पूर्ति किसानों को कर दी थी, शेष अधिकार-पत्र पी० सी० एफ० को जैसे-जैसे प्राप्त हुए उसके विरुद्ध भी पम्पिंग सेटों की सम्पूर्ति कर दी गई है और इस प्रकार 20-10-1980 तक भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये अधिकार-पत्र के विरुद्ध कोई पम्पिंग सेट सम्पूर्ति होने को अवशेष नहीं हैं ।

श्री शब्बीर हसन, भूतपूर्व सहकारी पर्यवेक्षक का वेतन

9—श्री राम आसरे पासवान तथा श्री राम करन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शब्बीर हसन, भू० पू० सहकारी पर्यवेक्षक का बकाया वेतन 8-12-67 से 31-1-68 तक एवं 1-4-68 से 29-4-68 तक का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, गोरखपुर को इस सम्बन्ध में उ० प्र० सहकारी बैंक यूनियन लि० के लेखाधिकारी ने 9 पत्र विभिन्न तिथियों में लिखे हैं ? यदि हां, तो उनका बकाया वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री शब्बीर हसन, भूतपूर्व सहकारी पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि 29-2-68 थी परन्तु त्रुटि वश उनको दिनांक 1-3-68 से 8-4-68 तक का वेतन भुगतान हो गया जिसके समायोजन न होने के कारण इनको दिनांक 8-12-67 से दिनांक 31-1-68 तक का वेतन भुगतान लम्बित रहा । दिनांक 1-4-68 से 29-4-68 तक का वेतन भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, गोरखपुर को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन लि०, लखनऊ के लेखाधिकारी ने विभिन्न तिथियों में तीन पत्र लिखे ।

सहकारी पर्यवेक्षकों की ग्रेडेशन लिस्ट

10—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने मई, 1977 में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 की एक मिली-जुली प्रोविजनल ग्रेडेशन लिस्ट प्रकाशित की और उस पर एतराज मांगा था ? क्या यह

[श्री ऊदल--]

सही है कि सहकारी सुपरवाइजर का पद सरकारी नहीं है और सुपरवाइजर से पदोन्नति सहकारी निरीक्षकों के पेंशन निर्धारण में सुपरवाइजर काल की सेवा राजकीय सेवा नहीं जोड़ी जाती ? यदि हां, तो ग्रेडेशन लिस्ट में कैसे सुपरवाइजर से विभिन्न वर्षों में पदोन्नति निरीक्षकों को आयोग से भर्ती निरीक्षकों की तुलना में सीनियर बनाया गया ? और क्या ग्रेडेशन लिस्ट का फाईनल प्रकाशन एतराजों के निस्तारण के बाद हो गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

जी हां । लेकिन सहकारी पर्यवेक्षक निरीक्षक वर्ग-2 के पद पर पदोन्नति पाने के उपरान्त सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं और उनकी ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती वाले निरीक्षक वर्ग-2 के साथ नियमानुसार निर्धारित की जाती है ।

जी नहीं, क्योंकि प्रकाशित लिस्ट के विरुद्ध बहुत से प्रत्यावेदन प्राप्त हुये थे और लोक सेवा अधिकरण में निदेश याचिका दायर की गई थी, जो अभी लम्बित है ।

11--श्री ऊदल--

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

सहकारी निरीक्षकों के पद पर की गयी पदोन्नतियां

12--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग प्रथम पद पर वर्ष 78-79 व 79-80 में कुल कितनी पदोन्नतियां की गयीं ? क्या यह पदोन्नतियां अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली, 1979 के अधीन लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पदोन्नति रूल्स, 1970 की धारा 5 तथा पार्ट IV के अन्तर्गत आयोग के परामर्श से की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 78-79 व 79-80 में सहकारी निरीक्षक वर्ग प्रथम के पद पर कुल 84 पदोन्नतियां की गई । यह पदोन्नतियां सीधी भर्ती के निरीक्षकों के कोटे के स्थान पर कार्य संचालनार्थ तदर्थ एवं अस्थायी व्यवस्था में अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली, 1979 के अधीन की गई। इन नियुक्तियों के लिए लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं थी ।

टिहरी गढ़वाल जिले की श्रम संविदा सहकारी समितियों को दिया गया ठेका

13--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में इस समय कुल कितनी श्रम संविदा समितियां पंजीकृत हैं तथा जनवरी, 1979 से अब तक इनमें से कितनी समितियों को राजकीय विभागों से जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद के अन्दर निर्माण कार्यों का संचालन कर रहे हैं निर्माण कार्यों के हैं अथवा काम कितने-कितने रुपयों के तथा किस-किस विभाग के द्वारा दिये गये ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद टिहरी गढ़वाल में अब तक कुल 33 श्रम संविदा सहकारी समितियां पंजीकृत हुयी हैं ।

जनवरी, 1979 से नवम्बर, 1980 तक इन 33 समितियों में से 19 श्रम संविदा सहकारी समितियों को 6 विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा, जो जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्दर निर्माण आदि कार्यों का संचालन कर रहे हैं, निम्न संख्या में तथा धनराशि के ठेके, जो कि उसके सम्मुख अंकित हैं, दिय गये हैं :—

विभाग का नाम	ठेकों की संख्या	ठेकों की धनराशि
		रु0
1—वन विभाग	15	16,34,450
2—सार्वजनिक निर्माण विभाग	17	5,92,731
3—सिंचाई विभाग	8	7,33,333
4—खनिज विभाग	2	1,01,583
5—ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	1	72,000
6—विकास खंड	1	8,920
योग ..	44	31,43,017

एक समिति को टेन्डर देने पर भी ठेका मन्जूर नहीं हुआ।

थाना कोतवाली, जिला फैजाबाद में श्री रामसूरत पाठक के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

14—श्री मित्रसेन—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976 में अपराध संख्या 904 थाना कोतवाली, फैजाबाद के अन्तर्गत 36, 647, 75 के गबन सम्बन्धी कोई रिपोर्ट श्री भागीरथी वर्मा सी0 ओ0 उपभोक्ता ने श्री राम सूरत पाठक आदि के विरुद्ध दर्ज कराई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी, विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) फैजाबाद के यहां अभियोग विवेचनाधीन है ।

श्री राम शब्द यादव, सचिव, साधन सहकारी समिति, शाहपुर, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

15--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद में साधन सहकारी समिति शाहपुर विकास खंड भनवापुर के सचिव श्री राम शब्द यादव के विरुद्ध कुछ गंभीर धन वितरण की अनियमितता की शिकायत जुलाई, 1980 में की गई थी तथा इसकी जांच सहकारी बैंक बस्ती के सचिव ने की थी ? और उनका स्थानान्तरण वहां से करके उन्हें निलम्बित भी किया गया था ? क्या यह सही है कि वह अभी वहीं बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा जांच आख्या जो सचिव द्वारा प्रेषित है, को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जुलाई, 1980 में शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती भनवापुर ने उर्वरक वितरण के चेकों के समायोजन तथा खाद वितरण न किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती को एक पत्र श्री राम शब्द यादव, सचिव, सहकारी संघ भनवापुर, जो साधन सहकारी समिति, शाहपुर के सचिव भी थे, के विरुद्ध लिखी, जिसकी जांच बैंक के सचिव ने बैंक के कार्य अधिकारी से कराई । जांच में जांच अधिकारी ने यह पाया कि सदस्यों को उर्वरक वितरित किया गया है यद्यपि कुछ विभागीय निर्देशों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जाना पाया गया । समिति के सचिव के विरुद्ध धन के अपहरण सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । श्री यादव को शाखा प्रबन्धक के पत्र पर समिति से स्थानान्तरित कर मुख्यालय पर सम्बद्ध किया गया था परन्तु जाँच अधिकारी की आख्या के आधार पर उनका स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया । श्री यादव को निलम्बित नहीं किया गया था । चूंकि जांच सचिव जिला सहकारी बैंक, बस्ती द्वारा नहीं की गई थी अतः उनके द्वारा की गई जाँच आख्या सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

16--श्री पंचानन--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लि0, फैजाबाद में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की गम्भीर शिकायतें जुलाई, 1980 में शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या-क्या हैं ? शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा दोषी पाये व्यक्तियों को क्या सजा दी गई है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

जुलाई, 1980 में शासन को इस सम्बन्ध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी । प्रथम शिकायती-पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1980 को सर्वश्री राम सहाय गुप्त तथा श्री रामशंकर पाण्डेय के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्राप्त हुआ था तथा दूसरा शिकायती पत्र दिनांक 22 जुलाई, 1980 को श्री राज बहादुर द्विवेदी के हस्ताक्षर से शासन को दिया गया था, जिसमें मुख्यतः निम्न शिकायतें की गई थीं :--

1--बैंक परिसर में कैन्टीन तथा पान की दुकान का संचालन ।

2—श्री अरविन्द कुमार मिश्र को बैंक की चाकरी में पुनः अनियमित ढंग से रखा जाना तथा एक अच्छी खासी धनराशि बकाये के रूप में उन्हें भुगतान कराना ।

3—कर्मचारियों के चुनाव किए जाने में अनियमितता ।

4—राजपूत इलेक्ट्रिक स्टोर को बैंक से अनियमित रूप में अग्रिम दिया जाना ।

5—कर्मचारियों के स्थानान्तरण मनमाने ढंग से किया जाना ।

6—कर्मचारियों की पदोन्नतियां अनियमित ढंग से करना ।

7—श्री जवाहर लाल, को सहायक सचिव के पद पर अनियमित नियुक्त किया जाना ।

8—बैंक के भवन का न बनवाया जाना ।

9—अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना एवं बैंक को मधुशाला के रूप में परिवर्तित करना ।

10—जीपों का दुरुपयोग किया जाना ।

इन शिकायतों की जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को दन्डित कराने की कार्यवाही की जा रही है । बैंक के तत्कालीन सचिव को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु बैंक की प्रबन्ध समिति को उप निबन्धक द्वारा आरोप-पत्र एवं कारण बताओ नोटिस दी जा चुकी है ।

बस्ती जिले में सहकारिता विभाग द्वारा खाद पर दी गई कथित छूट

17—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के विकास खंड, इटवा भनवापुर तथा खुनियांव में पिछले खरीफ अभियान, जून, जुलाई, अगस्त, 1980 में किन-किन काश्तकारों को खाद में छूट सहकारिता विभाग द्वारा दी गई ? क्या उनके नाम और पता सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

बस्ती जनपद के विकास खंड इटवा, भनवापुर तथा खुनियांव में खरीफ जून, जुलाई, अगस्त, 1980 में किसी भी कृषक सदस्य को सहकारिता विभाग द्वारा खाद में छूट नहीं दी गई।

सहकारी ऋण में किया गया परिवर्तन एवं ब्याज

18—श्री दीपू—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी ऋण के संबंध में सूखा के कारण 1-10-79 को खरीफ मांग मंगाई गई थी ? और उसको 3 वर्ष के लिए मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन करने का आदेश हुआ था ? साथ ही उस पर लगे ब्याज को माफ करने के लिये आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या किसान इस आदेश का लाभ उठा पाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, केवल उस क्षेत्र के कृषकों को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने की सुविधा दी गयी जहां सूखे के कारण फसल को 50% से अधिक की हानि हुई। साथ ही लघु एवं सीमांत कृषकों में वितरित सहकारी अल्पकालीन ऋण पर देय ब्याज की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये जा चुके हैं। ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्राचार चल रहा है।

जिला सहकारी बैंक, आजमगढ़ के हरिजन कर्मचारी

19--श्री दीपू--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, आजमगढ़ में कितने हरिजन अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि कार्यरत नहीं हैं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जिला सहकारी बैंक लि0, आजमगढ़ में एक हरिजन अधिकारी तथा 11 (ग्यारह) हरिजन कर्मचारी कार्यरत हैं।

20--श्रीमती कमला साहनी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा वरिष्ठ विक्रेताओं का चयन

21--श्री पंचानन--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा वरिष्ठ विक्रेता पद के लिए 11 अभ्यर्थियों का कोई चयन वर्ष 1979-80 में किया गया था ? यदि हां, तो उसमें से कितने अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है ? तथा जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। सभी 11 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

बदायूं जिले के इस्लामनगर का शुगर प्लान्ट

22--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं के डी0 सी0 डी0 एफ0 द्वारा लगाये गये शुगर प्लान्ट इस्लामनगर, जनपद बदायूं की पिछले दो वर्ष की आय क्या है ? यह प्लान्ट आज कल चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जिला सहकारी संघ लि0, बदायूं द्वारा इस्लामनगर (बदायूं) में 1964-65 में एक सल्फेटेशन प्लान्ट की स्थापना की गई थी। उक्त प्लान्ट में हानि होने के कारण इसे वर्ष 1971-72 में बेच दिया गया।

अतः पिछले दो वर्षों में आय होने का प्रश्न नहीं उठता।

23--श्री ऊदल--

[29-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 23 द्वारा उत्तरित ।]

आगरा जिले के ग्राम वैपन के चीनी विक्रेता, श्री प्यारेलाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

24--श्री बदन सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 9 नवम्बर, 1980 को एक शिकायती-पत्र वैपन ग्राम के चीनी विक्रेता (श्री प्यारे लाल, निवासी जैगास, तहसील किरावली, जिला आगरा) के खिलाफ भेजा था ? यदि हां, तो क्या उस भ्रष्ट दुकानदार की चीनी की दुकान रद्द की गई ?

श्री वासुदेव--

जी हां । प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । दुकान रद्द कर दी गई है ।

जौनपुर जिले हेतु प्रस्तावित चिकित्सालय

25--श्री जंगबहादुर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में नये चिकित्सालयों के प्रारम्भ करने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने एलोपैथिक आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय जनपद में कहां-कहां खोले जावेंगे ? और कार्य कब से प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री लोकपति--

जी हां । जनपद जौनपुर में एक एलोपैथिक (महिला) चिकित्सालय, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के प्रारम्भ करने की योजना शासन के विचाराधीन है । महिला चिकित्सालय पुराना शहर, जौनपुर में स्थापित किये जाने संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं । ग्राम भूपति पट्टी, ब्लाक धर्मापुर तहसील सदर में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के स्थान का चयन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। स्थानों का चयन हो जाने के पश्चात कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

गोरखपुर जिले की ड्रेनेज योजना

26--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए डेढ़ करोड़ की योजना तैयार की गई थी ? यदि हां, तो क्या 29 जून, 1971 को प्रदेश सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो क्या ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं ।

[श्री कृष्ण गोयल--]

एक योजना 33·29 रु0 लाख की बन गई थी जिसके समक्ष दिनांक 29 जून, 1971 को सरकार द्वारा 5 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। तदोपरान्त वर्ष 1975-76 में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु बनाई गई 46·6 लाख रु0 की योजना के प्राक्कलन में 33·29 लाख रु0 की योजना को भी शामिल कर लिया गया। इस प्राक्कलन के समक्ष धर्मशाला बाजार से डोमिन गढ़ की ओर 3 किलोमीटर लम्बे बरसाती नाले का निर्माण किया गया था जिससे धर्मशाला बाजार से डोमिन गढ़ तक के क्षेत्र में जहां तक नाली बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार हुआ है।

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, गोरखपुर को आवंटित मकान की मरम्मत

27--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रभारी अधिकारी नगरपालिका गोरखपुर को जून सन् 1980 में गोलघर श्री गांधी आश्रम के पीछे कोई मकान आवंटित किया गया जिसमें दर्जनों हरे पेड़ भी थे? क्या इस मकान के आवंटन के बाद इसके साज-सज्जा व मरम्मत में नगरपालिका गोरखपुर द्वारा लगभग बीसों हजार रुपया खर्च किया गया और हरे पेड़ों को बिना अनुमति के काटकर नीलाम कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रभारी अधिकारी नगरपालिका को प्रश्नगत मकान दिनांक 19 मई, 1980 को आवंटित किया गया जिस पर प्रभारी अधिकारी को दिनांक 12-7-80 से कब्जा मिला। इस बंगले के परिसर में केवल एक पेड़ था जिसे नियमानुसार नीलाम किया गया।

मकान आवंटन के बाद साज-सज्जा व मरम्मत आदि में मात्र 4,987·58 रु0 का व्यय किया गया है। यह मकान दिनांक 8-8-70 से 11-7-80 तक नगरपालिका के कब्जे में नहीं था और न इसकी कोई मरम्मत आदि ही हुई थी, अतः इसकी मरम्मत आदि कराना अत्यन्तावश्यक था।

साधन सहकारी समिति, अनन्तपुर, जिला देवरिया में गबन

28--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले के साधन सहकारी समिति अनन्तपुर में 1974-75 एवं 1979-80 में आडिट रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः 81,121 रु0 व 80,000 रुपये का गबन हुआ है? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 1974-75 के नहीं अपितु इस समिति के वर्ष 1975-76 के विशिष्ट सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन में 81091·34 रु0 का अपहरण बताया गया। परन्तु विभागीय छानबीन के पश्चात् केवल 51,714·07 रु0 की धनराशि का ही अपहरण पाया गया। सम्बन्धित कर्मचारियों से 2,859 रु0 की वसूली हो चुकी है एवं धन समिति में जमा किया जा चुका है। शेष 48,855·07 रु0 गबन के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भूतपूर्व आंकिक एवं सरपंच के विरुद्ध दर्ज की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उक्त अपहरित धनराशि में से 24,257·43 रु0 की धनराशि पर मध्यस्थ द्वारा भूतपूर्व आंकिक पर डिग्री ली जा चुकी है तथा वसूली की कार्यवाही चल रही है।

वर्ष 1979-80 का आडिट समिति में अभी नहीं हुआ है।

29--श्री जटा शंकर सिंह--

[4 थे गुरुवार के लिए स्थगित]

30-31-32--श्री राम आसरे वर्मा--

[4 थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37-38 तथा 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

33--श्रीमती गौरी देवी--

[4 थे गुरुवार के लिए स्थगित]

34-श्रीमती गौरी देवी--

[2 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

35-श्री पंचानन--

[4 थे गुरुवार के लिए स्थगित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ागांव वाराणसी में आवास एवं पानी की व्यवस्था

36-श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव वाराणसी में द्वितीय डाक्टर के लिए अब तक आवासीय व्यवस्था नहीं है और न तो पूरा पानी का ही इंतजाम उक्त अस्पताल में है ? यदि हां, तो उक्त कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त आवासिक भवनों के निर्माण की कोई योजना न होने के कारण सम्प्रति द्वितीय चिकित्सक के आवासिक भवनों का निर्माण करवाना सम्भव नहीं है ।

उक्त केन्द्र में तीन हैन्ड पम्प, एक कुआं तथा जल निगम के एक आधे इंच के पाईप लाईन द्वारा जल सम्पूर्ति की जा रही है । प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल निगम के माध्यम से मोटा पाइप लाईन लगाने की कार्यवाही की जा रही है ।

लखीमपुर खीरी के भूतपूर्व सी0 एम0 ओ0 डाक्टर आर्य के द्वारा दवाइयों की खरीद

37-श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर के सी0 एम0 ओ0 डा0 आर्य जिला लखीमपुर खीरी में दवाइयों की खरीद फरोख्त में लाखों का घपला किया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

डा0 आर्य जिला लखीमपुर खीरी में दिनांक 4-8-1970 से 6-7-73 तक तैनात थे । उनके कार्यालय के मई, 1972 से जून 1973 तक की अवधि का महालेखाकार के सम्प्रेक्षा दल द्वारा किए गए आडिट के फलस्वरूप रु0 9810.75

[श्री लोकपति---]

मूल्य के डस्टिंग पाउडर, काटन, निडल होल्डर्स के क्रय में कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई । इनमें से अधिकतर आपत्तियों का निराकरण हो गया है ।

आयुर्वेदिक कल्पकों की नियुक्ति

38--श्री कदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि सन् 1980 में कितने आयुर्वेदिक कल्पकों की नियुक्तियां की गई हैं, उसका आधार क्या बनाया गया था ? क्या यह सत्य है कि उसमें कुछ लोगों को जो सीनियारिटी में आते थे और पहले के कल्पक ट्रेनिंग लिए हैं, नहीं लिया गया है ? क्या सरकार उस लिस्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति---

वर्ष 1980 में 64 आयुर्वेदिक कल्पकों की नियुक्तियों की गई । यह नियुक्तियां कल्पक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से ही की गई है । समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों से आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए । प्राप्त आवेदन-पत्र के आधार पर नियुक्ति अधिकारी ने चयन समिति गठित की जिसमें अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता कल्पक ट्रेनिंग में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर चयन सूची तैयार की । नियुक्ति इस सूची की योग्यता क्रमानुसार की गई है । कल्पक की ट्रेनिंग पहले या बाद में करना चयन का आधार नहीं था । अतः पहले ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्तियों को चयन तथा नियुक्ति में वरीयता देने का प्रश्न नहीं है । चयन सूची* सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।*

39--श्री प्रभु नारायण सिंह---

[3 रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

40--श्री राम आसरे वर्मा---

[3 रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

41--श्री श्याम लाल बाजपेयी---

[4 थे गुरुवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, न्यूतनी का उच्चीकरण

42--श्री मोहन सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में न्यूतनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति---

जी हां । भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत इस केन्द्र को उच्चीकृत कर 10 शैय्यायुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । परन्तु इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

*नोट :---छापी नहीं गई ।

बाराबंकी जिले में महिलाओं के आपरेशन के फलस्वरूप कैंसर रोग का प्रकोप

43–श्री श्याम लाल बाजपेयी––

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि आपातकाल में नसबन्दी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं के आपरेशन काफी असफल रहे हैं ? क्या शासन बाराबंकी जनपद में जिन महिलाओं को आपरेशन की खराबी के कारण कैंसर जैसे रोग का सामना करना पड़ रहा है उनके श्रेष्ठ इलाज की व्यवस्था करायेगा ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इसकी घोषणा कब होगी ?

श्री लोकपति––

आपातकाल में नसबन्दी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं के आपरेशन असफल रहने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जनपद बाराबंकी में स्थित महिला चिकित्सालय में ऐसी कोई महिला नहीं आई, जिसे महिला नसबंदी के कारण कैंसर रोग होने की शिकायत हो गई हो । अतः उनके श्रेष्ठ इलाज कराये जाने तथा घोषणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता । वैसे राज्य में न केवल कैंसर अपितु अन्य गम्भीर रोगों के इलाज की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है ।

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का सेलेक्शन ग्रेड

44–श्री राम लाल––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वेतन आयोग ने (1971) राज्य सरकार के 10 प्रतिशत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या वह उन्हें प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति––

जी हां ।

वर्तमान में मलेरिया विभाग को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है व स्टेट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ तथा स्टेट इन्स्टीट्यूट पटवाडांगर, ननीताल के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को देने के आदेश पारित किये जा चुके हैं । मेडिकल कालेजों तथा चिकित्सालयों के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रुप न दिये जाने के कारण यह सुविधा अभी नहीं दी जा सकी है ।

टाउन एरिया कमेटी, माधोगंज, जिला हरदोई का आडिट

45–श्री राम आसरे वर्मा––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के टाउन एरिया कमेटी माधोगंज का 1971 से 1977 तक का सुपर आडिट किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये ? इस संबंध में दिसम्बर, 1980 में श्री त्रियुगी नारायण शुक्ला द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र टाउन एरिया कमेटी के निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

अभी आडिट का काय चल रहा है और शासन को रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई ।

जी हां ।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को निदेश दिए हैं कि वे शिकायतों की जांच कराकर आख्या भेजें ।

नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी की पेयजल योजना, आय तथा दिया गया ऋण

46—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका भदोही, जिला वाराणसी में पेयजल की सप्लाई ठीक से नहीं होती और बहुत से मुहल्लों में पानी एक दम नहीं जाता ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर पालिका, भदोही, जिला वाराणसी में वर्तमान समय में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर रही है । भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये जल निगम द्वारा पेयजल पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने में लगभग 6 माह का समय लगने की सम्भावना है ।

47—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका भदोही, जिला वाराणसी की आय सन् 1975 से लेकर नवम्बर, 1980 तक प्रति वर्ष क्या रही है और इन वर्षों में सरकार ने किन-किन मदों में कितना रुपया ऋण एवं अनुदान में दिया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

विवरण संलग्न है ।

(देखिये परची 'घ' आगे पृष्ठ 3 पर)

48—श्री ऊदल—

क्या सरकार बतायेगी कि ऋण एवं अनुदान जो भदोही जिला वाराणसी को दिया गया है उसका उपयोग हो गया है या नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जल सम्पूर्ति, जलोत्सारण एवं मलोपयोगी योजना हेतु नगरपालिका भदोही द्वारा प्राप्त धनराशि जल निगम वाराणसी को हस्तान्तरित कर दी गई है क्योंकि यह कार्य अब जल निगम द्वारा किया जाना है । पालिका द्वारा सड़क अनुदान की प्राप्त धनराशि में से 3,337 रु0 का उपयोग होना शेष है ।

49--श्री ऊदल--

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

भदोई नगर पालिका, वाराणसी में सफाई मजदूरों की कमी

50--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही नगरपालिका, वाराणसी में सफाई मजदूरों की कमी है। जिससे गंदगी बनी रहती है ? यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये कोई कारगर कदम उठाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका भदोही (वाराणसी) की वर्तमान जनसंख्या तथा क्षेत्र के दृष्टिगत सफाई कर्मचारियों की कमी है किन्तु पालिका द्वारा समय-समय पर गंदगी को दूर करने हेतु आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता रहा है।

सफाई व्यवस्था करना नगरपालिका का अनिवार्य कर्त्तव्य है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खंजनी, जिला गोरखपुर के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

51--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान करने का प्राविधान था ? यदि हां, तो क्या प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र खंजनी जिला गोरखपुर के कर्मचारियों का वेतन भुगतान अक्तूबर माह सन् 1980 का दीपावली के पूर्व दिनांक 7-11-1980 को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंजनी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के आहरण एवं वितरण अधिकार जांच के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर ने स्वयं ले लिए थे और उक्त केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेख भेजने के लिये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश भी दिये गये थे, परन्तु उनसे उक्त पत्रादि प्राप्त न होने के कारण वेतन भुगतान करना सम्भव नहीं हो सका। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान दिनांक 13-11-1980 को कर दिया गया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटहट जिला गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

52--श्री केदारनाथ सिंह-

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदारनाथ सिंह, ज्योति प्रेस, पार्क रोड, गोरखपुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटहट, जिला गोरखपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं दलगत क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में कोई

[श्री केदारनाथ सिंह---]

शिकायती पत्र दिनांक 28-7-1979 को विभाग को दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति---

जी हां, शिकायतों पर जांच हो रही है ।

जिला सहकारी बैंक लि0, मुजफ्फरनगर द्वारा गुड़ एवं खाण्डसारी औद्योगिक सहकारी समितियों को दिया गया ऋण

5 3---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय सहकारी समिति उप निदेशक, मेरठ मंडल ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1976 ई0 को डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर इसके बाद बैंक से कहा है कि कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में हुए निरीक्षणों व इस कार्यालय के आदेश संख्या 3574-77/3 निबं0 दिनांक 16-10-76 द्वारा उ0 प्र0 सह0 समिति अधि0 1965 (उ0 प्र0) (अधि0 सं0 11-1966) की धारा 68 के अधीन तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी ने वर्ष 1973-74, 1974-75 में जानबूझ कर अनियमित रूप से मुजफ्फरनगर की गुड़ एवं खांडसारी औद्योगिक सहकारी समितियों की भारी धनराशि रु0 24,82,13,971 के ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जो प्रबन्ध मंडल को देय है, को नोटिस दिया ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा ।

श्री वासुदेव सिंह---

उप निबन्धक, सहकारी समितियां उ0 प्र0 मेरठ मंडल मेरठ में दिनांक 13 दिसम्बर, 1976 को एक नोटिस मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि0, के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्यों को गुड़ एवं खांडसारी औद्योगिक सहकारी समितियों को वितरित किए गए ऋण के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम की धारा 68 के अधीन दिया था, जिसका स्पष्टीकरण अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 को सहकारी समिति उप निबन्धक उ0 प्र0 मेरठ मंडल, मेरठ को प्रेषित किया।

अध्यक्ष एवं संचालक मंडल मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि0 के स्पष्टीकरण व व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर उप निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 मेरठ मंडल मेरठ के दिनांक 13 जुलाई, 1979 को उक्त नोटिस को निरस्त कर दिया ।

यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति

54---श्री झिलमिट राम---

क्या सहकारिता मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के प्रदेश में कितने सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति 1970 से नवम्बर, 1980 तक सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 के पद पर की गई ? तथा कितने सहकारी पर्यवेक्षक वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को पदोन्नति से वंचित करके उनसे कनिष्ठ पर्यवेक्षकों को पदोन्नतियां की गयीं और उसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[12 बजकर 20 मिनट]

ग्राम टाण्डा जिला मेरठ के किसानों की फसल हरियाणा प्रान्त के किसानों द्वारा जबरदस्ती काट लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में 17 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें 5 स्वीकार हुईं ।

*श्री नरेन्द्र सिंह--

मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन को एक अत्यन्त सार्वजनिक महत्व के विषय की सूचना देना चाहता हूं ।

मान्यवर, ग्राम टाण्डा, तहसील बागपत, जिला मेरठ, यमुना नदी पर स्थित है । उक्त गांव थाना छपरौली के अन्तर्गत आता है । यमुना नदी के दूसरी ओर ग्राम खवाजीपुर ग्राम खवाजीपुर खुर्द तथा ग्राम रमाल हरियाणा प्रान्त में स्थित है । यमुना नदी के खादर की भूमि के कब्जे को लेकर दोनों ओर के हजारों ग्रामीणों के बीच भीषण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह आशंका है कि किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है ।

महोदय, दिनांक 20-1-81 को ग्राम टाण्डा के सैकड़ों किसान अपनी यमुना खादर की भूमि में कार्य में लगे थे । उसी समय उपरोक्त हरियाणा प्रान्त के करीब 900 व्यक्तियों ने मय हथियारों के टांडा गांव के किसानों पर गोली चलानी शुरू कर दी । टांडा गांव के किसान जो प्रायः सभी मुसलमान हैं, अपनी जान बचाकर खेतों से भाग आये । हमलावर टांडा के अल्लादिया के दो बैल तथा यूसुफ की एक भैंसा बुग्गी जबरदस्ती हरियाणा ले गये और तब से ही टांडा के लोगों की ईख आदि फसल को जबरदस्ती काट कर ले जा रहे हैं । उसके बाद दिनांक 21-1-81 में दोबारा उपरोक्त हरियाणा गांवों के हजारों लोग हथियारों से लैश होकर टांडा गाँव पर हमला करने आये थे ।

मान्यवर, हरियाणा की पुलिस की साजिश से टांडा के लोगों की फसल काटी जा रही है । हरियाणा की पुलिस ने अनेकों टांडा गांव के किसानों के खिलाफ फर्जी गम्भीर अपराधों की धाराओं के अन्तर्गत मुकदमात कायम कर दिये हैं और उन्हें जबर्दस्ती गांव से उठा ले जाना चाहते है । पूरे गांव टांडा के लोग भयभीत हैं ।

महोदय, उ0 प्र0 सरकार इस ओर उदासीन है । ग्रामीण पूर्ण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । विवादस्पद खेतों के बारे में दीक्षित एवार्ड के अन्तर्गत रिकार्ड तथा नक्शे आदि किसानों को नहीं दिखाया जा रहा है । सरकार से तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं । मान्यवर, मेरा निवेदन कि इस पर वक्तव्य दिला दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुलन्दशहर जिले में डकैतों द्वारा नलकूपों की विद्युत् मोटरों तथा अन्य विद्युत् सामान की डकैती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार व सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के हालात की ओर ले जाना चाहता हूं। जनपद बुलन्दशहर में माह दिसम्बर, जनवरी 80/81 से किसानों के नलकूपों की विद्युत् की मोटरों, स्टार्टर, विद्युत् सैट तथा विद्युत् ट्रांसफार्मरों की चोरी, डकैतियों की बाढ़ आ रही है। प्रत्येक रात को डकैत ट्रक में सवार होकर विभिन्न गांवों के नलकूपों पर आते हैं और विद्युत् मोटर, स्टार्टर, विद्युत् सैट तथा ट्रांसफारमरों को बल पूर्वक निकाल कर ले जाते हैं। जो भी किसान व उसका सहायक जो अपने नलकूप पर रखवाली के लिए सोये हुये होते हैं उन्हें बांध कर डाल जाते हैं तथा विरोध करने पर घायल कर देते हैं या गोली मार जाते हैं। माननीय, पिछले एक माह में सैकड़ों ऐसी वारदात हो चुकी हैं। मैंने स्वयं 24 दिसम्बर को पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ रेंज से मिल कर भी इस आशय की शिकायत की थी। मैं इस बारे में गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भी लिख चुका हूं लेकिन इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विदित हो कि एक नलकूप पर डकैती से एक किसान का लगभग 10 हजार रुपय का सामान चला जाता है तथा इतना ही रुपया फिर उस गरीब किसान को उस सामान को खरीदने में लगता है।

माननीय, ऐसी जानाकरी मिल रही है कि इन डकैतियों में विद्युत् विभाग के कुछ कर्मचारी, पुलिस के कुछ लोग तथा विद्युत् विभाग के बड़े ठेकेदार शामिल हैं। माननीय, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नलकूपों पर इन डकैतियों से किसानों में भय व आक्रोश व्याप्त है। नलकूपों के ठप्प हो जाने से किसानों को रबी की फसल की सिंचाई में बहुत कठिनाई हो रही है। अतः माननीय, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सरकार को निदश दें कि नलकूपों पर बढ़ी हुई डकैतियों, चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठावें।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त है। दिनांक 3-2-81 को अपरान्ह दिल्ली से आकर सी० बी० आई० के एक टीम ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के ग्रन्थागार को सील कर दिया है, कुलपति तथा पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध गबन के अनेक मामले थे, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की अनेकों दुर्लभ पाण्डुलिपियां विदेशों में बेंच दी गयी हैं। इसकी शिकायत ऊपर से नीचे तक की गयी। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ने 3-2-81 को छापा मार कर आवश्यक सामग्रियों को जिन्हें चुरा कर बेंचा जाने वाला था, उसे सील कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विया है । कुलपति और पुस्तकाध्यक्ष फरार हो गये हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाने वाली है, सदन के माध्यम से शासन के संज्ञान में घटना को लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं तथा शासन से मांग करता हूं कि इस संदर्भ में सदन में भी वक्तव्य दें ।

नैनीताल जिले के मजदूर नेता श्री जसवीर सिंह व कामरेड करमसिंह व चौधरी हर स्वरूप की नादेही शुगर फैक्ट्री के मैनेजर द्वारा हत्या कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन और शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, दिनांक 25-11-80 को नैनीताल जिले के अन्तर्गत नादेही शुगर फैक्ट्री के जनरल मैनेजर व चीफ केन मैनेजर की नापाक एवं घृणित साजिश के कारण स्थानीय मजदूर नेता श्री जसवीर सिंह तथा कमरेड करन सिंह (भूतपूर्व अध्यक्ष म्युनिसिपल बोर्ड) और चौधरी हरस्वरूप को ट्रैक्टर और ट्राली से कुचल कर निर्मम हत्या करवा दी गई । इस पैशाचिक काण्ड से पूरे जिले और आस-पास से किसान जनता की आत्मा द्रवित एवं आन्दोलित हो उठी है और हजारों हजार कण्ठों से एक स्वर से मांग की है कि कातिल और पिशाच जनरल मैनेजर पर हत्या का मुकदमा चलाया जाय । प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोनों हत्यारों पर नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी सरकारी तंत्र उनको गिरफ्तार न करके उनके पापों को संरक्षण दे रहा है । श्रीमन्, अनशन पर बैठे जिन सत्याग्रहियों की ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है, न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की गई, अपितु जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए एक कलंक है । मान्यवर, अपराधी अधिकारियों को संरक्षण देने की सरकारी आचरण से जनता में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है और जनतंत्र से न्याय पाने की आशा पर गहरा कुठाराघात हुआ है । अस्तु इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके माध्यम से चाहूंगा कि अविलम्ब हत्यारों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाये ।

इलाहाबाद की तहसील सोरांव व फूलपुर के कतिपय गांवों में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित तथ्यों की ओर माननीय सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव एवं फलपुर में विगत 24-1-81 को हुई ओला वृष्टि से भयानक एवं आकस्मिक क्षति से सम्पूर्ण क्षेत्र तहस-नहस हो गया है । उक्त 24 जनवरी की ओला वृष्टि से किसानों की फसलें तो नष्ट हुई ही हैं उनके घरों की खपरैल पूर्णतः नष्ट हो गई है । ओला वृष्टि की विनाश लीला की चपेट में पड़े फूलपुर तहसील के गोवर्द्धनपुर, भवनीगढ़, हटिया, छाता, शीतलपुर, भौंका, जाम्हा, माधोपुर, राजेतारा, किरांव, छिछवापुर चक श्याम, सराय लहुरी तथा सोरांव तहसील के मलाक हरहर, भदरी मलाक चौधरी, सरायं बाहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राधेश्याम पटेल--]

शिवगढ़, बादलपुर, सरसा, दादूपुर, अब्दालपुर आदि गांव विशेष रूप से चौपट हो गये हैं। लोग निराश एवं परेशान हैं। जानवरों के चारे का अभूतपूर्व संकट एवं अभाव असह्य हो गया है। ऐसे दुर्दिन में सरकारी ऋणों व मालगुजारी की कड़ाई के साथ वसूली तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी से किसान त्रस्त एवं परेशान हैं। इनका जीवन दूभर हो गया है। सम्बन्धित सहायक कलेक्टर तथा तहसीलदार मौन साधे बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से उपरोक्त तथ्यों की जानकारी सदन में देकर शासन से मांग करता हूं कि ओला वृष्टि से भयानक रूप से पीड़ित एवं विनष्ट क्षेत्रों की अविलम्ब जांच कराकर सरकारी वसूली तत्काल स्थगित व माफ की जाय, पीड़ित लोगों की सहायता की जाय तथा किसानों को उनकी फसलों की क्षति को देखते हुए मालगुजारी से मुक्त किया जाय और गत अतिवृष्टि और पुनः ओले वृष्टि से पीड़ित गांव के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदन के समक्ष कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो निर्णय लिए गये हैं, उसकी सूचना दे रहा हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 फरवरी, 1981 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 7 फरवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 तक के विधान सभा के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो--

1981 फरवरी	
7 फरवरी, 1981 से 18 फरवरी, 1981 तक	.. बैठक नहीं होगी।
19 गुरुवार, 20 शुक्रवार	.. वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
21 शनिवार, 22 रविवार	.. बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार, 24 मंगलवार	.. वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

(1) अपराह्न 5 बजे तक--वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

(2) अपराह्न 5 बजे से--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण (½ घण्टा)।

25 बुधवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
26 गुरुवार	..	
27 शुक्रवार	..	
28 शनिवार	..	बैठक नहीं होगी ।
मार्च		
1 रविवार		
2 सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
3 मंगलवार	..	
4 बुधवार	..	
5 गुरुवार	..	शिवरात्रि का अवकाश (बैठक नहीं होगी) ।
6 शुक्रवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
7 शनिवार	..	बैठक नहीं होगी ।
8 रविवार	..	
9 सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
10 मंगलवार	..	
11 बुधवार	..	
12 गुरुवार	..	
13 शुक्रवार	..	
14 शनिवार	..	बैठक नहीं होगी ।
15 रविवार	..	
16 सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
17 मंगलवार	..	
18 बुधवार	..	
19 गुरुवार	..	
20 शुक्रवार	..	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
21 शनिवार	..	
22 रविवार	..	
23 सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

[श्री अध्यक्ष—]

24 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 198–82 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान ।
25 बुधवार	(1) अपराह्न 4 बजे तक—वित्तीय वर्ष 1981–82 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान ।
	(2) अपराह्न 4 बजे से—उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
26 गुरुवार	असरकारी दिवस (30 जनवरी और 6 फरवरी, 1981) के आधे–आधे दिन के स्थान पर ।
27 शुक्रवार	असरकारी दिवस (20 फरवरी के आधे दिन के स्थान पर)।
28 शनिवार 29 रविवार	.. बैठक नहीं होगी ।
30 सोमवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (27 फरवरी, 1981 के स्थान पर) ।
	(2) उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण ।
31 मंगलवार	(1) विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण ।
	(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन के उपरान्त पुनः सभा मण्डप में आने से रोके तथा महिला सदस्यों को सदन से बाहर निकाले जाने के लिए महिला पुलिस बुलाए जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

28 जनवरी को एक विशेष औचित्य का प्रश्न उठाया गया था जिसके सम्बन्ध में मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था । मैं आपके समक्ष वह निर्णय प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड (1) के अनुसार अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में वर्ष 1981 के विधान मंडल के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के आरंभ पर एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित किया था। उस समय घटित घटना के सम्बन्ध में 28 जनवरी, 1981 को औचित्य का प्रश्न माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाया गया था और इस सदन के कतिपय सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये थे। उनको सुनने के पश्चात् मैंने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। औचित्य के प्रश्न पर माननीय सदस्यों की अभिव्यक्तियों के फलस्वरूप ये विचार विन्दु उभर कर सामने आये कि जब विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत होने के अवसर पर श्री राज्यपाल संविधान के अनुच्छद 176 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों और उस समय किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो तो उसके नियंत्रण का दायित्व किस पर हैं तथा जिस पर दायित्व हो वह यदि उस सदन का अध्यक्ष नहीं है जिस सदन में सम्बोधन हो रहा है, तो क्या उसके आदेशों का उस सदन के अधिकारी एवं कर्मचारी पालन करने के लिए बाध्य हैं ? और अगर हैं तो उस व्यक्ति के नियन्त्रण करने के अधिकारों की सीमा क्या है ?

2--इन प्रश्नों का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जब श्री राज्यपाल एक साथ समवेत विधान मंडल के दोनों सदनों को सम्बोधित कर रहे हों तो वह किसी एक सदन की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मानी जा सकती है या इसके अतिरिक्त वह कोई तीसरी स्थिति होती है तथा ऐसे अवसर पर बैठक के नियंत्रण की यदि आवश्यकता उत्पन्न हो तो किसके द्वारा और किन नियमों के अन्तर्गत नियंत्रण किया जाय। इन प्रश्नों को उत्तरित करने के लिए हम सर्वप्रथम इसके संवैधानिक पक्ष का अवलोकन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार--

> "प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, जो राज्यपाल तथा यथा स्थिति राज्यों में दो सदनों से या एक सदन से मिलकर बनेगा।"

इस प्रकार राज्यपाल संविधान के अनुसार विधान मंडल के अभिन्न अंग हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार श्री राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि वे "विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे तथा विधान मंडल को उसके आह्वान का कारण बतायेंग।"

सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्ला बनाम अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल विधान सभा के मामले में (ए0 आई0 आर0, 1966, कलकत्ता 363) कलकत्ता हाईकोर्ट ने तथा सराधकर वनाम अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा (ए0 आई0 आर0 1952, उड़ीसा 234) के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट निर्णय दिये हैं कि उक्त अनुच्छेद 176 में श्री राज्यपाल द्वारा इस प्रकार का सम्बोधन करना आवश्यक है तथा जब तक ऐसा सम्बोधन हो नहीं जाता, सत्र प्रारम्भ ही नही होता। यह सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व की आवश्यकतायें हैं, जिनका पूरा किया जाना अनिवार्य है। इस

[श्री अध्यक्ष—]

प्रकार विधान मंडल के अंग के रूप में श्री राज्यपाल के लिए दोनों सदनों को सम्बोधित करना एक अनिवार्य संवैधानिक कृत्य है, जिसकी पूर्ति के पश्चात् ही सदन का सत्र प्रारम्भ होता हैं। इसी हेतु श्री राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत सदनों को आहूत करते हैं और अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत ऐसे अभिभाषण द्वारा उन्हें अपना सत्र प्रारम्भ करने के पूर्व आहूत करने का कारण भी बतलाते हैं। अतः इस अवसर के लिए दोनों सदनों का एक साथ समवेत होना किसी एक सदन की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं कही जा सकती। परन्तु एक तीसरी स्थिति होती है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य एक संवैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे सदस्य समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाय जो इसका नियन्त्रण करे, इसका उल्लेख संविधान में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। बसु ने अपनी पुस्तक "कमेन्ट्री आन दी कान्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया" के वाल्यूम—2 में अनुच्छेद 87 पर, जो अनुच्छेद 176 के अनुरूप है, अपनी टिप्पणी देते हुए इसी बात को स्पष्ट करते हुए यह कहा हैं कि :—

"It is not a joint sitting of the house in the proper sense, because the session commences only after the president has delvered his address,.....It seems that provision for maintenance of order at such mreting, can be framed only by agreement between the different parties. The president is entitld to prevent benches of order in the assembly addressed by hlm, by his own body guard"

(यह सही अर्थों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नही है क्योंकि सत्र तभी प्रारम्भ होता है जब राष्ट्रपति ने अपना सम्बोधन कर दिया हो.....राष्ट्रपति अपने द्वारा इस प्रकार सम्बोधित की जाने वाली सभा में शान्ति व्यवस्था भंग को अपने अंगरक्षकों द्वारा रोकने का अधिकारी है।)

आगे चलकर विद्वान लेखक ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति बचायी जा सकती है यदि सभी दलों के सदस्य यह याद रखें कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राष्ट्र या राज्य का प्रमुख होता है और उनके द्वारा इस प्रकार के सम्बोधन के अवसर पर किसी प्रकार का अशोभनीय कथन या अन्य हिंसात्मक आचरण राष्ट्र के लिए अपमानजनक है।

इस प्रकार के अवसर पहले भी संसद में तथा अन्य राज्यों में उत्पन्न हुए हैं, जब राष्ट्रपति के या राज्यपाल के ऐसे अभिभाषण के अवसर पर व्यवधान डाला गया है।

दिनांक 26 जनवरी, 1966 को राजस्थान विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण में बार-बार बाधा डालने पर राज्यपाल ने कुछ सदस्यों को सभा भवन से निकलवा दिया। बाद में इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जो विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। समिति ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए कार्य किया है। इसका उल्लेख करते हुए कौल-शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 175 पर यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण संविधान के अन्तर्गत सबसे अधिक गम्भीर और औपचारिक कार्यवाही है। उस अवसर पर अत्यधिक

गरिमा और शालीनता से काम लिया जाता है । यदि कोई सदस्य ऐसा कोई काम करे, जिससे इस अवसर की सौम्यता भंग होती हो या गड़बड़ी पैदा होती हो तो वह सभा, जिसका वह सदस्य है, उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है । साथ ही यह भी परिपाटी है कि जिस समय राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे हों कोई सदस्य केन्द्रीय हाल से उठ कर नहीं जाय ।

राजस्थान की विशेषाधिकार समिति ने इस बात को स्वीकार करते हुए कि ऐसे अवसर पर सदन की बैठक नहीं होती क्योंकि उस समय अध्यक्ष सभापतित्व नहीं करता, यह कहा कि ऐसे अवसर पर राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शान्ति व्यवस्था कायम रखे और मेम्बरों को, जो ऐसे अवसरों में व्यवधान उत्पन्न करें, निकाल सके ।

यह मामला 1966 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समक्ष भी उठाया गया । उस समय विचार विमर्श के पश्चात् जो आम सहमति हुई, वह इस प्रकार थी :—

"Now, it is not a meeting of any one House. Therefore, the question as to who will maintain order during the Governor's address, still remains undecided. Though it has to be regulated by the Governor himself, because he has called the members. The speaker or the chairman cannot take any action at that moment."

(यह विधान मण्डल की बैठक नहीं है । यह किसी सदन की बैठक नहीं है । इसलिए यह प्रश्न अनिश्चित है कि कौन राज्यपाल के सम्बोधन के दौरान व्यवस्था कायम रखेगा, यद्यपि इसका विनियमन राज्यपाल द्वारा स्वयं किया जाना है, क्योंकि उन्होंने सदस्यों को बुलाया है । अध्यक्ष या सभापति उस समय कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ।)

इसी सन्दर्भ में उक्त सम्मेलन के सभापति ने लोक सभा में 23 मार्च, 1966 को गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का भी उल्लेख किया है जिसमें विधि मन्त्रालय की राय प्राप्त करने के पश्चात् यह कहा गया था कि जो कुछ राजस्थान में हुआ, वह ठीक था और गवर्नर सदस्यों को बाहर निकाल सकते थे । गृह मन्त्रालय ने इस मामले की जांच करायी थी और इनकी यह राय थी कि ऐसे अवसर पर राज्यपाल सभापतित्व करते हैं और उन्हें शान्तिमय ढंग से कार्यवाही हो, यह देखने की शक्ति प्राप्त है ।

लोक सभा में भी इस प्रकार की घटनायें कई बार हुई हैं किन्तु वर्ष 1963 और वर्ष 1971 की घटनाओं के सम्बन्ध में लोक सभा द्वारा समिति नियुक्त की गयी थी, जिसके द्वारा इस प्रश्न पर विचार करके अपना मत व्यक्त किया गया था । वर्ष 1971 में जब यह मामला समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा था, उस समय लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने वस्तुस्थिति, संवैधानिक स्थिति और इस सम्बन्ध में व्यक्त विभिन्न विचारों का भी उल्लेख करते हुए इस विषय पर अन्तिम रूप से पुनर्विचार करने पर बल दिया तथा यह कहा कि :—

[श्री अध्यक्ष—]

"What can the President do ? There is no authority either of the Speaker or of the Chairman of the Rajya Sabha Should we allow ourselves to be held to ransam and keep on watching the disorderly sense? The President has patience, but there is limit to it."

(राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं ? अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति में से किसी को प्राधिकार नहीं है । क्या हम इस प्रकार की अव्यवस्था की दशा को देखते रहें और किंकर्तव्यविमूढ़ बने रहें ? राष्ट्रपति धैर्य रखते हैं, किन्तु उसकी भी एक सीमा है ।)

वर्ष 1971 की समिति ने विचारोपरान्त वर्ष 1972 में अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत किया और इस सम्बन्ध म संविधान में इस बात की व्यवस्था के लिए संशोधन की सिफारिश की कि ऐसे अवसरों पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यक्षता करें । समिति ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों की भी सिफारिश की । उसमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) राष्ट्रपति कार्यवाही का संचालन करता है अपने अभिभाषण के अवसर पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए वह पूरी तरह सक्षम है । यदि कोई सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान अथवा बाधा उत्पन्न करता है अथवा किसी अन्य ढंग से उस अवसर की गरिमा भंग करता है, तो राष्ट्रपति ऐसे निदेश दे सकता है जो उस अवसर की व्यवस्था, गम्भीरता और गरिमा बनाये रखने के लिए आवश्यक समझ ।

(2) यदि कोई सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति सदन में राष्ट्रपति की उपस्थिति में अभिभाषण के पूर्व, अभिभाषण के दौरान अथवा उसके पश्चात् संसद के किसी सदन अथवा संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाषण अथवा व्यवस्था के प्रश्न अथवा बहिर्गमन अथवा किसी अन्य ढंग से व्यवधान अथवा बाधा उत्पन्न करता है, तो यह व्यवधान, बाधा अथवा अनादर सम्बद्ध सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया अत्यन्त अनुचित आचरण समझा जायगा और इसे सदन का अवमान समझा जायगा, जिस पर बाद में किसी सदस्य द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

कौल और शकधर की पुस्तक "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट" के अंग्रेजी (तृतीय संस्करण) के खण्ड (1) के पृष्ठ 149 पर केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष श्री अब्दुर रहीम का निर्णय दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने 1936 में सर फ्रैडरिक व्हाइट के निर्णय का उल्लेख करते हुए उसे समर्थित किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि ऐसे अवसर पर जब गवर्नर-जनरल एसेम्बली या एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं तो न तो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और न ही किसी सदन की बैठक । उक्त पुस्तक के उसी पृष्ठ पर यह भी कहा गया है कि—

When the President addresses the House under the said Article he functions as a limb of Parliament. When he discharges the

Constitutional function of addressing the two Houses, he is in-charge of the Proceedings of the house untill his address is completed. For the purpose, he may conduct the proceedings in an appropriate manner, consistent with his posistion and dignitry as well as the dignity and status of the Houses. Although, the President is in-charge of the proceedings neigher he ner the Chairman of Rajya Sabha nor the Speaker nor any other preson can be said to preside at the meeting of the members of the two Houses assembled together for his address under the said article.

However, the President is deemed to exercise control over the members, He can coll the members to order, and may ask a member to leave the meeting if the member series to speak, makes any demonstr tion or otherwise disrupts the metting. Action against such member may therefore be taken by the House to which he belongs."

(जब उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति सम्बोधित करते हैं, वह संसद के अंग के रूप में कार्य करते हैं। जब वे दोनों सदनों को सम्बोधित करने के अपने वैधानिक कृत्य का सम्पादन करते हैं तो वे सदनों की कार्यवाही के प्रभारी होते हैं, जब तक कि सम्बोधन पूर्ण न हो जाय इस प्रयोजन के लिये वे ऐसी उचित रीति में, जो उनके पद और गरिमा के तथा सदनों के स्तर एवं गरिमा के भी अनुकूल हो, कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यवाही के प्रभारी होते हैं किन्तु न तो वे और न ही राज्य सभा के सभापति न ही अध्यक्ष और न ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे अवसर पर बैठक की अध्यक्षता करता हुआ माना जा सकता है, किन्तु राष्ट्रपति में सदस्यों पर नियंत्रण की शक्ति निहित मानी जाती है। वे सदस्यों को शान्त रहने तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कह सकते हैं और किसी सदस्य को, यदि वह बोलने के लिए खड़ा हो या कोई प्रवर्धन करें या अन्यथा बैठक में व्यवधान डाले, बैठक से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। ऐसे सदस्यों के विरुद्ध उस सदन द्वारा कार्यवाही उसके बाद की जा सकती है, जिसके वह सदस्य हों।)

उक्त पृष्ठ पर ही विद्वान लेखकों मे बाद में यह भी लिखा है कि सेन्ट्रल हाल में जहां कि राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं, वाच ऐंड वार्ड आफीसर मौजूद रहता है और राष्ट्रपति, यदि आवश्यक हो, उसकी सेवाओं का उपयोग, उन सदस्यों को बलपूर्वक हटाने के लिए, कर सकते हैं, जिनको वे नामित करें।

इस प्रदेश में भी ऐसे अवसरों पर व्यवधान उत्पन्न किया जाता रहा है, किन्तु 17 मार्च, 1978 में जब ऐसे व्यवधान का रूप उग्र एवं हिंसात्मक हो गया, तो लोक सभा की समिति की सिफारिश को दृष्टि में रखते हुए यह मानकर कि राज्यपाल के सम्बोधन के अवसर पर माननीय सदस्यों का इस प्रकार का आचरण सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल न होने के कारण उनको दंडित किया जा सकता है, उसकी जांच हेतु एक समिति गठित की गयी थी। यद्यपि बाद में सदन के प्रस्ताव द्वारा समिति को भंग कर दिया गया था, किन्तु यहां के उदाहरण से यह

[श्री अध्यक्ष—]

स्पष्ट है कि राज्यपाल के सम्बोधन के अवसर पर इस प्रकार का आचरण सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जा सकता और उसके लिये दण्डित किया जा सकता है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में 27 जनवरी, 1981 को घटित घटना और उसके सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर विचार करना उपयुक्त होगा । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह एक निर्विवाद सत्य है कि ऐसे अवसर पर किसी सदन की या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है और न ही इस सम्बन्ध में बैठक का नियंत्रण अध्यक्ष या सभापति के हाथ में होता है । ऐसे अवसर पर सदन की प्रक्रिया नियमावली भी नहीं लागू होती और न ही उसके सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान है ।

विधि वेत्ताओं, न्यायाधीशों, सदन की समितियों एवं विधि विशेषज्ञों के उपरिलिखित विचारों के फलस्वरूप यह निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि श्री राज्यपाल ऐसे अवसर पर सदस्यों को उस सीमा तक, जिसे वे अपने संवैधानिक अभिभाषण के कर्तव्यों को सुचारु रूप से पालन करने के लिए आवश्यक समझें नियन्त्रित कर सकते हैं और इस हेतु सदन के अधिकारी और कर्मचारी उनके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं ।

दिनांक 27-1-81 को जब श्री राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करने आये तो उस समय उनके सभा मंडप में प्रवेश करते ही 'आये, आये' की जोर दार आवाज उठी और मंच पर आते ही निरन्तर उच्च से उच्चतर स्वर में नारे लगाने प्रारम्भ हो गये, जिसमें 'वापस जाओ, वापस जाओ' भी कहा गया । श्री राज्यपाल ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान होते देखकर ऐसे अवरोधक कृत्यों में संलग्न सदस्यों को नियन्त्रित करने का आदेश दिया । विरोधी दल के सदस्यों ने बहिर्गमन की घोषणा के बाद भी जब सभा मण्डप में रहकर व्यवधान उपस्थित करना जारी रखा और कतिपय सदस्य मंच पर आने का भी प्रयास करने लगे तो मार्शल एवं रक्षकों द्वारा उनके बहिर्गमन की घोषणा के कृत्य को पूरा करने में सहायता की गयी । कुछ सदस्य बाहर जाते-जाते वापस आकर पुनः नारेबाजी करने लगे तो इस प्रक्रिया को नियन्त्रित करने के लिए ताकि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संवैधानिक कृत्यों में व्यवधान अथवा अवरोध न उपस्थित हो, ऐसे सदस्यों को रोकना, जो वापस आकर पुनः अवरोध उत्पन्न करने में संलग्न हो जाते थे, अनिवार्य हो गया । यह वस्तुतः उनके अधिकारों का हनन नहीं था बल्कि अशान्ति, जो निरन्तर पैदा की जा रही थी, उसे समाप्त कर शान्ति व्यवस्था स्थापित करने की एक ही निरन्तर प्रक्रिया थी ।

जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के इस कथन का प्रश्न है कि रक्षक ने उन्हें यह बताया कि "प्रतिपक्ष का कोई सदस्य भीतर न आने पावे" ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था । दिनांक 28 जनवरी, 1981 को सदन में हुई चर्चा में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो प्रतिपक्ष के सदस्य बाहर नहीं गये थे और शान्त बैठे हुये थे, उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं की गई । मार्शल से प्राप्त रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इस प्रकार के शब्द रक्षकों द्वारा नहीं कहे गये थे । रक्षकों को यह आदेश था कि बाहर गये हुये सदस्य को, जो पुनः अवरोधार्थ जबरदस्ती अन्दर आते हैं, न आने दिया जाय ।

बहरहाल इस विवाद में न पड़ते हुये कि कोई ऐसे आदेश हुये थे या नहीं यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि जब श्री राज्यपाल के आदेशानुसार उन सदस्यों को, जो बहिर्गमन की घोषणा के बाद भी सदन में रुककर नारेबाजी करने, व्यवधान उपस्थित करने एवं मंच पर जाने का प्रथयत्न कर रहे थे, बाहर जाने में सहायता की जा रही थी और उनमें से कुछ पुनः आकर इस प्रकार का कृत्य दुहरा रहे थे तो सभामन्डप में शांति और व्यवस्था के हित में उन्हें रोकना आवश्यक हो गया था। जो स्थिति उस समय थी, उसमें यह भेद करना कि कौन सदस्य पुनः वापस आकर इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने के लिये नहीं जा रहे हैं, कठिन था ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

महिला सदस्यों के बारे में आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

अतएव जहां श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त या अन्य किसी सदस्य को, जो शांति के साथ सभा मन्डप में बैठने के लिये आ रहे थे, इस विषम परिस्थिति में हुई असुविधा के लिये अवश्य दुख है, वहीं इस कार्यवाही की उपरिलिखित परिस्थितियों में अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे बारे में इसमें कहा गया है । आपके मार्शल द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वह झूठी है । मान्यवर, आप कृपया मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा ने दिनांक 28-1-81 को अपने भाषण में तथा दिनांक 30-1-81 को अपनी लिखित सूचना में दो महिला सदस्यों को दो महिला कांस्टेबिलों द्वारा निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया था··(व्यवधान) ।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, [×××] उसका क्या होगा ? उसके बारे में भी आप निर्णय दें ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

उस सम्बन्ध में, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, श्री राज्यपाल के आदेश के अनुसार ही कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी और दो महिला कांस्टेबिल, जो हमारे अनुरोध पर मार्शल के अधीन कार्य कर रहीं थीं, उन्होंने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया। अतएव इसमें भी कोई अनुचित बात नहीं उत्पन्न होती।

उपर्युक्त तथ्यों, उदाहरणों और निर्णयों को देखते हुए मैं उठाये गये औचित्य के प्रश्नों को अग्राह्य करता हूं। साथ ही मैं सदन के सदस्यों से इस सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को देखते हुए तथा इस बात को भी दृष्टि में रखते हुए कि राज्यपाल राज्य के प्रमुख ही नहीं वरन् विधान मंडल के भी एक अभिन्न अंग हैं और वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष उपस्थित होते हैं, उस अवसर की गरिमा और महत्व के अनुकूल हमारा व्यवहार और आचरण होना चाहिए। संविधान में ऐसे अवसर के लिए कोई प्राविधान न होना ही इस बात का द्योतक है कि संविधान हमसे ऐसे अवसर पर यह अपेक्षा करता है कि हम अपने व्यवहार और आचरण को स्वयं व्यवस्थित और नियन्त्रित रखेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो विधान मंडल का अंग तथा राज्य का प्रमुख जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों के पालन हेतु आपके समक्ष उपस्थित होते है, यह नहीं माना जा सकता कि वे निःसहाय एवं निरुपाय हैं और उनके साथ कुछ भी व्यवहार किया जा सकता है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए यह माना गया है कि ऐसे अवसर पर श्री राज्यपाल ही कार्यवाही का नियन्त्रण करेंगे तथा शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए उचित आदेश दे सकेंगे, जिसको मानना सदन के मार्शल एवं स्टाफ के लिए, जो उस समय उपस्थित एवं सेवा में रहता है, आवश्यक है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आपने बहुत विस्तार से निर्णय दे दिया है और संसदीय इतिहास में आपका यह निर्णय और व्यवस्था लिखी जायेगी।

मान्यवर, एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया है। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, यह 32 साल पुराना संविधान है (व्यवधान) इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जब संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हम कैसा आचरण करें। जब विधान मंडल में ऐसी स्थिति उपस्थित हो गयी तो उस पर आपका कोई उत्तर नहीं मिला कि राज्यपाल सभा को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे। क्या वह सचिव को आदेश देंगे, मार्शल को आदेश देंगे या आपको या पीठासीन अधिकारी को आदेश देंगे इसके बारे में भी स्पष्ट व्यवस्था मिल जानी चाहिए। उस दिन शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राज्यपाल महोदय के पास कौन से उपकरण होने चाहिये ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

उपकरण के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे अवसरों पर पहले से मस्तिष्क ज्वर वाली दवा का छिड़काव करवा दिया जाय । (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आपने अपना निर्णय दे दिया । (व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

मोहन सिंह जो अपने मेम्बरों को पहले प्रक्रिया नियमावली समझायें ।

श्री रियासत हुसैन—

आपकी इस व्यवस्था के अंदर जो यह कहा गया कि महिला पुलिस सदन के अंदर आई । मान्यवर, इस सम्मानित सदन ने बहुत तजुर्बों के बाद यह निर्णय लिया था कि पुलिस यहां नहीं बुलाई जायेगी और इसी के लिए एक समिति बनी जिसमें यह निर्णय हुआ कि विधान सभा रक्षक रखेंगे । तो क्या आज के इस निर्णय के बाद हम यह समझ लें कि पुलिस सदन के अंदर बुलाने का रास्ता खुल गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें जो व्यवस्था आपने दी है वह शिरोधार्य है । मैं समझता हूं कि जिस समय राज्यपाल या राष्ट्रपति सदन को संबोधित करने के लिए आते हैं तो उनके भाषण में कोई अवरोध नहीं करना चाहिये । लेकिन जो पृष्ठभूमि बताई है वह मार्शल की रिपोर्ट आपके पास आई है उसमें कहा गया है कि किसी रक्षक ने आने से नहीं रोका यह बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं कहा गया है । अगर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को असुविधा हुई तो उसका खेद है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अगर मार्शल यह बात साबित कर दे और रक्षक मेरे सामने कह दे तो मैं मान लूंगा और सदन जो सजा देगा उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । मार्शल ने झूठी रिपोर्ट आपको दी । मैं एक जिम्मेदार सदस्य हूं जो जानकारी मैंने दी वह सत्यता के साथ दी । मैं फिर दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने शांति के साथ बहिर्गमन किया था । मैंने वहां आपके पास पहुंचने की चेष्टा नहीं की, मैंने बहिर्गमन के बाद दुबारा आना चाहा, आप इसकी जांच दुबारा करा लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इसकी लिखित कापी भी दे देता हूं आप पढ़ लें । इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि प्रतिपक्ष के सदस्य को भीतर न आने दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बिल्कुल यही कहा गया बल्कि यह कहा गया जो उधर के सदस्य आये उनसे कहा गया कि आप उधर से जायं और मुझसे कहा गया कि प्रतिपक्ष का कोई सदस्य नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है। बहरहाल इस विवाद को समाप्त करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह मेरे अवमानना का प्रश्न है अगर मार्शल ने निकम्मी और झूठी रिपोर्ट दे दी तो उसका मैं प्रतिवाद करता हूं । रक्षक ने कहा कि प्रतिपक्ष का कोई सदस्य नहीं जायेगा और कांग्रेस के जो सदस्य आये उनसे कहा आप कृपा उधर से चले जायं । मैं आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता लेकिन जो रिपोर्ट मार्शल की है उसको चैलेंज करता हूं । यह मेरे सम्मान की रक्षा की बात है । हमने शपथ ली है कि आदरणीय सदन के सम्मान की रक्षा के लिए जो कुछ सदन में कहेंगे सही कहेंगे ।

अतः फिर से आप इसकी जांच करवा लें और जो तथ्य आपके सामने आ जाएं, उन्हें आप सदन को बाद में बता दें, आप हमें बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर मुझ से कुछ कहियेगा और उस पर जो भी आप मुझे सुझाव देंगे, मैं उस पर उचित समझूंगा तो विचार कर लूंगा । इसमें इस प्रकार है:—"जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के इस कथन का प्रश्न है कि रक्षक ने उन्हें यह बताया कि प्रतिपक्ष का कोई सदस्य भीतर न आने पाए ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था" तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था । उसने कहा है या नहीं कहा ? इस बात के विवाद में हम नहीं पड़ेंगे । इसको आप पढ़ लीजिएगा और कुछ दिखाई पड़े तो हमें बताइयेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

अपनी मालूमात के लिए मैंने एक प्रश्न उठाया था ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक आपकी बात है सदन की एक कमेटी ने पुलिस के संबंध में जो निर्णय लिया था वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों है । उससे हटने का कोई सवाल नहीं है । लेकिन वह एक विषम स्थिति थी । आप स्थिति पर स्वयं विचार कर लें, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसी महिला सदस्य को मदद करनी पड़े बाहर जाने के लिए तो मैं समझता हूं कि पुरुष रक्षक से अधिक अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा कि एक महिला पुलिस ही उसे बाहर करे । तो ऐसी परिस्थिति में यदि मेरे आदेश से मार्शल के आदेश पर ऐसा किया गया तो यह कोई अनुचित बात नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, पुरुष सदस्यों की सुरक्षा के लिए पुरुष गार्ड्स हैं तो क्या आप इस बात के आदेश देंगे कि महिला-गार्ड्स भी इसके लिए रहें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन के उपरान्त पुनः सभा मण्डप में आने से रोकने तथा महिला सदस्यों को सदन से बाहर निकाले जाने के लिए महिला पुलिस बुलाए जाने के सम्बन्ध में उठाए गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । हम समझेंगे तो हम स्वयं स्त्री गार्ड्स बढ़ा लेंगे । अब तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी । अब पड़ने लगेगी तो बढ़ा लेंगे ।

सदन में मुख्य मंत्री द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य बिना कार्य सूची में शामिल किये, देने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी...।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्य मंत्री जो जो घोषणा करने जा रहे हैं, उससे हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी एक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए । उस दिन भी मैंने कहा था विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो कह रहे हैं वह ठीक है और यह भी ठीक है कि वह यहां की परम्पराओं का निर्वहन कर रहे हैं जो नीतिगत प्रश्नों के बारे में पहले सदन में सूचना देते हैं । उस दिन एजेन्डे में लिखा था कि "कतिपय घोषणायें और उस पर भी मैंने कहा था कि आपके पास यदि इसकी लिखित सूचना आ गई हो तो ही वह सदन में उसकी घोषणा कर सकते हैं । तो मैं आपसे कहूंगा कि आज के एजेन्डे में ऐसा नहीं है । आप इंगित कर दें कि एजेन्डे में...(व्यवधान) अन्यथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की अवहेलना आपके स्तर से हो जाए, इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 6 में "विविध वक्तव्य" है और जिस दिन कोई स्पेसिफिक वक्तव्य आता है, वह रख दिया जाता है । मद संख्या 2 में भगवती सिंह विशारद के एक प्रश्न के संबंध में एक शोधन वक्तव्य देंगे, वह उसमें है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह शोधन वक्तव्य के बारे में है, उसको आप उसमें क्यों जोड़ रहे हैं ? उसमें आप मंत्रियों का वक्तव्य कवर नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कोई भी मंत्री या मुख्य मंत्री सदस्य यदि कोई सूचना या वक्तव्य देना चाहता है...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सिर्फ इन्टरवीन कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप ही व्यवस्था देंगे तो मुझसे क्यों पूछते हैं, अब मुझे आप कहने का अवसर दीजिए। सदन का यदि कोई मंत्री या मुख्य मंत्री सदन को कोई सूचना देना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उसकी सूचना पहले से दे। और अपने वक्तव्य की कापी दे दें। मुख्य मंत्री जी ने मुझे सूचना भी दी है और अपने वक्तव्य की कापी भी दी है। उसकी कापियां आप लोगों को भी दे दी जायेंगी, शायद मिल भी गई हैं। इसके अलावा यह कोई जरूरी तो नहीं है कि जो परम्परा चलती आ रही है, वही चलती रहे, आप कोई नई परम्परा भी तो कायम होने दें।

राज्याधीन श्रेणी 3 व 4 सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की पूर्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

राज्याधीन श्रेणी 3 व 4 सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की पूर्ति।

वर्तमान शासकीय आदेशों के अनुसार श्रेणी-3 की सेवाओं में जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हैं तथा श्रेणी-4 की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिये 2 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है।

आरक्षण के अनुसार भर्ती न होने का कभी-कभी यह कारण दिया जाता है कि आरक्षित पदों के विपरीत पूरी भर्ती नहीं की जा सकी क्योंकि इन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए तो यह तर्क बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तृतीय श्रेणी के लिए भी सिवाय उन पदों के जिनमें कोई तकनीकी की अर्हता आवश्यक हो, उक्त तर्क आम तौर पर लागू नहीं होना चाहिए। इन श्रेणी के पदों पर आरक्षण के अनुसार भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी प्रतियोगिता/चयन में उक्त जातियों के लिए निर्धारित आरक्षित कोटे की सीमा तक किन्हीं परिस्थितियों में इन जातियों के अभ्यर्थी सफल न हो सकें तो अवशेष आरक्षित रिक्तियों के लिए केवल इन्हीं जातियों के अभ्यर्थियों तक सीमित रखते हुए तथा उसी पूर्व प्रतियोगिता/चयन के क्रम में दुबारा प्रतियोगिता/चयन की कार्यवाही की जाय। तब तक यह आरक्षित पद अनुसूचित जातियों/जनजातियों से भर नहीं जाते तब तक उन्हीं के लिये रिक्त रखे जायेंगे। इस व्यवस्था को श्रेणी 1 व 2 में भी लागू करने के लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर सीमेन्ट देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

उत्तर प्रदेश को सीमेंट का कोटा भारत सरकार द्वारा हर त्रैमास के लिए आवंटित किया जाता है। प्रदेश की त्रैमासिक आवश्यकता 10 लाख टन की है। आवश्यकता के विपरीत भारत सरकार द्वारा साढ़े चार से लेकर 5 लाख टन तक का ही त्रैमासिक कोटा पिछले एक वर्ष में आवंटित किया गया है। इस कम आवंटन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अतिरिक्त फैक्टरियों से सीमेंट न आने के कारण समस्या कहीं-कहीं और भी जटिल हो गई है । अनुभव यह बताता है कि अक्सर फैक्टरियों द्वारा आवंटित कोटे का उत्पादन नहीं हो पाता है ।

सीमेंट की इस कमी के कारण इसका वितरण परमिटों द्वारा ही किया जा रहा है । इस प्रकार परमिटों द्वारा वितरण से उपभोक्ताओं, विशेषकर छोटे उपभोक्ताओं को, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । यह कठिनाई विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए अधिक है जो मकान आदि की मरम्मत के लिए 2 या 3 बोरी सीमेंट से ज्यादा की मांग नहीं करते हैं । इन छोटे उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराये जा रहे कोटे की 20 प्रतिशत मात्रा छोटे उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित कर दी जाय । इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित कर एक बोरी से लेकर तीन बोरी तक की है, परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । वे किसी भी सीमेंट वितरक से राशन कार्ड दिखाकर 3 बोरी तक सीमेंट बिना परमिट के प्राप्त कर सकेंगे । प्रतिबन्ध यही होगा कि एक त्रैमास में वे एक बार से ज्यादा इस तरह सीमेंट नहीं ले सकेंगे । यह प्रक्रिया तात्कालिक प्रभाव से लागू की जा रही है ।

आज सदन में सहकारिता मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को वितरित न किए जाने पर आपत्ति

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को सर्वश्री भगवती सिंह विशारद, हरि प्रसाद कुरील तथा गया सिंह द्वारा पूछे गये...।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे श्री भगवती सिंह विशारद, श्री हरि प्रसाद कुरील तथा श्री गया सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री भगवती सिंह विशारद के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु खाद्य मंत्री का शोधन वक्तव्य जो नत्थी "घ" पर है, पढ़ने के लिए निवेदन किया था । जो वक्तव्य आपने पढ़ा है वह दिनांक 6 फरवरी को दिया जाने वाला वक्तव्य है ।

श्री वासुदेव सिंह--

मुझे आपने मंत्रियों के वक्तव्य के सिलसिले में कहा था अतः मैंने पढ़ दिया । चूंकि आपने इस शोधन वक्तव्य का उल्लेख नहीं किया था इसलिए मैंने यह वक्तव्य दे दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है । यह शोधन वक्तव्य तो अपनी जगह पर है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, जब यह वक्तव्य सदन में प्रस्तुत कर दिया तो उसकी प्रतिलिपि भी हम लोगों को दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---

इसकी कापियां वितरित कर दी जायेंगी ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मंत्री जी ने आपकी अनुमति के बिना ही वक्तव्य दे दिया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कार्यवाही का अंग माना जायेगा? यदि हां, तो कम से कम स्पष्टीकरण के बारे में आप हमें अवश्य अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक बिना आज्ञा के बोलने का प्रश्न है, मैंने उन्हें बुलाया ही था । इसलिए इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता । मेरी आज्ञा से तो बोले ही ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, इस पर तो आपने व्यवस्था दे ही दी । अब इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरी बात है ।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, इस वक्तव्य की प्रतिलिपियां आप वितरित करा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अगर हमको इसकी कापी नहीं मिलती है तो आप इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष ---

मंत्री जी, इसकी प्रतिलिपियां आप बंटवा दें । कापियां बांटी जा रही हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, मेरे विचार में यह गलत परम्परा हो जाएगी । आप इसको कल के लिए कर दें ।

श्री मोहन सिंह---

क्या इसकी सूचना आपको पहले दे दी गई थी ?

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी पीठासीन रहे हैं अतः इतनी छूट हम देने को तैयार हैं कि इसकी कापियां ही बंटवा दें ।

श्री अध्यक्ष ---

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य की कापी और सूचना भी 6-2-1981 के लिए दी है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, यदि यह वक्तव्य 6 फरवरी, 1981 को लंबित है तो जितना उन्होंने पढ़ा है ठीक है, शेष को कल पढ़ दें या इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपने आदेश दिया था कि लिखित वक्तव्य की कापी दे दी जाय । वे अभी तक नहीं मिली हैं । सदन की कार्यवाही आगे तभी चलेगी जब कि हमें वक्तव्य की प्रतिलिपि मिल जाएगी ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ऐसे कैसे काम चलेगा, जब आप यहां पर बार-बार खड़े हो जाएंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कापी दिलवा दें ।

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष --

कापी वितरित करने के लिए मैंने कह दिया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उनके पास तो कापी है ही नहीं, वह कहां से कापी दे देंगे ? इसलिए इसे 6 तारीख के लिए रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष --

मा.नीय मंत्री जी, उसकी कापी वितरित करवा दें ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, कापी नहीं वितरित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

माननीय मंत्री जी, कापियां कब तक वितरित की जायेंगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, आज कापी मिल जायगी ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आज का मतलब है कि आज जब तक विधान सभा चलेगी ।

श्री अध्यक्ष --

आज कापियां वितरित हो जायेंगी । अब आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

(श्री राम स्वरूप वर्मा के खड़े होने पर)

वर्मा जी, आप बैठ जाइए ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा के बैठने के उपरान्त)

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अब आप शोधन वक्तव्य पढ़ दें ।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, इसके पूर्व आप एक व्यवस्था दे चुके हैं इसी सदन में कि जब तक मंत्री का वक्तव्य उस दिन पढ़ने हेतु नहीं आ जाएगा, तब तक उस दिन आप उसकी आज्ञा नहीं देंगे । आज माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा, उसकी आपके पास सूचना नहीं थी, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष --

आपने तो सुना नहीं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हो जाय और आपकी अनुमति बाद में मिले, माननीय मंत्री जी को वक्तव्य 6 तारीख को देना हो और आप 5 तारीख को वक्तव्य दे दें, यह उल्टी गंगा बहने लगी है । इस पर आपकी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय राम आसरे वर्मा, इसमें भ्रम और भूल होना स्वाभाविक है, भूल होती है और हमेशा हो सकती है ।

दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के 'उत्तरों' के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

(श्री वासुदेव सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को सर्वश्री भगवती सिंह विशारद, हरि प्रसाद कुरील तथा गया सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0 1 के सम्बन्ध में श्री भगवती सिंह विशारद, माननीय सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना उन्होंने सदन में रखी है, इसके अतिरिक्त ऐसे और डीजल पम्प हैं जो सील किए गए हैं और उसकी सूचना नहीं आ रही है ?"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "और दूसरे पम्प सील हुए या नहीं, इसकी तो सूचना नहीं है। सिर्फ 3 पम्प जो हैं, जिनके बारे में स्पेशिफिक सूचना आई है, सील किए गए हैं।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"प्रश्न में इंगित अवधि माह सितम्बर, 1979 से जून, 1980 तक जनपद उन्नाव में तीन ही पम्प कुल सील हुए थे।"

श्री नरेशचन्द्र--माननीय सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "डीजल की इतनी गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो सीज हुए है वे मुकदमों के दौरान अब डीजल सप्लाई कर रहे हैं ? यदि कर रहे हैं तो क्यों ?"

उस समय उत्तर दिया गया था कि माननीय, जहां तक डीजल न सप्लाई करने का सवाल है, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। उस समय जब डीजल पम्प्स में यह गड़बड़ियां हुई थीं तब स्थिति ऐसी थी कि हर पेट्रोल पम्प को बन्द कर देना उचित नहीं था। यह डीजल पम्प जो हैं इसको छोड़कर बाकी सभी डीजल सप्लाई कर रहे हैं।

उक्त उत्तर में जहां तक उसके आखिरी भाग में यह उत्तर दिया गया था कि "यह डीजल पम्प जो हैं इसको छोड़कर बाकी सभी डीजल सप्लाई कर रहे हैं" यह उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :--

"पम्प 'सीज' नहीं 'सील' हुए थे। प्रश्नगत जो तीन पम्प कुल सील हुए थे उनमें से एक को छोड़ कर बाकी दो पम्पों को डीजल सप्लाई नहीं हो रही है।"

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 10741 पर)।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

कुल 9 सूचनाएं कार्यस्थगन की प्राप्त हुई थीं। मैं एक-एक करके पढ़े देता हूं इनमें जिनको आप ऐसा समझते हैं कि कुछ कहना आवश्यक है उन पर आप ग्राह्यता के बारे में एक दो मिनट कह सकते हैं।

(व्यवधान)

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, राजेन्द्र अग्निहोत्री की ओर से आई है जो "राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर, हड़ताल करने पर रोक लगाने से प्रदेश व्यापी असंतोष एवं तनाव" के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, कल रात राज्य सरकार की ओर से जो राजाज्ञा प्रसारित की गई है वह मीसा का ही एक रूप है। उसने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। यह उनके हक पर कुठाराघात है और सरकार तानाशाह की तरह आतंक के बल पर मीसा चलाना चाहती है। इसलिए मेरा कहना है कि यह अविलम्बनीय महत्व का है और इससे पूरे प्रदेश में उत्तेजना फैल गई है। हड़ताल से शासन का कार्य प्रभावित हो रहा है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे स्वीकार कर लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

राम आसरे वर्मा जी जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं आएगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा इस सम्बन्ध में अलग से है। मैं भी दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष --

राजेन्द्र कुमार गुप्त कह चुके। हर सदस्य अलग-अलग नहीं कह पाएगा। आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

हमको संवैधानिक अधिकार है संगठन बनाना और अपने अधिकारों को शान्तिपूर्ण ढंग से हासिल करने का हक है। एसोसिएशन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का उनको अधिकार है लेकिन हड़तालों को प्रतिबन्धित करने के आदेश पारित करके उनके मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। इससे न केवल जनतांत्रिक प्रथाओं को ठेस लगी है बल्कि श्रमिक जगत में तूफान मचने वाला है और ऐसा आभास होता है कि आपात स्थिति के काले बादल फिर मंडरा रहे हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन के ये आदेश अलोकतांत्रिक हैं और मजदूरों के हित के विरोधी हैं। इसलिए आप निर्देश शासन को दें कि इन आदेशों को तत्काल वापस लिया जाय और मजदूर प्रतिनिधियों से बात करके मामले का समाधान किया जाय। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और क्या प्रश्न हो सकता है। इसलिए आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसी तरह का प्रश्न श्री विद्यासागर नौटियाल ने भी किया था।

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौथा है डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी का कि जनपद चमोली में नन्दा देवी वन्य जन्तु बिहार के स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी के नाम से स्थापित करने के फलस्वरूप जनाक्रोश है ।

पांचवां श्री मोहन सिंह का है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, यह बहुत ही महत्व का है । ऐसे बहाल कर दिया जायेगा तो क्रिमिनल मेन्टलटी पूरे पुलिस फोर्स में पैदा होगी ।

श्री अध्यक्ष--

छठा है श्री हुकम सिंह का ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय, यह घोषणा की गयी थी कि वहां पीठ लगायी जायेगी । इलाहाबाद में घोषणा की कि मेरठ में पीठ नहीं होगी । माननीय, जितने वादकारी हैं, सभी परेशान हैं । सारे न्यायालय बन्द हैं । इससे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

सातवां श्री प्रदीप कुमार यादव का है । इस पर 28-1-81 को शासन का ध्यान आकर्षित हो चुका है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । हरदोई में जहरीली देशी शराब से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपा करके बैठ जायं । आप दल के नेता भी हैं ।

आठवां है श्री हरिवंश सहाय एवं नन्द किशोर सिंह का जो ठंड से मरने के बारे में है ।

9वां सर्वश्री रियासत हुसैन, भोखा लाल, मित्रसेन यादव और विद्यासागर नौटियाल, श्री ऊदल और लल्लू सिंह चौहान का है जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के किसानों की रैली हेतु प्रदेश परिवहन निगम की बसों एवं निगम से अनुबंधित प्राइवेट बसों के संबंध में ।

एक सदस्य--

टेस्ट वर्क के संबंध में माननीय, वक्तव्य दिला दें ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जायं ।

*श्री भीखा लाल--

मान्यवर, कार्यस्थगन इस विषय में है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस (आई) 16 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। कितने आदमी ले जायेंगे, उसकी बात नहीं। लेकिन प्रदर्शनकारियों को ले जाने के लिये जितनी प्राइवेट बसों को आदेश दिया गया है, उनको प्रदर्शनकारियों को दिल्ली ले जाना है। अगर नहीं ले जायेंगे, तो उनका निबन्धन रद्द कर दिया जायेगा। मान्यवर, बहुत बड़ी संख्या में बसों को ले जायेंगे जिससे आम जनता को बहुत असुविधा होगी। कोयले की शार्टेज से ट्रेनें पहले से ही बन्द हैं। जब बसें दिल्ली चली जायेंगीं, तो यातायात की असुविधा हो जायेगी। तो मान्यवर, सत्ताधारी दल अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह के आदेश दे रहा है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं।

श्री भीखा लाल—

यह सरकार आदेश देती है कि परमिट नहीं दिये जायेंगे सत्ता का दुरुपयोग करके यह इन बसों को ले जा रहे हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

यह इल्जाम गलत है यह बिल्कुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से 9 सूचनायें नियम 56 में प्राप्त हुई थी उन सबों को मैंने अस्वीकृत किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कर्मचारी हड़ताल पर है मैं इस सम्बन्ध में सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये)

श्री त्रिवेनी--

खाना खाने जा रहे हैं सदन का त्याग नहीं किया।

1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या 8 वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मैंने 6 सदस्यों ने एक पत्र आप को भेजा है। मैंने लोकदल विधान मण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। हम लोग हैं हरीकिशन श्रीवास्तव ख्वाजा हलीम, सत्यपाल सिंह यादव, नाजिर अली, मुख्तार अनीस, यदुनाथ सिंह। अब मैं लोक दल का सदस्य नहीं हूं।

[* * *]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 4 फरवरी, 1981 को कार्यवाही से।

नोटः--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम के अनुसार 3 दिन के पश्चात् इस पर ....

श्री हुकम सिंह--

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी चरण सिंह के बारे में जो कहा गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

सदन के नेता राजा राम चन्द्र थोड़ी देर पहले सदन में थे वो समा जलाने आये थे समा बुझा कर चले गये।

श्री अध्यक्ष--

आप सचमुच विद्यासागर हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, । कुछ छण पहले तक राजा राम सदन में मौजूद थे। अब वे भी चले गये बाल्मिकि ने रामायण में ऐसी ही सूरत को देखकर राजा रामचन्द्र का वर्णन किया था। कांग्रेस में रामचन्द्र जी तो किसी समय धनुष धारण कर सकते हैं मैं कांग्रेसी विधायकों की पंक्ति में भरत और लक्ष्मण को ढूंढ रहा हूं। न जाने कब लक्ष्मण दिल्ली में बयान दे देगा राम लखन दशरथ के जाये, हम कुल देवी बचन मानकर आये। उधर रेडियो घोषणा करेगा कि खड़ाऊं बगल में दबाये कोई भरत दिल्ली से वायुयान द्वारा तेजी से लखनऊ की ओर बढ़ा चला आ रहा है। हमारे प्रदेश में इस समय 2 मुख्य मन्त्री हैं। दोनों में पारस्परिक विरोध है उनकी विचार धाराओं में और भावनाओं में। एक मुख्य मंत्री हैं श्री विश्वनाथ और दूसरे हैं प्रताप सिंह। यह विश्वनाथ बार-बार आश्वासन देते हैं शंकर की उन्हें जोग-लहर आती है और वे इस्तेफा देते रहते हैं और प्रताप सिंह बार-बार जनता पर अत्याचार करते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। मान्यवर, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। साहित्य के मानदन्डों के अनुसार हमारे राज्य में सन् 1980 में कांग्रेस की हुकूमत कायम होना एक ट्रैजेडी थी। इस सदन में भले लोग उधर रह गये और बुरे लोग इधर आ गये। मैं विभाजन रेखा में खड़ा हूं। मुझसे और नेता विरोधी दल तक जितने लोग हैं वह सब बदी की तरफ हैं, नेकी की तरफ ये लोग हैं। साहित्य में कहा गया है कि त्रासदी दो, भले और बुरे की लड़ाई नहीं होती त्रासदी तब होती है जब दो सर्वोत्तम शक्तियां सर्वोत्तम इरादों के सहित आपस में लड़ बैठे। यह पूरा प्रदेश एक बड़ी भयानक त्रासदी के अन्दर से गुजर रहा है।

(इस समय 1 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

भले लोग कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम-गुत्था कर रहे हैं मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुये कांग्रेस बन्धुओं से निवेदन किया था कि वह जनता पार्टी के कार्यों से अपनी तुलना न करें लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने फिर तुलना की। जनता पार्टी का ढ़ाई साल

[श्री विद्या सागर नौटियाल--]

का शासन सबसे बुरा शासन था लेकिन उस शासन में मैं विद्यासागर नौटियाल नाम का आदमी, मेरी चिट्ठियां पुलिस वाले, सी० आई० डी० वाले नहीं खोलते थे । जबसे इंदिरा गांधी ने राज्य सम्हाला तब से एक भी मेरी चिट्ठी, मेरे किसी मित्र की चिट्ठी राजनीतिक दोस्त की चिट्ठी नहीं होती जिसे पुलिस वाले न खोलें, कांग्रेस राज में जनता की आजादी कैद है ।

मान्यवर, माननीय ब्रह्मदत्त जी ने बड़े सरसब्ज बाग दिखाये हैं । जो बुरे थे मैं उनकी बात बताता हूं, 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार ने केवल पर्वतीय क्षेत्र में 162 प्राइमरी स्कूल, 62 जूनियर हाईस्कूल, 45 हाईस्कूल, 47 इन्टरमीडिएट कालेज, 18 राजकीय माध्यमिक कालेज आदि खोले । इसी प्रकार मान्यवर, एलोपैथी के 40 और आयुर्वेद के 19 अस्पताल खोले थे । अब मेरे भाइयों को बुरा लग रहा है । माननीय ब्रह्मदत्त जी ने यह बजट पेश किया है हमारे सामने लेकिन रामचन्द्र जी जो पिछले साल बजट पेश कर गये थे उसी का पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ है । यह बजट जो हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं हरी घास को चर जायेंगे वृषभ काल के अमर बचन विद्यासागर नौटियाल के । मान्यवर, एक छोटी सी कविता की दो लाइनें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं "जब बौने इंसानों के साये मीलों लम्बे होते जायें, जानो सूरज डूब रहा है" । जब कांग्रेस के अन्दर के मामूली लोग माननीय धर्म सिंह जी को अपमानित करने लगे और उन्हें लगे कि मैं 25 साल से विधान सभा का सदस्य रहा हूं अब इसको त्याग दूं तो मान्यवर, यह सूर्यास्त हो रहा है, पूंजीपति कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, इस देश में, प्रदेश में तानाशाही का पूंजीवाद का सूर्यास्त हो रहा है । मैं इस बजट का पूरी तरह से विरोध करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया । सबसे पहले मैं माननीय ब्रह्म दत्त जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट को ठीक समय में पेश किया । पहली बात और दूसरे इस बजट में जो सबसे ज्यादा बात मुझे अच्छी लगी वह यह है कि कोई भी टैक्स इसमें नहीं लगाया गया क्योंकि ऐसी हालत इस वक्त देश की है कि टैक्स देने की ताकत जनता में बहुत कम थी तो ऐसे वक्त में टैक्स न लगाना एक बहुत अच्छा कदम इस बजट में लिया गया है । "इट इज दि लास्ट स्ट्रा दैट ब्रेक्स दि कैमिल्स बैक" तो आज अगर टैक्स लगाया जाता तो इससे जनता में बड़ा असन्तोष होता और काफी हाहाकार लोगों में फैलता क्योंकि कीमतें बहुत महंगी हो गयी हैं और टैक्स देने में कोई समर्थ नहीं है ।

पर्वतीय जिलों का बजट के बारे में कि इन्होंने हिमांचल के बजट के समान बनाया है, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं । 570 करोड़ रुपए का बजट 1980-85 तक के लिए निर्धारित किया है । यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि समाजवादी ढांचे की सरकार बननी है तो सबसे पिछड़े इलाके का ध्यान होना चाहिए, यह पहला मौका है जब कि इतना बड़ा बजट पर्वतीय प्रदेश के लिये मिला । मगर मैं मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि बजट मिलना ही काफी नहीं है, वह बजट ठीक से वितरित भी होना चाहिए । ऐसा न हो कि जितने मन्त्री हैं वे अपने-अपने ही इलाकों में बजट बांट लें और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां गरीब

जनता ज्यादा है, उन इलाकों को कोई भी इसका फायदा न हो । उन इलाकों के लिये जो पिछड़े हुए हैं स्कूल, सड़क, अस्पताल, पेयजल योजना सब जगह, जहां जैसी जरूरत हो, उसके अनुसार "मिनीमम नीड्स प्रोग्राम" के अनुसार सब जगह बने । जहां सबसे ज्यादा जरूरत हों उन इलाकों को सबसे ज्यादा दिया जाना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि कोई इलाका बिल्कुल वंचित रह जाय । योजना जिले के स्तर पर बनें न कि लखनऊ में बैठकर किसी कमरे में बनें । बतायें कि इतने स्कूल और अस्पताल बन गये । यदि वहां देखा जाय तो वहां 50-50 मील तक न कोई अस्पताल है और न कोई स्कूल ही है । बारहवीं सदी की जो सभ्यता थी वही आज भी दिखलायी दे रही है । अब तक भी इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है क्योंकि वे लोग अपनी बात को सरकार के सामने नहीं रख सकते । मैं आशा करता हूं कि इसमें इन सब बातों का समावेश होगा ।

जंगल लगाने की योजना की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय विकास की बड़ी योजना बनाने की जरूरत है । जंगल बनाने की बड़ी योजना आगे जिलों में बड़े पैमाने पर बनाने की आवश्यकता है ताकि "सोशइल इरोजन" न हो सके । इन इलाकों में उद्योग लगाना भी आवश्यक है ताकि इन जिलों की आर्थिक स्थिति सुधरे । पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट में सीमेंट की फैक्ट्री का बनाना नितान्त आवश्यक है । यह मन्जूर भी हो चुकी लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ । मैग्नेसाइट भी मन्जूर हो चुकी है, लेकिन काम बहुत धीरे चल रहा है । मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे और मैग्नेसाइट की माइन्स से माल निकाले ।

पचेश्वर डैम का काम नहीं के बराबर हो रहा है । हमारी सरकार ने नैपाल में त्रिशूली और देवी घाट में डैम बनाये हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और हमारा जो यह पचेश्वर डैम है उसको शीघ्रातिशीघ्र बनाने की कोशिश करेगी ताकि वहां की आर्थिक हालत सुधर सके । आज अखबारों में आपने देखा होगा, रामपुर-हल्द्वानी ब्राडगेज की लाइन मन्जूर हो गयी थी । आशा थी कि यह शीघ्र ही बनायी जायगी जिससे तराई भावर के इलाके और पर्वतीय प्रदेश की तरक्की हो सकेगी लेकिन सुनने में आया है कि यह योजना समाप्त की जा रही है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसको देखने की कोशिश करेंगे और वहां के लोगों की हालत सुधारने के लिये इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कहेंगे कि यह योजना चलायी जाय । मान्यवर, नौकरी के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बहुत से लोग नौकरी न मिलने के कारण मैदान से पहाड़ों पर चले जाते हैं मगर जब वहां नौकरी मिल जाती है तो बदली करवाने में लगे रहते हैं जिससे काम में वहां पर रुकावट होती है । इससे वहां पर कई स्कूलों में अब तक अध्यापक नहीं हैं और विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है । आजकल बेरोजगारी बहुत फैल गयी है, पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिये मैं चाहता हूं नौकरियों में वहां ज्यादा वरीयता स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उनको दूर-दूर इलाकों में भटकना न पड़े । मैं सरकार का ध्यान पर्वतीय प्रदेश में आवागमन के साधनों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर आवागमन के साधन बहुत कम हैं । हिमांचल प्रदेश की तरक्की की वजह है कि वहां पर आने-जाने के साधन बहुत अच्छे हैं । जो फल होते हैं उनको उचित समय में उनका निर्यात करके उचित कीमत मिलती है इसलिये वहां की तरक्की हुयी है । इसलिये पर्वतीय प्रदेश में आवागमन के साधनों को बढ़ाया जाय । इसी तरह से पर्यटन व्यवसाय है, पर्वतीय प्रदेश में यह व्यवसाय बहुत ज्यादा हो

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---]

सकता है, पर्यटन का वहां बहुत ज्यादा स्कोप है । अगर वहां के पर्यटन की आप उन्नति करें तो वहां की आर्थिक समस्या हल हो सकती है । अभी तक पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे आखिर में यहां के 8 जिले हैं । इसलिये यह आवश्यकीय है कि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो । पर्यटन के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान पहले भी आकर्षित कर चुका हूं । मेरे ही क्षत्र में 17 ग्लेशियर्स हैं । इनमें से मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमालय का ग्लेशियर है । वहां पर अगर आवागमन के साधन बनाये जायं तो पर्यटन व्यवसाय बहुत ज्यादा चल सकता है । वहां पर होटल और खाने-पीने की सुविधा हो तो काफी लोग इस काम में अपनी रोजी कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक हालत को सुधार सकते हैं । ऐसे ही कई इसी तरह के काम हैं जिनसे पर्वतीय प्रदेश की उन्नति हो सकती है जैसे अभी मैंने खनिज पदार्थों का जिक्र किया था, खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में वहां का भविष्य बड़ा उज्जवल है । अगर इस दिशा में वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया तो मुझे पूर्ण आशा है कि वहां पर काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा । अंत में एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले बजट में बहुत थोड़ा समय मिलने से पैसा नहीं खर्च हो सका और काफी बड़ी धनराशि लैप्स हो गयी । जो बजट पिछला मिला था उससे कोई कार्यकलाप ठीक से नहीं हो सका । इस वक्त मैं आशा करता हूं अभी काफी समय है और इन 8 जिलों को धनराशि समान रूप से दी जायगी ताकि उस इलाके का उत्थान हो सके । धन्यवाद ।

श्री हरिवंश सहाय---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । पूर्वांचल के जिले देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ पिछले जुलाई और अगस्त के महीने में बाढ़ से काफी बरबाद रहे हैं और आप जानते हैं कि उन जिलों में इन्सेफेलाइटिस बीमारी से हजारों लोग मरे हैं ।

आज खाद्यान्न योजना बंद होने के कारण लोग जिले को छोड़कर कलकत्ता और बम्बई जा रहे हैं । व्यापक भुखमरी की स्थिति है । 50 हजार लोग बाहर जा चुके हैं, 2 हजार ठंड और भूख से मर चुके हैं । एक विषम स्थिति पूर्वान्चल में पैदा हो गई है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार बेरोजगारों के बारे में कोई उचित कार्यवाही करे । मान्यवर, देवरिया जिले में एक चकिया फार्म है वह भूमिहीनों में वितरित किया गया था । लेकिन अब भूमिहीनों को उजाड़ कर उनके पट्टे निरस्त करके 100 एकड़ जमीन कुष्ठ आश्रम बाबा राघव दास के नाम आवंटित कर दिया गया है । जो उसमें सामान पैदा होता है वह कुष्ठ आश्रम के मालिक के घर चला जाता है और भूमिहीन मजदूर को खाने के लाले पड़े हैं और वह सड़कों पर तड़प रहे हैं । इसी तरह 50 लोगों के पट्टे निरस्त करके एलाटमेंट दूसरे लोगों को करने की योजना है । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि उस फाइल को सरकार मंगाकर देखे और उचित निर्णय करे ।

मान्यवर, पिछले विधान सभा सत्र में 9 अक्तूबर को शून्य प्रहर में एक मामला उठाया था कि देवरिया में दो दर्जन से अधिक पिछड़ी जाति के लोगों को देवरिया पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है, उसमें कोई कमी नहीं हुई

है बल्कि आग बढ़कर 40 से 50 यह संख्या हो गई है। दिन प्रति दिन पिछड़े और गरीब लोगों को पुलिस मौत के घाट उतार रही है और देवरिया के पुलिस अधीक्षक धन अर्जित करने में लगे हुये हैं। मान्यवर, मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 15 दिसम्बर को एक इन्दरासन मिश्र हैं जो अपने गांव में 195 बोरी यूरिया खाद ले जा रहे थे, दरोगा ने उनको पकड़ा और यूरिया को लेकर उनको हवालात में बन्द कर दिया। 5 हजार रुपये लेकर उनको छोड़ा और यूरिया को चोर बाजार में बेच दिया। 23 दिसम्बर को जब मैंने डी0आई0जी0 और उत्तर प्रदेश शासन को लिखा कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उस थानेदार को प्रोन्नति देकर, थर्ड क्लास से सैकेन्ड क्लास का थाना दे दिया गया। 27 जनवरी को जब मैंने प्रिविलेज का मोशन मूव किया तो देवरिया पुलिस अधीक्षक ने देवरिया में बयान दिया कि बरामद खाद को 20 हजार रुपये में बनकटा पुलिस ने चोर बाजारी में बेच दिया है और 5 हजार रुपये घूस के लिए हैं। इस तरह का बयान दिया गया है और यह भी उन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग को भेज रहे हैं। इस तरह यूरिया खाद ही नहीं बल्कि 200 बोरी सीमेन्ट श्री सच्चिदानंद मिश्र ले जा रहे थे जिसको पुलिस ने छीन लिया और उसको भी चोर बाजारी में बेच दिया गया। एक सामरथ चौधरी संभ्रान्त व्यक्ति को गोली से मारकर 10 हजार रुपये उनका नकद, तीन सोने और हीरे की अंगूठी पुलिस ने ले लिया। इस तरह 20 हजार रुपये खाद का, 200 बोरी सीमेन्ट का रुपया, 10 हजार नकद एवं 3 सोने और हीरे की अंगूठियां देवरिया पुलिस अधीक्षक को थानेदार ने दिया है। मान्यवर, यही नहीं पडरौना में एक राम नारायण यादव को पुलिस ने हवालात में बन्द किया और रात और दिन में उसको इतना मारा कि वह हवालात में ही मर गया। उसके बाद पड़रौना के नागरिकों ने एक शोक सभा किया जिसमें वहां के विधायक कांग्रेस पार्टी के श्री बी0 के0 मिश्र भी शामिल थे। वहां कोतवाल ने उनसे कहा कि "आई एम कोतवाल" और 2-3 हंटर उनको मार दिया, यह मुझको सूचना मिली है। लेकिन जहां तक मुझको सूचना है उनको अपमानित किया गया और अन्य साथियों को मारा पीटा गया। यही नहीं वहां एक गोपी नाथ सर्राफ हैं उनके घर में चोरी हुई, उस सर्राफ के घर दो लाख रुपये की चोरी हुई और उस चोरी की वहां पर आम चर्चा है देवरिया जिले में। उस चोरी का एक लाख रुपया वहां के पुलिस अधीक्षक को मिला और जिससे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक कस्बा है लार। वहां पर कौशल किशोर नाम का एक आदमी है। उसके घर चोरी हुई, वह थाने में रपट दर्ज कराने गया, उसकी रपट नहीं दर्ज की गई। अभी हाल ही में छात्रों के ऊपर कसिया में लाठी चार्ज हुआ है। श्रीमन्, आप भी वहां गये। वहां कसिया में दो दर्जन छात्रों के हाथ-पैर मार कर तोड़ दिए गए हैं। पांच-छः छात्रों के दांत तोड़ दिए गया है और उनकी छड़ी, कलम और रुपया छीन लिया गया है। यही नहीं, वहां लड़कियों तक को मारा गया है। एक लड़की के सिर में चोट भी आई है। उपाध्यक्ष महोदय, उस पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय सदस्य, श्री जनार्दन ओझा ने इस बात को देखा है। उन्होंने इस बात को उठाया, तो उन पर गुस्सा किया। कसिया के अन्तर्गत एक विजय बहादुर जो, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने एक दरोगा के खिलाफ एक वारन्ट ईश्यू कर दिया। दरोगा को पता चला, बहुत गुस्सा किया और वह दरोगा उनके दरवाजे पर पहुंच गया मारने के लिए, तब तक कोआपरेटिव बैंक का गार्ड पहुंच गया, किसी तरह से उन

[श्री परिवश सहाय—]

को बचाया । देवरिया की अदालतें बन्द रही । परन्तु यहां से उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई । वहां पर एक जगह नोनिया पट्टी है । आप जानते हैं कि पुलिस ने एक आदमी को मारा और वह मर गया । देवरिया जिले के तुर्कापट्टी क थानाध्यक्ष, पटेहरवा के थानाध्यक्ष, कसिया के थानाध्यक्ष को तुरन्त हटा दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । परन्तु यहां से वायरलेस जाता है और वे रोक दिये गए ।

हम विधान सभा में इन बातों को उठायेंगे जो हम लोगों को धमकाया गया है । देवरिया के पुलिस कप्तान से अभी हमारे एक साथी ने शिकायत की है । एक जगह पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मैंने भाषण दिया तो उसने मुझसे कहलवा दिया है कि अगर आप यह बात विधान सभा में उठायेंगे तो निश्चित आपको खत्म करवा दूंगा, मरवा दूंगा ।

रुद्रपुर थाने में एक भरकड़ी गांव है, वहां चोरी का सामान जब बांटा जा रहा था तो वहां पर एक दरोगा पहुंच गया उसके बाद वहां पर गांव के कुछ नागरिक भी पहुंच गए, वहां पर चोरी का 20 किलो चांदी व सोना बरामद हुआ । उस 20 किलो चांदी व सोने को सारा का सारा पुलिस ने हड़प लिया । कहा जाता है कि एक किलो सोना पुलिस अधीक्षक, देवरिया को मिल गया है ।

आप जानते हैं श्रीमन्, कि हमारा जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ है । कुछ लोग वहां से तस्करी करते हैं खड्डा गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, तस्करी का अड्डा बना हुआ है । नेबुआ में एक इंजीनियर तस्करी करके आ रहे थे उसके पास टेपरिकार्डर, कैमरा, कपड़ा व घड़ी ला रहे थे, तो उसको पकड़ा गया सामान लेकर छोड़ दिया गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने डी० आई० जी० गोरखपुर को एक चिट्ठी लिखी । देवरिया में 23 थाने हैं उनके आवंटन में पुलिस कप्तान पैसा ले रहे हैं और इस तरह आवंटन में वह भेद भाव कर रहे हैं । देवरिया में सात सी०ओ० हैं । ए० पी० राय को दो थाने, सी० पी० जैन को दो थाने, एस० हलधर को तीन थाने, एन० वी० सिंह को तीन थाने, एस० पी० पाठक को 3 थाने और जो पैसा देता है रंग देव सिंह उसको पांच थाने एलाट किये हैं । अजीत पाल सिंह को पांच थाने एलाट किये हैं । थानों का एलाटमेंट वहां का पुलिस कप्तान जैसे नदियों के घाटों की नीलामी होती है उस तरह से कर रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, जो चिट्ठी मैंने डी० आई० जी० गोरखपुर को लिखी उसके अंत में मैंने एक वाक्य लिखा कि "कमाऊ पूत किसे न भावे" इसी से वह बहुत नाराज हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने विधान सभा में कही हैं उसके खिलाफ जांच होनी चाहिये । मुझे मरवाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है । बाराबंकी के जितने चार्जेज हैं उनकी जांच की जाय । वहां के पुलिस अधीक्षक सीधे जांच के बाद उनको बरखास्त कर दिया जायेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ जो बजट पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

*श्री कमला प्रसाद सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर बोलने के लिए जो आप ने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का-पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बड़ा सराहनीय बजट है । उसमें हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति का, प्रदेश की जनता का हित है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता । इस बजट में हर बात आई है जिससे जनता और प्रदेश का हित होगा ।

हमारे जनपद जौनपुर की कुछ समस्यायें हैं जो मैं आप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है । अभी पिछले दिनों बाढ़ की चपेट में था । पूरा जनपद भीषण बाढ़ से ग्रस्त था । वहां पर आदमी पैदल नहीं चल पाते थे । नावों में चलते थे सड़क पर पानी में घुस कर चल पाते थे । ऐसी स्थिति में वहां की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं । सड़कें बरबाद हो चुकी हैं । उन सड़कों को बनाना अत्यन्त आवश्यक है । वहां पर कोई उद्योग धन्धा नहीं है जिससे कि लोग अपना रोजी रोटी का साधन बना सकें । मैं आपके माध्यम से, मान्यवर, अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कोई उद्योग धन्धा वहां लगना चाहिए । एक बात यह है कि इस समय नलकूपों की स्थिति वहां पर बहुत खराब है । अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी जब वहां गये थे तो हम सभी विधायकों ने मिल कर उनसे निवेदन किया था कि वहां नलकूपों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बहुत खराब है, रबी की फसल बरबाद हो सकती है और हो भी रही है । उन्होंने निश्चित रूप से कड़े आदेश दिये थे लेकिन उस पर पालन नहीं हो सका है ! मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे ।

मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि बाढ़ के समय उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की । करोड़ों रुपये का गल्ला बांटा । हमारे जनपद में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरने पाया और हमारा ख्याल है कि जो आंकड़े मुझे मिले हैं उन में 46 जिले ऐसे थे जो बाढ़ से भीषण रूप से ग्रस्त थे । उस समय हमारा ख्याल है कि जौनपुर जनपद सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ के संकट में था । लेकिन मैं सरकार की सराहना करूंगा कि उसने निश्चित रूप से वहां पर काफी व्यवस्था की और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने पायी । हमारी प्रधान मंत्री महोदया के दिल में भी वहां की जनता के प्रति पीड़ा थी और वह भी हमारे यहां के बाढ़-पीड़ितों को देखने के लिये आई । पिछले दिनों जिस समय हम सूखे के संकट में गुजर रहे थे उस समय जनता पार्टी और लोकदल का शासन था किसी व्यक्ति ने अथवा किसी नेता ने वहां जाकर देखने तक की हिम्मत नहीं की और वहां के लोगों को पूछा तक नहीं लेकिन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मन में उनके प्रति पीड़ा थी उन्होंने वहां जाकर उन लोगों की समस्या को सुना और उनको तसल्ली दिया और जो भी सम्भव हो सकता था वह किया और आश्वासन दिया ।

मैं कहता हूं कि हमारे विरोधी भी बड़ा हल्ला करते हैं, हंगामा मचाते हैं । मुझ भी इस विधान सभा में सन् 77 में विपक्ष के सदस्य होने की हैसियत से बैठने का अवसर मिला । मैंने भी इनके कारनामे देखे हैं कि ये क्या करते थे और इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क था । ऐसा लगता था कि विरोध पक्ष में बैठने वाले लोग विधायक नहीं हैं । (व्यवधान) उस समय यहां पर घटकबाद चलता था और अगर हम किसी मंत्री के पास जाते थे किसी कागज को उनके पास ले जाते थे तो उस कागज को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था और उन्हीं

[श्री कमला प्रसाद सिंह---]

विधायकों का नाम लिया जाता था जो उनसे सम्बन्धित थे । सन् 77 के चुनाव में हम साठ कांग्रेस के सदस्य जीतकर आये थे उस समम हमारी उपेक्षा की जाती थी । जब किसी योजना के उद्घाटन करने की बात आती थी तो हमको उद्घाटन नहीं करने दिया जाता था इनके मंत्री उद्घाटन करने के लिये जाते थे । ये इनकी सरकार के कारनामे थे । हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी में यह भावना नहीं है । हम विपक्ष का आदर करते हैं । हमारे दिल में आपके प्रति श्रद्धा है । लेकिन आपका भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसका ठीक से निर्वहन करें । मान्यवर, दुनिया में दो काम होते हैं । एक विकास का और दूसरा विनाश का । इनकी सरकार विकास के रास्ते को छोड़कर विनाश के रास्ते को अख्तियार कर लेती थी । ये हमारे 30 साल के शासन का नाम लेते थे । 30 साल में जो हमारी सरकार ने किया--कांग्रेस सरकार ने, उसके बाद ये लोग हमें यह बता दें कि इन्होंने कौन सा ब्रिज बनाया, कौन सा कालेज बनाया, कितने अस्पताल खोले और कौन-कौन से काम इन्होंने किये हैं । कोई इस बात को बता नहीं सकता है । मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं इन्होंने हमारे अधूरे कार्य को पूरा नहीं किया जो योजनायें हमारी पूरी हो गयी थी उसके लालफीता काटने के लिये पहुंच जाते थे । सिर्फ यही काम इन्होंने किया है । विनाश के रास्ते पर ही ये इतने दिनों तक चले हैं ।

मैं स्वायत्त शासन मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में इस समय सर्दी में भीषण पानी का संकट है । वहां पर 6 ट्यूबवेल प्रस्तावित हैं । लेकिन अभी तक कोई रुपया बजट में उस ट्यूबवेल के लिए एलाट नहीं किया गया है । तो मैं मांग करता हूं कि उसके लिए धनराशि स्वीकृत होनी चाहिये । मुझे यह भी जानकारी मिली है कि वहां जल निगम के मुख्य अभियन्ता गये थ और उन्होंने मौखिक आदेश दो ट्यूबवेल बनाने के लिए वहां के अभियन्ता को दिये । पता नहीं यह कहां तक सही है लेकिन निवेदन है कि वहां का पानी का संकट समाप्त होना चाहियें । इस समय भीषण पानी का संकट वहां पर है ।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में पर्यटन केन्द्र बनाया जाना चाहिये । हमारे शहरी क्षेत्र से एक सड़क जो बनारस को जाती है वहां पर एक दरिया बहती है उस सड़क के दोनों तरफ झील है अगर उसको विकसित किया जाय तो अच्छा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है । यह टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्थान होगा । हमारा जनपद बनारस और अयोध्या के मध्य में है इसलिए उस ऐतिहासिक नगरी को टूरिस्ट सेंटर बनाया जाय । अन्त में मैं कहूंगा कि जो समस्यायें मैंने बताई है उनकी तरफ माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से ध्यान देंगे ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट पर सामान्य चर्चा में माननीय सत्ता पक्ष के विधायकों को मैंने सुना लेकिन मैं तो इस बजट को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और प्रदेश विरोधी कहता हूं । मेरा चैलेंज है कि इस बजट का 10 प्रतिशत भी गरीब का जो चिराग जलाकर रहता है उसका भला नहीं होने वाला है दुखी इंसान जो पिछले डेढ़ साल से तड़प रहा है जिसे काम देने की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता पार्टी शासन ने की थी वह काम भी उससे छीन लिया गया । वह 6 रु० मजदूरी पाने वाला मजदूर आज 25 पैसे के लिए तरस रहा है उसके लड़के भूखों मर रहे हैं झोपड़ी में चिराग जलाने के लिए एक पैसा भी उसके पास नहीं

(व्यवधान)

है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है यह कुलक बजट है जिसके प्रतीक माननीय मंत्री जो यहां पर बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या कहा आपने, कुलक के क्या माने हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मतलब यह कि बड़े-बड़े जमींदार 12 एकड़ की सीलिंग लगने के बाद भी

(व्यवधान)

आज प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है अगर जानकारी नहीं है तो विशारद समिति की रिपोर्ट पढ़ लें । मान्यवर, मैं कहना

(व्यवधान)

चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है और कम से कम जिस इलाके से हम आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पता नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या हो गया वित्त मन्त्री जी पहाड़ की ओर देखते हैं जो स्वाभाविक है, मैंने 74 में भी देखा, 77 में भी देखा, हमारे मुख्य मंत्री जी जो पूर्वांचल से आते हैं, मैं नहीं कहता कि उनमें रीजनलिज्म की भावना आये, लेकिन रीजनल इम्बैलेंसेज जो हैं उनको तो दूर करना चाहिये । जो विकास में विषमता है उसकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये । मेरा आरोप है कि पूर्वांचल की जनता के साथ जितना अन्याय इस बजट में हुआ है उतना पिछले किसी भी बजट में नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं दिया गया है ।

आप बजट उठाकर देख लें । जहां तक दूसरे विभागों का सम्बन्ध है, अभी मंत्री जी ने गन्ना किसानों का जिक्र कर दिया । 14.25 रु० उनको जनता पार्टी की सरकार ने दिया था और उस समय में 2.10 रु० में चीनी बिकी अब आप हिसाब लगा लीजिए आपके भाव के हिसाब से 14 पंजे 70170 रुपया गन्ने का दाम होना चाहिए ।

(2 बजकर 20 मिनट)

श्री लोकपति--

चीनी की कीमत भी बता दीजिए ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

चीनी की कीमत इस समय 8 रुपये से कम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

चीनी की मिठास में न फंसें आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आप ठीक कहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं मंत्री जी की मुस्कान से दिग्भ्रमित हो जाता हूं । अभी समाचार आया था शगर कारपोरेशन का कि कहीं से 2 सौ

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

बीरा चीनी गायब हो गई और कह दिया गया कि गोदाम में पानी भरा था, जिसमें बह गई। नारायण दत्त तिवारी के क्षेत्र की वह फैक्टरी है मोलेसेस की ढाई करोड़ रुपये की मोलेसेस शुगर कारपोरेशन ने तस्करी की है। इलाहाबाद की फर्म अकबर ब्रदर्स और यूनाइटेड कामर्शियल सिन्डीकेट ने कलकत्ता से टेन्डर दिया और टेन्डर दस गुना ज्यादा था, लेकिन उसको नहीं दिया गया और प्राइवेट ओनर्स को वह मोलेसस दे दिया गया। यह स्कैन्डेल वहां पर हुआ है और आज इस प्रकार के इसमें स्केन्डेल पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की शत्रु जितनी यह सरकार है उतनी अन्य कोई सरकार नहीं रही है। खांडसारी पर 50 प्रतिशत लेवी कर दी गई है। इसे इसलिए किया गया है, जिससे पश्चिमी जिले के किसानों की बारगेनिंग कैपिसिटी खत्म हो जाए। इस नीति से क्रैशर्स बन्द हो जायेंगे और मजबूर होकर किसानों को गन्ना, चीनी मिलों को देना पड़ेगा। क्रैशर वालों ने कहा कि हम सरकारी रेट से ज्यादा 25 रुपये में तुम्हारा गन्ना हम खरीद लेंगे और इसमें इनके चीनी मिल मालिकों का नुकसान होता, उनके चीनी सप्लाई में कमी होती। अतः इस कम्पटीशन में बाध्य होकर मंत्री जी को लेवी लगानी पड़ी। इससे क्रैशर्स बन्द हो जायेंगे। यह बरियादिली मुख्य मंत्री की किसानों के बारे में है। अब मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य देवरिया ने बताया था, मैं 20 तारीख को स्वयं कसिया गया था। अपनी मीटिंग में पडरौना जा रहा था। रास्ते में कसिया में मुझे मालूम हुआ कि कुछ विद्यार्थी थाने में पकड़ कर लाये गये हैं, थानेदार स्वतंत्र सिंह थे। मैं वहां पहुंच गया, मुझे उसके मेरिट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय पुलिस कप्तान वहां चले आये और उन्होंने आकर कहा कि यह क्या बदतमीजी हो रही है। तो उस पर मैंने उनसे कहा कि मैं तो मुर्वारश रहा हूं और पिछले पच्चीसों साल से तमीज सिखा रहा हूं और आप कब से तमीज सिखाने लगे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें विद्यार्थियों से मिलकर बात नहीं करने देंगे। इस पर हमने कहा कि यह मेरा विशेषाधिकार है और मैं उनसे बात करके ही जाऊंगा। उस दिन यदि मेरी मीटिंग न होती तो कसिया थाने पर, कसिया क्षेत्र में कोई दूसरी ही स्थिति हो जाती। मैंने जैसा कई बार कहा है कप्तान देवरिया बहुत बड़ा तस्कर है। उसने साढ़े तेरह हजार रुपये का सामान त्रिवेणी (नेपाल) की एक दूकान से खरीदा। दैनिक जागरण और दैनिक अमृत प्रभात के सम्पादकों की नालेज में यह बात है कि साढ़े तेरह हजार रुपये का विदेशी माल नेपाल से देवरिया के कप्तान ने खरीदा और 11 हजार रुपये का भुगतान किया तथा ढाई हजार रुपये के भुगतान के लिए किसी दरोगा को कहा कि वह भुगतान करेगा। इस तरह देवरिया का कप्तान एक बहुत बड़ा तस्कर है। पीपीगढ़ में क्या हुआ, वह सबको विदित है। आज सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि सम्भवतः सारे प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वह इसलिए कि एक रेन्जर को पकड़ कर मारा गया और इसलिए मारा गया कि उसने कुछ लोगों को मना किया कि इधर नहीं आना है। इसलिए उसे मारा गया। उसे थाने ले जाया गया, फर्जी मुकदमें में उसे फंसाया गया। आज इस तरीके से काम हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी के क्षेत्र का एक मामला है। वसूली डाक बंगले के बगल में कोई गांव है जहां 14-15 साल के एक लड़के को एनकाउन्टर किया गया। मुझे तो मालूम नहीं किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ही मुझे बताया कि इतना खराब और बुरा एनकाउन्टर आज तक नहीं हुआ। तो मान्यवर, यह तो पुलिस का राज है। यदि कोई यह कहे कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का राज्य है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

यहां एक इरीगेशन डिपार्टमेन्ट है, हमारे मन्त्री जी तो हैं ही नहीं इस समय। इरीगेशन डिपार्टमेन्ट में 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला है। मैंने इस पर पहले भी इस आदरणीय सदन में प्रश्न उठाया था और जो सूचना मैं देने जा रहा हूं वह ताजी सूचना मिली है कि माननीय मुख्य मंत्री के क्षत्र इलाहाबाद में कोई एक बन रहा है बाढ़ प्रखंड, जिसमें ढाई करोड़ रुपये का अनुमान है। लोगों को टेन्डर दिए गए लेकिन जिसने सबसे कम का टेन्डर भरा था, उसे नहीं दिया गया क्योंकि एक लाख रुपये मांगा गया था। फिर ब्रिज कारपोरेशन को दिया गया। अब इस समय दस-दस हजार रुपये लेकर दूसरों को दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की बात कहां तक कहूं। एक सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं गोरखपुर के उनकी चपरासी से लेकर एस० डी० एम० तक ने शिकायत की है और उन पर 35 हजार रुपया लेने का आरोप है। इसको पिछले सत्र में भी मैंने उठाया था और रियम 52 म भी चर्चा की थी और कहा था कि उस सुपरिटेंडेंट को हटा दिया जाय और माननीय मंत्री जी ने अश्वासन भी दिया था कि हटा दिया जायेगा लेकिन वह आज तक नहीं हटाया गया। यह तो बजट है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया है। हम उम्मीद कर बैठे थे कि बिहार ही तरह यहाँ भी शिक्षा का राष्ट्रीकरण कर दिया जायेगा। उर्दू को उचित स्थान दिया जायगा, यह तो सब लोग कहते हैं लेकिन दूसरे छात्र, जो दूसरी भाषायें पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा गया। जहाँ तक जनता पार्टी को सरकार का प्रश्न है और जैसा कि माननीय सदस्य, जौनपुर ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में जो भी समितियां बनीं उनमें क्षेत्र के विधायकों की राय ली गई। जो भी समिति बनी उस क्षेत्र के विधायक की रिकमेन्डेशन पर बनीं। यहां विरोध पक्ष के विधायक से पूछने की बात कौन कहे, आज आपस में ही एक दूसरे को दुलत्ती मारी जा रही है मंहगाई के सम्बन्ध में भी कहा गया था। मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट आप देख लीजिए पिछले शासन काल में 2 से 3 प्रतिशत ही महंगाई बढ़ी थी। यदि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कभी रही है तो वह जनता पार्टी के शासन काल में ही रही है। एक्सपोर्ट करने का काम भी हमने किया। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने ही किया और इतने भीषण अकाल के बाद भी दूसरे मुल्कों में गल्ला भेजने का काम हमने किया। इस बजट से कोई रोशनी नहीं मिलेगी, यह बजट कुछ चन्द लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि कुछ चन्द क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इस बजट से प्रदेश के 11 करोड़ लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। चिकित्सा विभाग का इतिहास तो आप जानते हैं। इसी सदन में मैंने आरोप लगाया था। अरे, 4 महीने का मासूम बच्चा कभी सेब खाता है। और हिन्दुस्तान में जो पहले 1 या 1 1/4 रुपये प्रति किलो बिकती थी अब वह 10 1/4 रुपये बिकती है कैपसूल के नाम पर रंगीन गोली और इन्जेक्शन के नाम पर पानी दिया जाता है। मान्यवर, गोरखपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट आज भी वहां पर पड़े हुए हैं आपके स्पष्ट आदेश के बावजूद भी उनका कहीं पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने मेडिकल के बजट में कितनी धनराशि बढ़ायी है। जनता पार्टी के शासन काल में 2 1/2 गुना बढ़ाया गया था, आपने कितना बढ़ाया है ?

श्री लोकपति—

कितना बढ़ाया ? आप तो सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन काल में निर्णय लिया गया था कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर हम एक-एक महिला अस्पताल पूरे सूबे में खोलेंगे, आपने इसके बारे में क्या किया ?

इस तरह से हमने देखा कि यह जो बजट है, जन विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी बजट है । इससे जनता को राहत की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है । इसलिये मैं प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज हमारे सम्मानित माननीय मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त जी ने जो वर्ष 1981-82 का बजट पेश किया है उसके ऊपर बोलने का मौका दिया है । मैं इस बजट के मुताल्लिक यह बात कहना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर यह बजट बनाया गया है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और कोई बजट नहीं हो सकता है । अगर हम लोग इस बजट के ऊपर पूरी कोशिश के साथ अमल करायें तो हमारे प्रदेश में रहने वालों का बहुत भला होगा और प्रदेश की तरक्की होगी । मैं एक ऐसे शहर की नुमाइंदगी करता हूं जो एक सनअती शहर है लेकिन वहां पर अवाम के दुश्मनों और विरोधी दलों के लोगों ने वहां के सनअती निजाम को धर्म भरम कर दिया है और उसके साथ-साथ पुलिस ने जो जुल्म ढाये और ज्यादतियां की, उनकी भी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है । लेकिन इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने बहुत तेजी के साथ और बड़ी कोशिशों से वहां पर अमन बहाल करने में कामयाबी हासिल की । मुरादाबाद शहर में जो वाकयात पेश आ चुके के हैं उनमें समझता हूं कि हमारे सभी माननीय सम्मानित मेम्बरान बखूबी वाकिफ हैं और इस पर पर वे काफी रोशनी भी डाल चुके हैं। मुरादाबाद एक सनअती शहर है जिनमें वहां के अवाम के बहुत से मसायल हैं । उनको हल करने के लिए मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो गरीब और मजदूर अवाम हैं, और उनके साथ साथ जो अपने कारखाने चला रहे हैं, उनके लिए एक अलग से बिरास नगर बसायी जाय और उनके कारखानों को चलने के लिए बन्दोबस्त किया जाय । मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि वह एक सनसनी शहर होने की वजह से वहां के जो मजदूर हैं वे टी0 बी0 के शिकार हैं । इसलिए वहां पर एक टी0 बी0 का काम्पलेक्स भी तैयार होना चाहिए । ताकि वहां के लोगों को उसमें मदद हासिल हो सके । इसके साथ-साथ हमारे बजट में उर्दू के सिलसिले में बहुत सी सहूलियतें देने के लिए बातें कहीं गयी हैं । मैं यह समझता हूं कि वह उस उर्दू के जानने वालों के लिए और उर्दू के बोलने वालों के लिए काफी खुशी की बात है । लेकिन उसके साथ-साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने का वादा किया है, मैं समझता हूं कि अगर इस मसले को हल कर दिया जाय तो बहुत बड़ा काम होगा ।

मान्यवर, मैं इस बजट में जो आपने बुनकरों को सहूलियत देने की बात कही है और उसको बहुत कुछ सहूलियत दी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितना इसमें, हमारे बजट मे बुनकरों के लिए कहा गया है, वह बहुत कुछ है । लेकिन उसके साथ-साथ आज उनको सूत की बहुत बड़ी परेशानी है । जिस

तरह से हम गन्ने का रेट तय करते हैं और जिस तरह से हम गेहूं का रेट तय करते हैं, अगर सूत की दरें भी तय कर दें, तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत बड़ी सहूलियत होगी और उनको अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मदद मिल सकती है । मान्यवर, मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी दल के लोग बार-बार इस बात को कहते ह कि यह बजट कुछ नहीं है, मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने ढाई साल के बजट पर जरा सी तवज्जह दें कि उस बजट में क्या था और उन्होंने कितना अमल किया और कितनी देश, प्रदेश को तरक्की दी । आज इस कांग्रेस पार्टी की देन है कि जो कांग्रेस की पार्टी ने, जो कांग्रेस की सरकार ने स्कीमें बनाई, उनके ऊपर अमल किया और इस देश को कुछ दिया है । आज इस देश की तरक्की के लिए अगर हम कुछ कह सकते हैं, अगर कोई पार्टी का रहनुमा है, तो जवाहर लाल नेहरु हैं । जवाहर लाल नहरु ने आज इस देश और प्रदेश में जितनी इण्डस्ट्रीज कायम की हैं, उतनी कोई मिसाल नहीं दे सकता है । इन अल्फाजों के साथ मैं इस बजट का, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, समर्थन करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं दर्शायी गयी है कि जिससे कि उसका समर्थन किया जा सके । उसमें कोई नई दिशा नहीं दी गयी है । पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री ने यह बजट प्रस्तुत किया थ, इस साल नये मंत्री हैं, अगले साल भगवान जानता है कि कौन पेश करे । मान्यवर, एक बात मैं सभी लोगों के विचार के लिए कहना चाहता हूं कि यह जो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तक का बजट का समय हमने एक वार्षिक समय माना है । यह अंग्रेजों से उधार लिया है और हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । मैं यह चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाय हमारे देश की बहुत पुरानी परम्परा है कि दीपावली के अवसर से हम लोग अपना नया कार्य प्रारम्भ करते हैं लेखा-जोखा का सरकार इस पर विचार करे कि क्या यह सम्भव है कि दीपावली से इस प्रकार का कार्य शुरु किया जाय । दूसरे टैक्स लगाने के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज टैक्स लगा कर जो आम जनता है, उसको निचोड़ कर रुपया तो जरुर वसूल किया जाता है, लेकिन रुपया जितना वसूल किया जाता है वह उसके काम में लगने नहीं पाता है । हमारे देश में प्राचीन काल में कौटिल्य नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि राजा को जनता से टैक्स इस प्रकार वसूल करना चाहिए जिस तरह कि सूर्य नदी से जल खींचता है और वापस उसी तरह से पहुंचा देना चाहिए जिस तरह से बादल बन कर बरसा देता है । लेकिन आज जो बजट के जरिए से टैक्स लगा कर रुपया इकट्ठा किया जाता है उसमें से अधिकांश रुपया फिजूलखर्ची में चला जाता है और वह जनता के वास्तविक उपयोग में नहीं आता । मैं चाहूंगा कि यह सर्वेक्षण कराया जाय कि किसी काम के लिए जो रुपया निश्चित किया जाता है उसमें वास्तव में कितना लगता है और शेष कहां चला जाता है । उदाहरण के लिए सड़क बनाई जाती है अथवा कारखाना बनाया जाता है तो वास्तव में सड़क बनाने अथवा कारखाना बनाने में कितना खर्च होता है और बाकी रुपया कहाँ चला जाता है । अंग्रेज के समय जो बड़ी-बड़ी परियोजनायें चलाई जाती थी जो श्रमिकों तथा अधिकारियों के लिए पहले टैंट लगते थे लेकिन आज पहले अधिकारियों के लिए बंगले बनते हैं और उनकी साज सज्जा पर खर्च किया जाता है जिससे समय अधिक खर्च होता है और अधिकांश पैसा उस पर

[श्री धर्मन सिंह गहलौत---]

खर्च हो जाता है । यह रास्ता निकलना चाहिए कि जो पैसा खर्च होता है वह उसमें लगना चाहिए ।

अभी पिछले दिनों सार्वजनिक उपक्रम समिति कुछ स्थानों पर काम देखने गयी । उसका सदस्य होने के नाते मुझे भी जाना पड़ा जो बहुत कष्टदायक रहा । बहुत थोड़े से ही काम अच्छे नजर आये जैसे मथुरा के पास छाता शुगर मिल और आगरा में लेदर कारपोरेशन अच्छा काम कर रहे थे लेकिन बाकी निगम आपत्तिजनक कार्य करते दिखाई पड़े जो सरकार का पैसा बरबाद कर रहे थे और ऐसा मालूम होता था कि एक फ्राड कर रहे हैं और सरकारी अफसर ऐशो इशरत पर पैसा खर्च कर रहे हैं । इन निगमों के काम में सुधार होना चाहिए । कोई भी चेयरमैन हो उसका चेयरमैन जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह किसी पार्टी का हो और उसके संचालक मंडल में भी जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए यह जो सत्ता घटक है मेरा अनुरोध है कि मेरे सुझाव पर विचार करें । यह हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । जब तक हम गांव के रहनेवाले लोगों पर कृषि पर पर्याप्त धन खर्च नहीं करेंगे तब तक इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती । लेकिन आज गांव की उपेक्षा की जा रही है । आज आप कब तक ग्रामों को सड़कों से, अस्पतालों से, स्कूलों से और उनकी अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रखेंगे ? गांव के आदमी के लिए इन सुविधाओं की बड़ी आवश्यकता है । शहर के अन्दर रहने वाला आदमी अपने बच्चे को उच्चतम शिक्षा देता है तो उसका बच्चा साइकिल पर अथवा बस पर यूनिवर्सिटी चला जायगा, शाम को घर वापस आ कर भोजन करेगा । न होस्टल का खर्चा और न अन्य किसी तरह का खर्चा वह करता है जब कि गांव के आदमी को अपने बच्चे को पढ़ाना संभव नहीं है । बड़े शहर में भेज कर 4, 5 सौ रुपया खर्च करना गांव के आदमी के लिए मुमकिन नहीं है । छठी पंचवर्षीय योजना में निश्चित घोषणा यह सरकार करे कि हर गांव को वह पक्की सड़क से जोड़ देगी, 5 वर्ष में हर गांव में बिजली पहुंचा देगी और हर गांव में स्कूल खोल देगी क्योंकि छोटे बच्चों के लिए चार पांच मील जाना सभव नहीं है । ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो सरकारी आफिसर या सरकार के लोग किसी विशेष सर्किल में फंस गए हैं । गांव के लिए नहीं, केवल शहरों के लिए बना बनाया ढांचा है । उसी पर खर्च करते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब गांव के आदमी में भी चेतना होने लगी है । हजरत गंज को देख कर क्या किसी गांव से समानता की जा सकती है । महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा से बात चली है और किसानों के अन्दर जागृति हो रही है । आप यह मत समझें कि उत्तर प्रदेश की सरहद पर आकर वह रुक जायेगी । एक दिन उत्तर प्रदेश में जरूर आयेगा । इसलिए ठोस काम करें, खाली रैली निकालने से काम नहीं चलेगा फर्जी काल न करें । तभी कुछ कर सकते हैं ।

एक कुछ मोटी बातें रखना चाहता हूं । सत्ता पक्ष की तरफ से चिल्लाया जाता है कि किसानों को चीनी मिलों से 23 रुपये का भाव गन्ने का दिलवायेंगे । लेकिन मैं तो कहता हूं कि इससे ज्यादा मिलना चाहिये । सरकार के विभाग के पास आंकड़े हैं । दिसम्बर महीने के चौथे सप्ताह में 23 रुपये गन्ने का भाव देने के पश्चात् भी चीनी मिलें 40 रुपया प्रति बोरा मुनाफा कमा रही थीं जबकि चीनी मिलें 10 प्रतिशत चीनी बनाते हैं । इस तरह 4 रु० प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य किसान को और मिलना चाहिये था । आज फरवरी का प्रथम सप्ताह है । अब

चीनी अधिक बन रही है और मार्जिन बढ़ गया होगा। तो बजाय ज्यादा मूल्य दिलाने के सरकार बीच में खड़ी होकर किसानों को ठीक मूल्य नहीं मिलने दे रही है। चीनी मिलें 10 प्रतिशत और खांडसारी यूनिट 6 प्रतिशत बनाती हैं। लेकिन चीनी मिलों से अधिक पैसा खांडसारी यूनिट दे रही है। अभी घोषणा की गयी कि 50 प्रतिशत खांडसारी पर लेवी लगा दी गयी है। इसका सीधा असर किसानों पर पहुंचेगा क्योंकि खांडसारी 320 रुपये में माल देने के बाद किसानों को उचित मूल्य नहीं दे सकेंगे। चीनी मिलों के सामने सरकार लज्जा-जनक तरीके से असमर्थ है। किसानों को ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि चीनी मिलें मनमानी कीमतें गन्ने की दें। जो सरकार चीनी मिलों से लेवी लेती है तो इक्साइज में छूट देती है। लेकिन जो खांडसारी से लेवी लेने का तय किया है, उसमें लेवी पर छूट की घोषणा नहीं की। तो कितना बड़ा अन्तर है। सरकार इस पर विचार करे। खांडसारी की बात मैं नहीं कहना चाहता मैं तो किसानों की बात कहता हूं कि किसान वर्ग का क्या होगा जबकि उसे इतनी गरानी में चीजें खरीदनी पड़ रही हैं।

मान्यवर, थोड़े से शब्द मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह कर समाप्त करूंगा। मान्यवर, मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। अफजलगढ़ क्षेत्र में जमीन के नीचे के पत्थर हैं। विभाग ने विशेष रिग के लिए कहा था। लेकिन अभी तक नहीं भेजी गयी। कुछ क्षेत्र ऊंचा-नीचा होने के कारण नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवेल 12 हजार गैलन का डिस्चार्ज देता है। सरकार के हिसाब से 30 हजार गैलन चाहिये। 30 हजार गैलन पानी मिलेगा नहीं। 12 हजार पर ये बनायेंगे नहीं। नहर निकालेंगे नहीं। तो क्या यह क्षेत्र हमेशा-हमेशा के लिए प्रकृति पर छोड़ रहे हैं। जो उसकी न्यूनतम आवश्यकतायें हैं, वे भी नहीं दे पायेंगे। तो सरकार इस प्रकार की नीति बनाये कि जहां पूरा डिस्चार्ज नहीं मिलता, वहां कम डिस्चार्ज पर कुयें बनाये जायं और उसका कमांड एरिया घटा दिया जाय।

सरकार ने सर्वेक्षण कराया था। जिला बिजनौर में एक खो बराज की घोषणा हुयी थी। 9.09 करोड़ का एस्टीमेट भी आया है। लेकिन सरकार हिसाब-किताब लगा रही है और बनिये की तरह हिसाब लगा रही है कि 9 करोड़ खर्च करने पर मुनाफा क्या मिलेगा। मान्यवर, यह लाखों किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है, कोई बनिये का प्रश्न नहीं। उसको करना चाहिये।

अन्त में, मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद गोंडा के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी प्रदेश के पिछड़े जनपदों की सूची में गोंडा का नाम न देखकर मुझे आश्चर्य ही हुआ। पिछले वर्षों में गोंडा जिले के विकास की गति अत्यन्त कम रही है। इस जनपद में केवल 2 डिग्री कालेज हैं जबकि इसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता के बावजूद जिले में कोई उद्योग नहीं है जबकि तराई क्षेत्र में प्रचुर इमारती लकड़ी बनकस का उत्पादन होता है और हमारी यह मूल्यवान कच्ची सामग्री कौड़ी के मूल्य पर बाहर चली

[श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—]

जाती हैं । जिले में पिछले वर्ष का सूखा इस वर्ष की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से 75 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं एक समय भोजन पाते हैं । तहसील तरबगंज, जो घाघरा और सरयू नदी से पूरी तरह घिरी हुई तहसील है 2/3 भाग बाढ़ग्रस्त है । बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी किसी योजना का छठीं पंचवर्षीय योजना में जिक्र नहीं है । मैं चाहता हूं बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट की सामान्य चर्चा पर मैं अपनी बात यहां से शुरू करने की अनुमति चाहता हूं । यह बजट जो प्रस्तुत हुआ है यह बताता है और जो भी बजट प्रस्तुत होता है वह आर्थिक नीति का दर्पण होता है । राज्यपाल के भाषण में किसी भी सरकार की सामान्य नीति का उल्लेख होता है और वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रदेश की जनता की आर्थिक ढांचे का आकलन होता है । इस बजट की जो पुस्तिका मिली है उससे यह ज्ञात होता है कि यह बजट हमारे प्रदेश को किस दिशा में ले जायेगा । बजट बनाने वाले जो होते हैं उनका चरित्र बजट में आ जाता है, सरकार किस वर्ग के चरित्र की है, प्रदेश या देश के किस समूह का हित चाहती है, वैसा ही बजट बनाती है : यह बजट जो प्रदेश की सरकार प्रस्तुत कर रही है यह प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता के हित का नहीं है । हम तो यह समझते हैं मान्यवर, जो बजट में बढ़ोत्तरी दिखायी गई है विभिन्न मदों में वह बढ़ती महंगाई को देखते हुये वैसे ही है जैसा पिछले वर्ष के बजट में विभिन्न मदों में था । जितना पिछले साल था उतना ही महंगाई को देखकर बढ़ा दिया गया है । 14 करोड़ 77 लाख का है । यह बढ़ा हुआ बजट नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की थी ।

इसमें मान्यवर, जो पुस्तिका हमको मिली है बजट परिचय की उसके पृष्ठ दो पर लिखा है—लोक लेखे (पब्लिक एकाउन्ट्स) इसमें लिखा है—प्रशासन के दौरान में सरकार द्वारा या उसके अतिरिक्त सरकार ऐसी धनराशियां भी प्राप्त की जाती हैं जिसका सम्बन्ध संचित नहीं से नहीं होता है । इसमें 20-53 करोड़ का घाटा है । लोक लेखे के अन्तर्गत 110-07 करोड़ रुपये का आंकड़ा है । इस बजट को देखने से ऐसा कहा जा सकता है कि यह ऐसा तिकड़म है जो अफसरों की दिमाग की खुराफात होती है और मान्यवर, इसके पृष्ठ 35 पर लिखा है—जिनका उद्देश्य वर्तमान ढांचे के अधीन कर पद्धति का अभिनवीकरण, उसका सरलीकरण तथा कर संरचना के आधार का विस्तारीकरण है, ताकि उसे अधिक उत्पला बनाया जा सके । इसको कहीं भी गरीबीकरण के लिए, टैक्सीकरण के लिए कहीं भी नहीं दिया गया है, इसको जरूर देना चाहिये । यह ऐसी पद्धति अपना रहे हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं । लेकिन इसमें अनुमानित है कि 94.86 करोड़ का घाटा है, इसको कहां से पूरा करेंगे । इसको कर लगा कर पूरा करेंगे लेकिन कर के रूप में इसको प्रस्तुत नहीं किया है ।

110.07 करोड़ जो दिखाया है वह विभिन्न मदों की सिक्योरिटी धनराशि है, इसको खर्च करने का अधिकार ही नहीं है और अगर हो भी तो ऋण के रूप में लेना चाहिये और मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस लोक लेखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने धन को कैसे छोड़ दिया । 2.60 करोड़ रु0 जो हमारी बचत है वह निकम्मेपन का सबूत है कि इसको खर्च ही नहीं किया । तो हमारा कहना है कि बजट में कुछ तिकड़मी और ब्यूरोक्रेसी का दिमाग ऐसा है जो तरह-तरह के आंकड़ों में ऐसा बजट पेश करता है जिससे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती । इस बजट को हम लोग दिशाहीन मानते हैं, यथास्थितिवादी मानते हैं, किसी दिशा में किस स्तर तक प्रगति होगी, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है । विभिन्न योजनाओं के आधार पर जो आंकड़े दिये हैं, उसी पर विवेचना करें तो ग्रामीण विकास योजना, शिक्षा आदि का सारा बजट देखने के बाद यह समझ में नहीं आता है कि कितना अंश ग्रामीण जनता तक पहुंचेगा और न ही गरीबों को रोजगार देने की कोई गारंटी दी गई है जो हमारी प्राथमिक आवश्कताएं हैं । 60 प्रतिशत जनता जो गरीबी की रेखा से नीचे नर्क का जीवन बिता रही है उनको ऊपर उठाने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं दिया है । केवल इतना कह दिया कि सम्पूर्ण धनराशि एक अप्रैल से 30 मार्च तक के लिए इतने करोड़ का बजट दिया विभिन्न मदों में कुल 1744.13 करोड़ का बजट पेश कर दिया इसमें घाटे का 207.53 करोड़ है इसको घटाकर 94.86 करोड़ किया है तो जो यह घाटा है इसको प्रदेश की जनता को देना होगा । तो मैं निवेदन कर रहा था . . .

(लाल बत्ती जलने पर)

माननीय, अभी तो मेरा समय है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है ।

श्री मित्र सेन--

धन्यवाद, माननीय, वह तो चलता ही रहा है । जो बजट पेश किया है उसमें गरीब जनता को उठाने की कोई गारंटी देनी चाहिए थी ताकि उसको भी कोई उपलब्धि होती । जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं उनके बारे में भी कोई गारंटी नहीं दी गई है ।

माननीय, ये असमानता को दूर करने की बात करते हैं । 30 वर्ष की हुकूमत में असमानता को बढ़ाने वाला कौन है, इसका मुल्जिम कौन है । आज भी कह रहे हैं कि हरिजनों की बस्तियों में 10 प्रतिशत ज्यादा ट्यूबवेल्स की सुविधा देंगे । मैं अमेठी की बात कर रहा हूं । सिर्फ एक धान की फसल होता है, अमेठी क्षेत्र में और वह ट्यूबवेल एरिया है ही नहीं । सबसे ज्यादा ट्यूबवेलों का कान्ट्रैक्ट दिया गया है । ये असमानता पैदा करते हैं, मिटाने वाले नहीं हैं । इसी क्षेत्र में नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लीजिये, गरीबों की शिक्षा कैसे होती है और बड़ों की शिक्षा कैसे होती है । न्याय पद्धति में भी जिनके पास पैसा होता है उन्हीं को न्याय मिलता है और जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको सजा हो जाती है, वे न्याय व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं । असमानता का सबसे बड़ा रोग जो पाला है, वह इन्होंने पाला है । मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1981-82 का बजट नीति विहीन है । इतना ही नहीं बल्कि कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है, उन्हें कोई भी सुविधा इससे उपलब्ध नहीं हुई है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री सोभांग प्रकाश--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 1981-82 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मुझे दुख है इस बात का कि यह विरोध पक्ष इस बजट का विरोध तो बहुत कर रहे हैं लेकिन इन्होंने कोई सुझाव ऐसा नहीं दिया कि अगर हमारी कोई गलती हुई है या हमारा बजट गलत है, तो क्या सही है और क्या सही किया जा सकता था, कैसे यह बजट बनाया जाय। मैं यह समझता हूं कि इतना अच्छा बजट, बिना कर लगाये, जो वित्त मंत्री ने दिया है, उसका हृदय से धन्यवाद देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मुझे दुख है कि कल नेता, विरोधी दल बोले और उससे थोड़ी देर पहले झगड़ा भी हुआ, तो नेता, विरोधी दल ने यह चाहा कि माननीय मुख्य मंत्री जो भी मौजूद हों और तब हमने यह सोचा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में पता नहीं क्या सुझाव दें और जब मुख्य मंत्री जी आए तो मान्यवर, हमें आश्चर्य हुआ कि बजाय कोई सुझाव देने के यह कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी पैदल क्यों चले, दुकानों पर छापा क्यों मारा गया आदि। इस पर मुझे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक कहानी याद आती है कि एक सियार था, जो हर बात का विरोध ही करता रहता था, उसकी आदत थी कि वह शहद पीता था और मधुमक्खी की पिंडी में मुंह देकर शहद पी लिया करता था। एक बार उसने बर्रों के छत्ते में मुंह डाल दिया, तो बर्रों ने उसे काट काटकर उसका मुंह सुजा दिया। इस पर उसने कहा--

औव्वल ये हिट्टी जित्ता नहीं,

अगर जित्ता तो पिंडी पित्ता नहीं।

तो मान्यवर, जब ये सत्ता में थे तो प्रधान मंत्री की बुराई करते रहे और कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। आर्थिक स्थिति इस देश की कम कर दी औद्योगिक स्थिति कम कर दी। इसे कृषि प्रधान देश मानते हुए, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी के प्रधान मंत्री होते हुए जो परिस्थिति खड़ी की ऐसी स्थिति में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को यह देश मिला था, जिसे कि दिवालिया और पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की बात आप करते हैं। जब आप हाजी मस्तान को नेता बना रहे थे, सुन्दर डाकू को नेता बना रहे थे, तब क्या था। डाकुओं, बदमाशों को आपने नेता बनाया, आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज भी आप पुलिस को कहते हैं "इनकाउन्टर" किया जा रहा है। जो गलत "इनकाउन्टर" हो उसको मैं मानता हूं। जब कोई डकैत डकैती डालता है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता है, तो इलाज क्या है। सही आदमी के साथ यदि ऐसा बर्ताव किया गया हो तो मैं मानता हूं। यहां तो विरोध हर बात का किया जाता है। यह जनता देख रही है। हम और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। जो रचनात्मक कार्य हैं उन पर सुझाव दें और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध न करें। आज इस बात को कौन नहीं जानता है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि सारे लोग उनके हाथों को मजबूत करें और ऐसा करें जिससे रचनात्मक कार्य हों। क्या आपके जमाने में गन्ना और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलू की बुरी दशा नहीं हुयी, प्याज का क्या हाल हुआ, पंजाब के किसान को कपास और आंध्र के किसान को तमाखू के कारण नुकसान हुआ ।

आप कहते हैं कि डीजल, खाद, ट्रैक्टर के दाम काफी बढ़े हैं लेकिन आपके जमाने में क्या खाद और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी थी। आप जानते हैं कि अरब कंट्रीज तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं, इसलिये डीजल और खाद महंगी हुयी है। यह चीजें हमारे देश में कम हैं, अरब कंट्रीज से आती हैं और वह अगर दाम बढ़ाते हैं तो इन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी । क्या आपने अपने जमाने में इन चीजों की कीमतें नहीं बढ़ायीं ? आपकी चीनी की नीति ने गन्ने की पैदावार को खत्म किया जिससे गन्ना कम पैदा हुआ और चीनी की कमी हुयी । आप लोगों ने 3 रुपये तक गन्ना बिकवाया लेकिन आज 23 रुपये गन्ने की कीमत दी गयी है । हमारे प्रदेश का किसान इस बात को देखता है और कोई हड़ताल के अंदर शामिल नहीं हुआ और मिलें चल रही हैं । मैं एक बात और कहूंगा और विरोधी पक्ष के भाइयों से भी कहूंगा कि वह भी देखें कि हमारा अधिकारी वर्ग कार्यों को सही तरीके से कर रहा है या नहीं । मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अधिकारी वर्ग में इस तरह की भावना पैदा हो गयी है, वह समझते हैं कि हम शासक हैं । उनको याद रखना चाहिये, उनको ध्यान रखना चाहिये कि वह शासक नहीं हैं जनता के सेवक हैं और उनको अपना कार्य ईमानदारी, सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिये ।

मैं अपने क्षेत्र थाना भवन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे पिछड़े क्षेत्र में एक काठा नाला है वहां पर छोटे किसान हैं । बरसात में यह नाला भर जाता है । किसानों का इससे बड़ा नुकसान होता रहा है । मैंने पिछली बार भी इसके बारे में कहा था। सिंचाई विभाग में काठा नाला की योजना के बारे में विचार किया जा रहा है । सिंचाई विभाग निश्चित रूप से इस योजना को बनाये जिससे इस क्षेत्र के किसानों को लाभ हो सके । हमारे यहां बघरा क्षेत्र में एक शुगर मिल की जरूरत है । हमारे जिले में कृष्णा नदी है उस पर दो पुलों के बनाने की जरूरत है । मैंने कई बार मांग की है कि जलालाबाद--लुहारी से और बाबरी से कैंड़ी मार्ग पर पुल बनाया जाय । एक बात को मैं और कहना चाहता हूं । हमारे यहां शामली नगरपालिका में फायर ब्रिगेड की बड़ी जरूरत है । फायर ब्रिगेड न होने से वहां किसानों का बड़ा नुकसान होता है इसलिये मैं वहां फायर ब्रिगेड की मांग करता हूं । धन्यवाद ।

श्री रामधनी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मौजूदा बजट के ऊपर आपने जो बहस करने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । उपाध्यक्ष जी, मैं पूर्वान्चल के गाजीपुर के जनपद से आता हूं जहां पर शेरपुर नामक पहला कांड हुआ और जिस कांड को सुनकर दुनिया के सारे देशों के लोगों के रोंगटे खड़े हो गये थे, मैं उस जनपद से आता हूं । मौजूदा बजट जिसकी सत्तापक्ष से बहुत तारीफ की गयी है मेरी समझ से यह बजट किसान विरोधी के साथ-साथ मजदूर, श्रमिक विरोधी है, यह गरीब और साथ-साथ हरिजन विरोधी बजट भी है । मान्यवर, मेरी समझ से यह बजट बिल्कुल दिशाहीन है ।

मान्यवर, इस बजट में प्रशासन की बड़ी तारीफ की गई है । मैंने देखा और सुना है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में और मौजूदा बजट में मेरी समझ से सारी बातें कल्पना की हैं । प्रशासन के सम्बन्ध में मैं जनपद गाजीपुर की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर आज भी जेल में देखा जाय तो 30-40 आदमी जिनके बायें पैर तोड़े गये हैं और वह जेल में बन्द हैं । वह लोग पिछड़ी जाति के

[श्री रामधनी---]

और गरीब हैं । इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि गाजीपुर पुलिस जो हमेशा फरेबी और झूठे मुकदमों में गरीब लोगों को फंसाती है जिसका ज्वलन्त उदाहरण नन्दगंज थाने का देना चाहता हूं । वहां का दरोगा 2 बड़े खेती करने वाले लोगों को, जिनके नाम हैं राम जी सिंह और राजेन्द्र सिंह, शाम 6 बजे थाने में बुलाकर, जो मोटर साइकिल से आये, जबरदस्ती फर्जी मुकदमों में बन्द कर दिया और जब वहां के लोगों को पता लगा कि उन दोनों को आज पुलिस इनकाउन्टर करेगी तो 8 बजे शाम के बीच में उस थाने में 500 आदमी इकट्ठा हो गये और दरोगा को जब यह पता चला कि इन काउन्टर नहीं हो सकता है तो उन दोनों को जेल में भेज दिया । तो प्रशासन की यह हालत है ।

जहां तक मान्यवर, बजट में राजस्व की बात है तो इसमें हमने देखा है कि आसामी पट्टे का प्राविधान कर दिया गया है । मेरी समझ से उसमें गरीबों की भलाई नहीं है क्योंकि आसामी पट्टे से गरीबों का भला नहीं हो सकता है क्योंकि गांव का प्रधान आज यदि किसी व्यक्ति को पट्टा करता है तो कल किसी को कर सकता है, 3-5 साल से अधिक वह पट्टा नहीं चल सकता है । ऐसी स्थिति में मैं एक संशोधन देना चाहता हूं कि यदि पट्टा ही करना है जमीन का तो मुस्तकिल तौर से सीरदारी का पट्टा करना चाहिए । हमने देखा है कि पट्टा बंजर जमीन का होता है या जो कागज में ताल और गड्ढे दर्ज हैं और खेती लायक नहीं है उनका पट्टा कानूनन नहीं हो सकता है । इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए कि मौके

(इस समय 3 बज कर 13 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

पर यदि जमीन खेती लायक है तो उस जमीन का पट्टा अवश्य होना चाहिये, ऐसा मेरा विचार है ।

मान्यवर, हमने बजट में उद्योग धंधों की बात सुनी लेकिन बजट में छोटे और गरीबों के लिए उद्योग धंधे नहीं हैं । हमारे यहां सैदपुर तहसील में हमने देखा है कि छोटे लोगों के ऊपर भी 30 रुपये महीने का टैक्स लगा दिया गया है । यह बिल्कुल अन्याय उनके साथ किया गया है । गाजीपुर में साइकिल के ऊपर टैक्स लगा है जो कि गरीबों से आप टैक्स लेते हैं । इसी के साथ ही खोन्चे वालों पर भी टैक्स लगा है । इसी तरह पूरे गाजीपुर जनपद में गन्ना पेरने वाले कोल्हू पर जो छोटे किसानों द्वारा चलाये जाते हैं उन पर भी टैक्स लगा है जो 50 रुपये था लेकिन अब संशोधन हुआ है ।

मान्यवर, डिप्टी एस० पी० गाजीपुर सदर का प्रचार बढ़ा है कि सारे लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाओ और फंसा कर उनको मारो ।

मान्यवर, अब मैं चकबन्दी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । बजट में देखा है कि चकबन्दी का कहीं नाम नहीं आया है, उसकी हालत है कि सैदपुर तहसील में शुरू में चकबन्दी की गयी और छोटे-छोटे चक किये गये हैं । तीन और पांच चक बनाये गये हैं । मेरा इसमें संशोधन है कि इस पूरे सैदपुर तहसील की चकबन्दी हो जानी चाहिये क्योंकि वहां पर दो बड़ी नहरें जा रही हैं । एक देवकली नहर और दूसरी शारदा नहर । जो चक रोड खाली पड़े हैं उन पर नमाम नालियां बनती जा रही हैं । एक पर्सनल व्यक्ति की जमीन है उसमें भी नालियां बनती जा रही हैं । इसलिए वहाँ पर चकबन्दी का होना बहुत जरूरी है ।

चकबन्दी होगी तो किसी पर्सनल व्यक्ति की जमीन में नालियां नहीं बन पायेंगी। चकबन्दी होगी तो सार्वजनिक हित में जमीन ली जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में हरिजनों की बात कहना चाहता हूं जिनकी आप बहुत ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं। हरिजनों के बच्चों को स्कालरशिप नहीं दिया जाता है। स्कालरशिप की जब बात आयी है तो मैं यह कहता हूं कि जब इम्तहान करीब आते हैं तब स्कालरशिप दी जाती है। मेरा सुझाव है कि स्कूलों में स्कालरशिप तीन किश्तों में दी जानी चाहिये एक जुलाई-अगस्त में, दूसरी अक्तूबर-नवम्बर या दिसम्बर में और तीसरी मार्च और अप्रैल में दी जानी चाहिए। परीक्षा के समय स्कालरशिप देने से कोई फायदा नहीं होता है। इन्टरमीडिएट और बी० ए० में जो स्कालरशिप मिलती है उसकी विशेष आवश्यकता तो है। स्कूल में जो दर्जा 8, 9 और 10 में जो स्कालरशिप मिलती है वह गरीब बच्चों को हरिजन के बच्चों को देनी चाहिये। हरिजन के बच्चों को हाई स्कूल तक स्कालरशिप बराबर मिलनी चाहिए। इन्टरमीडिएट और बी० ए० में स्कालरशिप की आवश्यकता है परन्तु हाई स्कूल में भी हरिजनों के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए जरूरी है।

पिछले वर्षों में जो स्कालरशिप पिछड़ी जातियों के लिए दी गयी, वह उन तक नहीं पहुंचा। मैं चाहता हूं कि निकट भविष्य में कोई न कोई निर्णय करके स्कालरशिप पिछड़ी जाति के बच्चों को, हरिजन के बच्चों को दी जानी चाहिए. हमने इस बारे में कई बार लिखा परन्तु हम लोगों को आज तक कोई जवाब नहीं मिलता है कि उसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है।

अब मैं कारागार की बात पर आता हूं। कारागार के ऐक्ट में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। जो ऐक्ट 1938 का प्रीजनर्स रिलीज ऐक्ट बना हुआ है अंग्रेजों के जमाने का, वही चला आ रहा है। उसके बाद बस थोड़ा सा संशोधन हुआ है, बाकी वैसे के वैसा ही चला आ रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके बाद तमाम ऐक्ट बनाये गये हैं, कारागार ऐक्ट में भी संशोधन होना चाहिए।

अब मैं मुसहर लोगों की बात पर आता हूं। मुसहर लोगों पर फर्जी मुकदमा बना कर उनको बन्द कर दिया जाता है। ये बेचारे गरीब आदमी, बिल्कुल निर्दोष होते हैं। उनको फर्जी मुकदमों में फंसा कर दफा 109 में फर्जी मुकदमा दायर किया जाता है और बन्द कर दिया जाता है। ये बेचारे मैला उठाते हैं, सबसे घृणित काम उन्हीं लोगों से लिया जाता है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ इस बजट का विरोध करता हूं जो श्रमिकों, गरीबों, मजदूरों और हरिजनों के खिलाफ यह बजट है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री माधव प्रसाद—

वर्तमान बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने सम्मानित सदन के समक्ष पेश किया है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने जो यह बजट पेश किया गया है, उसे किसी ने कहा कि यह कोरा कागज है, किसी ने यह कहा कि यह किसान विरोधी है, किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह हरिजन विरोधी है, किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह मजदूर विरोधी है। मान्यवर, यह 62 सौ करोड़ का बजट जो हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें हम विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने विगत वर्षों में हरिजनों के लिए कौन सा तथा कितना

[श्री माधव प्रसाद---]

बजट रखा था ? हमारे मुख्य मंत्री जो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हरिजनों के लिए 28 करोड़ की जगह 119 करोड़ का सबसे बड़ा बजट इस सत्र में रखा है । मान्यवर, किसानों के लिए जहां तक बजट का सवाल है, इस सम्मानित सदन के समक्ष विदित है कि तीन और चार रुपये के गन्ने के भाव थे वे आज 22 और 23 रुपये किए गए हैं । जो विगत सरकार का दूना है । माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि चार करोड़ रुपये जो हमारे सफाई मजदूरों के शेष थे उसका एलान सदन के समक्ष 3 तारीख को किया है । जो भुगतान कर दिया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हरिजनों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी का कोटा पूरा किए जाने की बात कही है ।

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र फैजाबाद मंडल के ला एंड आर्डर के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । सम्मानित विपक्ष के सदस्यों ने यह कहा कि यह सरकार कानून और व्यवस्था में बिल्कुल फेल है और कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है । मैं आपके माध्यम से अपने मंडल के कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं । जब आप सत्ता में थे उस समय 1979 की तुलना में डकैतियां 386 से घट कर 286 हमारे सरकार के समय में हुई, लूट 448 से घट कर 430 हुई चोरी की घटना 4105 से 3700 रह गई, धारा 109 और 110 में जो फर्जी फौजदारी के मामले होते थे उनकी बिल्कुल कमी है, 178 मुठभेड़ों में 704 डकैत पकड़े गये और 48 जान से मारे गये । तो श्रीमन्, यह जीता जगता प्रमाण है । विपक्षी दल के सदस्यों ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमियां हैं । हमारी शिक्षा मंत्री जी ने अभी विगत दिनों में यह कहा है कि तीन वर्ष में आनर्स की डिग्री दे देंगे ।

मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहता हूं अपनी सरकार से कि बेसिक प्राइमरी शिक्षा संस्थायें जो हैं वहां पर टाट पट्टी नहीं है । इस बात से नहीं नकारा जा सकता है । हमने अपने क्षेत्र में घूम कर देखा 90 प्रतिशत प्राइमरी पाठशालाएं ऐसी हैं जहां पर टाट पट्टी नहीं है । इसलिए बेसिक शिक्षा की जो संस्थायें हैं, प्राइमरी संस्थायें हैं उनमें टाट पट्टियां भेजी जाय जिससे समुचित बैठने का प्रबन्ध हो सके । मेरे क्षेत्र में मान्यवर, दो प्लान्ट्स हैं---एक गन्ना मिल है और दूसरा सुहावल विद्युत् पावर हाउस है । सुहावल विद्युत् पावर हाउस जिला फैजाबाद में है । श्रीमन्, वह 30 वर्ष पुराना है । तीस वर्ष पुराना होने के कारण उसके चार बायलरों में से दो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं । इसलिए उसकी क्षमता जो 15 मेगावाट था वह घटकर डेढ़ और दो मेगावाट हो गई थी । श्रीमन्, इधर वह 6 और 5 मेगावाट चल रही है जब वह नई थी और जिस समय चलती थी उस समय उसकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट थी और उस पर 1.5 मीट्रिक टन कोयला खपत होता था । आज जब वह डेढ़ और दो मेगावट विद्युत् पैदा करने लगी तब भी उसमें 1.5 मीट्रिक टन कोयला लगता है । इस तरह से कोयले की खपत तो उतनी ही हुई लेकिन उत्पादन क्षमता में कमी आ गयी । मैं माननीय विद्युत् मंत्री से कहना चाहता हूं कि सुहावल विद्युत् पावर हाउस के जितने भी बवायलर्स हैं उनको ठीक करा दिया जाय जिससे उसकी विद्युत् क्षमता बढ़ सके ।

हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा कि निर्बल वर्ग के लोगों के लिये यह सरकार घातक है । अभी 10 नवम्बर, 1980 को उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन

विधयक आपके समक्ष आया था जिसमें तालाब, पोखरे, मछली पालने के लिये मछुये और धोबियों के तालाब निश्चित कर दिये गये हैं कि उन्हीं को वे एलाट कर दिये जायेंगे । दूसरे सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि थी उसका आबंटन गरीब वर्गों में किया जायेगा । तीसरे अगर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति 3 1/8 एकड़ से कम जमीन रखता है और वह 1 जून, 1975 से उसमें काबिज है तो उसको आसामी मान लिया जायेगा । इस तरह से गरीब मजदूरों और किसानों के लिये हमारी सरकार जमीन देने के लिए दृढ़ संकल्प है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हरिजनों के लिए जो 18 प्रतिशत कोटा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में किया गया है उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं कि यह 18 प्रतिशत का कोटा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में 2/3 सालों के अन्दर अनुसूचित जातियों के लिये पूरा करके उसे समाप्त कर देना चाहिए और जो प्राइवेट संस्थायें हैं जैसे विद्यालय हैं, इन्टरमीडिएट कालेज हैं, जूनियर विद्यालय हैं और ऐसे अन्य विद्यालय हैं उनमें कम से कम एक हरिजन व्यक्ति क्लर्क के रूप में रख दें जिससे हरिजन छात्रों को छात्रवृति समय से मिल सके । इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इस 1981-82 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री ने 36 पृष्ठों का लम्बा-चौड़ा भाषण पढ़ा । इस बजट में प्रदेश की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है । प्रदेश में गरीबी, महंगाई, साम्प्रदायिकता, अशांति और अव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उसको दृष्टि में रखते हुए यह बजट दिशाहीन है, थोथा है, लक्ष्यहीन है । मान्यवर, ओझा जी ने सही कहा है कि यह बजट किसान और मजदूर विरोधी है । मान्यवर, हर बजट में हर क्षेत्र को कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है और उसको देखते हुये मेरे क्षेत्र और मेरे जनपद को क्या-क्या प्राप्त हुआ है ? उसने क्या खोया है क्या पाया है ? उसके बारे में मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरठ और मुजफ्फरनगर में दो नदियों पर एक योजना बनायी गई । ये नदियां हैं कृष्णी और हिन्डन । यह सिंचाई परियोजना थी । उस क्षेत्र का जल स्तर 85 फिट तक नीचे चला गया । 15-16 साल से यह योजना चल रही थी । इस सरकार द्वारा परियोजना को समाप्त कर दिया गया । जिससे मेरा ख्याल है बीसियों गांव प्रभावित होंगे और लाखों आदमी इन गाँवों में रहते हैं ।

एक और योजना 6 ब्लाकों के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, एकीकृत परियोजना प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने बनाई थी जिसमें 6 पिछड़े हुए ब्लाक लिये गये थे, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के दर्जनों अधिकारी वहां गये थे । जनपद मुजफ्फरनगर के कर्धला शाहपुर और बुढ़ाना और मेरठ के बड़ौत, छपरौली और बिनौली ब्लाक्स शामिल थे । यह योजना साढ़े चार करोड़ रुपयों की थी जो समाप्त कर दी है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार निश्चितरूप से किसान विरोधी है, पक्षपात पूर्ण है । परियोजना इस सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया ।

तीसरी परियोजना जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं वह यमुना नदी पर पुल की है । मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक कोई पुल यमुना नदी पर नहीं था । दो वर्ष पहले बागपत के पास मेरठ जिला में नेथला गांव के पास इस पुल की आधार-शिला रखी गयी और उस पुल का नाम वहां के एक अमर शहीद, जो 1857 में मारे गये, जिनको वहाँ के नबाब ने कोल्हू में पिरवा-दिया था, जिनका नाम दादा श्यामल है, उनके नाम से रखा गया था । उस परियोजना को भी समाप्त

[श्री नरेन्द्र सिंह--]

कर दिया गया । मान्यवर, पिछले माह दिसम्बर में 19 तारीख को मेरठ में सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक रखी थी । वहां के लोग बड़े खुश थे, हम लोकदल वाले भी खुश थ कि कैबिनेट मीटिंग यहां होगी तो मेरठ को कुछ मिलेगा । हाई कोर्ट का बेंच मिलेगी, फर्टिलाईजर प्लांट मिलेगा लेकिन उसके बदले हमें मिला क्या वह बता दूं ? एक तो मेरठ का सर्किट हाउस बदल गया, उसके कालीन बदल गये, उसका व्हाइट वाश हो गया, सरकारी मीटिंग के लिए सरकिट हाउस दुलहन की तरह सजा दिया गया । मीटिंग नहीं हुई ।

दूसरी प्राप्ति मेरठ को यह हुई कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की जहां-जहां से सवारी गुजरने वाली थी केवल उन सड़कों के गड्ढे भर दिय गये । तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि 20 दिसम्बर को बड़ौत में स्वर्गीय संजय गांधी की स्टेच्यू का अनावरण किया गया । यह खुशी की बात है । लेकिन शर्म की बात यह है कि अगले ही रोज से उस मूर्ति को कांटों के बाड़ में चारों तरफ से घेर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया है । मूर्ति पर चौबीसों घंटे पुलिस का पहरा रहता है । स्वर्गीय संजय गांधी की आत्मा माननीय मुख्य मंत्री से अवश्य पूछेगी कि मृत्यु के बाद मनुष्य को पूर्ण मुक्ति मिलती है तो उनको क्यों बन्द किया गया है । मैं इसे कोई कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूं । वहीं पर पास में ही एक मूर्ति स्वर्गीय नेहरू जी की 20 वर्षों से लगी है, नेहरू जी के नाम से वह सड़क बनी है । उसी के 50 गज दूरी पर यह स्वर्गीय संजय गांधी की मूर्ति है । तो एक उपलब्धि हमारी यह है बन्द मूर्ति देखकर शर्म हमें आती है । सरकार पक्षपात पूर्ण ढंग से काम कर रही है । जो हमारे जनकल्याण की योजनायें थी उनको भी समाप्त कर दिया ।

आज एक सवाल उठा था । आज 5 तारीख को सारे मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल के कई जिलों से हाई कोर्ट की मांग को लेकर बोट क्लब पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है । आपको विदित है कि पिछली विधान सभा में आप भी सदस्य थे । अधिष्ठाता महोदय, उस समय सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके भेजा था मई, 79 के महीने में, और दिसम्बर, 76 में भी जब श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, प्रस्ताव भेजा था कि हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बननी चाहिये । केन्द्र सरकार को यह संस्तुति भेजी थी, 79 में जब श्री एन0 डी0 तिवारी नेता विरोधी दल थे उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया था । मुख्य मंत्री जो यहां पर नहीं हैं उन तक हमारी भावना पहुंचा दें कि यह सरकार इसके लिए सक्षम है, यू0 पी0 हाई कोर्ट एमलगमेशन आर्डर, 1948 के सेक्सन 14 के अन्तर्गत उसमें सेक्शन की आवश्यकता नहीं है बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय से मुख्य मंत्री बेंच खोल सकते हैं । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस जायज मांग को वर्षों से ठुकराया जा रहा है, लोगों की उपेक्षा की जा रही है । यह केवल मुट्ठी भर इलाहाबाद के वकीलों की जिद के कारण नहीं करना चाहते हैं । इस विधान सभा ने सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार को यह संस्तुति भेजी है, किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया था । अगर इसकी उपेक्षा की गयी तो इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, मुख्य मंत्री जी तक पश्चिमी जिलों के लोगों की यह भावना पहुंचा दें ।

यहां पर एक बात और कहना भी समीचीन होगा कि 3 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बागपत कांड की जांच कमीशन की रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत की और बड़े घमन्ड के साथ उन्होंने कहा कि जो विरोधी दल

के लोग हैं वह चाहते थे कि सी0 आई0 डी0 इनक्वायरी हो और हमने जुडिशियल इनक्वायरी कराई । लेकिन इसका श्रेय उनको नहीं जाता है क्योंकि इस घटना के होने के कई दिनों बाद माननीय राजेन्द्र सिंह जी और कई विधायक जो यहां थे और हमारे दल के दो तीन संसद सदस्यों ने, इसके लिये, मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की थी, और कहा था कि आप इसमें पुलिस के दोषी लोगों को वहां से तुरन्त हटा दें तो वहां पर सारा मामला शान्त हो जायगा, खाली ट्रांसफर कर दें तो ठीक हो जायगा । मान्यवर, उनके ट्रान्सफर भी नहीं किये गये । इसके अतिरिक्त इस सरकार ने क्या किया ? इसके अलावा मान्यवर, उस घटना के बारे में आप देखें । केन्द्र सरकार तथा इस सरकार को अधिकारियों के कथन के ऊपर सदन को गुमराह किया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

किस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं ? एक एस0 पी0, सी0 आई0 डी0 का ट्रान्सफर इसलिए किया गया कि उसने सत्ता पक्ष की बात नहीं मानी । उसका स्थानान्तरण दिल्ली किया गया और फिर दिल्ली से केरल किया गया । डी0 आई0 जी0, श्री कक्कड़ का ट्रान्सफर किया गया । झूठे केसेज सैकड़ों लोगों पर लगाये गए । यहां तक कि मेरे ऊपर भी झूठे केसेज लगाये गये । अन्तर्गत 307 आई0 पी0 सी0 के दो केस मेरे ऊपर चल रहे हैं । मैं कोई जैनी तो नहीं हूं लेकिन मान्यवर, मैंने जानबूझ कर आज तक कोई चींटी भी नहीं मारी है । लेकिन मेरे ऊपर यह केसेज चलाये जा रहे हैं और मुझे जिला अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र से ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स हैं इसलिए उन्हें यह केसेज रजिस्टर करने पड़े । इस सम्बन्ध में शासन को शर्म आनी चाहिये । यह मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई फखर करने की बात नहीं है । यह कमीशन की रिपोर्ट उनके शासन की सबसे शर्मनाक रिपोर्ट है । मान्यवर, अगर लोकदल इस आवाज को नहीं उठाता तो त्यागी पर डकैती का मुकदमा चलता ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं । आपका समय समाप्त हो गया । (पुनः बोलने पर) अब यह कुछ लिखा नहीं जायगा ।

श्री बिहारी लाल--

श्रीमन्, मैं उस क्षेत्र से आया हूं, जो क्षेत्र आधा तराई का लगता है और आधा क्षेत्र पहाड़ का लगता है । श्रीमन्, आपने बड़ौत चर्चा सुनी बागपत की और मुरादाबाद की । अब पहले एक चर्चा मैं कर दूं नैनीताल की नैनीताल एक ऐसा शहर है कि जिस शहर में जगह-जगह से और विदेशों से तथा पूरे हिन्दुस्तान से टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं । मान्यवर, वहां पर दो सिनेमा हाल हैं, एक स्केटिंग हाल है, तीन रेस्टोरेन्ट हैं । जिस वक्त लोकदल की सरकार थी तब से इनका किराया केवल 22 हजार रुपया है जब कि उनकी मेन्टिनेंस पर 40 हजार रुपये साल की लागत है । मैं चाहूंगा कि पब्लिक के माध्यम से, जनता के माध्यम से इसकी जानकारी होनी चाहिये व इसका नीलाम होना चाहिये । मेरा क्षेत्र है शक्ति फार्म, जो पिछड़ा क्षेत्र है ।

[श्री बिहारी लाल--]

मैंने पिछले सत्र में, सन् 1980 के हाउस में भी मैंने निवेदन किया था कि वहां एक सड़क ऐसी है, जहां नकुलिया पुल बनाना है। उस सड़क पर पुल न होने से बहुत कठिनाई का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। श्रीमन्, एक बात मैं यह कहूंगा कि अभी मुरादाबाद की चर्चा हुई, बागपत की चर्चा हुई। एक चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त जनता सरकार थी तत्कालीन मुख्य मंत्री बनारसीदास जी ने और अन्य मंत्रियों ने क्या किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उस वक्त का। उस वक्त तत्कालीन वन मंत्री और न्याय मंत्री जो थे उनके यहां 10 हजार रुपये साल का आलू नहीं होता था। आज उनके यहां 2 लाख का आलू होता है। 10 एकड़ जमीन में पूरा वन्यीकरण करा लिया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इरीगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा एक बहुत बड़ी डिग्गी बना ली गयी है, इसकी भी जांच हो रही है।

पिछली बार भी मैंने इसी सदन में चर्चा की थी कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी श्री राम नरेश यादव जी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया था। यहां पर दोनों पक्षों की ओर से हरिजनों की बड़ी दुहाई दी जाती है। श्री राम नरेश यादव जी ने एक किताब जिसका नाम "कुमाऊं का इतिहास" का विमोचन किया था। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके बारे में जानकारी करायें और इन्क्वायरी करायें। वह किसी अधिकारी को नहीं मिली है। मैं उस पुस्तक को लाया हूं और आपके माध्यम से इस सदन को देना चाहता हूं। बड़े-बड़े लेक्चरार्स का काम क्या है। उनका काम लेक्चर देना होता है। इस पुस्तक में सबसे पहली बात यह लिखी हुयी है कि हरिजन राजकीय पदों के योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। जनता पार्टी की सरकार में भी हरिजन मंत्री थे और आज भी हैं। इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी हरिजन लड़का किसी सवर्ण हिन्दू जाति की लड़की से शादी करता है तो उसको सजा मिलेगी और उसकी सारी सम्पत्ति जब्त हो जायेगी और अगर किसी हिन्दू जाति के लड़के ने हरिजन जाति की लड़की से शादी कर ली तो कानून समाज से उसका बहिष्कार किया जायेगा। हमारे माननीय बिष्ट जी जो कि पिथौरागढ़ से चुनकर आये हैं उनसे और अन्य माननीय सदस्यों से जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रार्थना करूंगा कि वे भी चर्चा करें। इसमें लिखा हुआ है :

"सोर हराम खोर बाप भड़ुए बेटी में तौर"

सोर की नाली कत्यूर को माणौ जैई की जैठुली खसम जैनानो।

आगे इसमें लिखा है कि :

"बाप भड़ुए हैं और बेटी मायके रहा करती है"

यह इस पुस्तक के पृष्ठ 5 पर लिखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

इस पुस्तक में जो काबिले एतराज बात थी, वह आपने पढ़ दी।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक की जांच करायें और दोषी व्यक्तियों को सजा दें और इसको जब्त करायें । हमारे विरोध पक्ष के लोग जो हरिजनों के लिए बहुत चिल्लाया करते हैं, उनके ही समय में यह लिखी गयी जिसका विमोचन भी तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव ने किया । जब वे नैनीताल आये थे तो हमने उनसे कहा था जिस भाव आये हो उसी भाव जाओगे । मान्यवर, यह उन्हीं की देन है कि आज ये पुस्तकें यूनिवर्सिटी, डिग्री कालेज में लगी हुयी हैं । मेरी प्रार्थना है कि इसे सरकार तुरन्त जब्त करे और सम्बन्धित व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं एक सफाई चाहता हूं....

एक सदस्य--

मैं इस पुस्तक का नाम जानना चाहता हूं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जो इसमें इतनी आपत्तिजनक बातें हैं, उनके कारण क्या इस किताब को जब्त किया जाएगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, किसी भी सदस्य को कुछ भी बोलने का हक है, तो क्या कोई सदस्य इतिहास की जो कोई पुस्तक है, उसको उद्धृत कर सकता है, जिसमें उस पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम न बताया जाए और क्या वह इसका उल्लेख उसके बारे में बिना आपकी उसको जानकारी दिये हुए कर सकता है ?

श्री बिहारी लाल--

इस पुस्तक का नाम है--"कुमाऊं का इतिहास" और इसके लेखक हैं--श्री अशोक वैष्णव और इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय राम नरेश यादव । और कुछ भी आप जानना चाहते हैं ? इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो हरिजनों के बारे में कोई बात आपको करने को अधिकार नहीं है । यह घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसका विमोचन भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने किया है, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मनुस्मृति में भी जो ऐसे ही आपत्तिजनक स्थल आए हैं तो क्या उस पुस्तक को भी जब्त किया जाएगा ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसका उन्होंने स्वयं जवाब दे दिया । अब आप बैठ जाइये ।

श्री बिहारी लाल--

"सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आयेगी नहीं कभी आपके इन थोथे तथ्यों से।" हरिजन सदस्य यहां भी हैं और वहां भी हैं। मैं मोहन सिंह जी से कहूंगा जो एक अच्छे सदस्य हैं, वह अपने माध्यम से इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ कर देखें और मैं देखूंगा कि इसमें आप अपनी तरफ से क्या कार्यवाही करते हैं। मैं इस हाउस को किताब पेश करता हूं और मैं चाहूंगा कि इसी सत्र में इस पुस्तक को जब्त किया जाए।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि गरीबों की मदद करने की, हरिजनों और निर्बल वर्ग की तरक्की के लिये बहुत सारी बातें कहीं गई। इसे आज ही नहीं कहा गया, सन् 71 में भी कहा गया था। उस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस समय प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि सारे विरोधी दल के लोग मुझे हटाना चाहते हैं और मैं देश की गरीबी हटाना चाहती हूं। और उसके बाद उन्होंने जनता से पूछा कि अब आपके फैसला करने की बात है कि किसको हटाना जरूरी है। मान्यवर, इस बात को मैं प्रसंगवश कहना चाहता हूं, जनता ने गरीबी को हटाना जरूरी समझा और उसने प्रधान मंत्री को भारी बहुमत से विजयी बनाकर दिल्ली की सल्तनत पर बिठाया। लेकिन क्या गरीबी हटी? आज भी गरीबों की तरफ की और विकास के लिए बात कही गई, लेकिन मैं सत्ता पक्ष से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या अन्त्योदय योजना से भी बढ़िया कोई नीति या योजना इस सरकार के पास है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1971 में विजयी होने वाली इस देश की प्रधान मंत्री ने देश के गरीबों को, भूमिहीनों को एक पैसे का कर्ज देने का काम नहीं किया। मान्यवर, बहुत सीधा-सादा प्रश्न है। मान्यवर, एक पैसे का कर्ज देने का काम वास्तव में नहीं किया, सिर्फ बराबर नारा लगाती रहीं और जनता पार्टी ने गरीबी हटाने के सम्बन्ध में गरीबों के विकास के लिये, निर्बल वर्ग के विकास के लिए, अन्त्योदय योजना तथा पेट पलने के लिए खाद्यान्न योजना चलाई कि गरीबी दूर की जा सके। लेकिन उसको आज इस शासन ने रोक रखा है। मान्यवर, यह बहुत सीधा प्रश्न है। इस शासन के पास क्या इसका कोई सबस्टीट्यूट है? कोई सब्स्टीट्यूट नहीं है। केवल गरीबी की बात कही जा रही है, लेकिन गरीबी के लिए, गरीबों की तरक्की के लिये कोई भी बजट में स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, 50 प्रतिशत वसूली आज गरीबों के लिए अन्त्योदय में दी गई ऋण की अदायगी उन के द्वारा कर दी गई। मान्यवर, इतनी बड़ी रिकवरी कभी भी नहीं हुई है। यह जो गरीबों के लिए ऋण दिया जा रहा है, मान्यवर, यह पैसा जो है। मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूं कि बिलकुल इसका दुरुपयोग भी नहीं हो रहा है। जिस माध्यम से यह ऋण दिया जा रहा है, उसकी अदायगी हो रही है विकास खण्ड से, इसके आंकड़े मंगाये जा सकते हैं। मान्यवर, यह साफ जाहिर है कि उन गरीबों में जो नीचे तबके के हैं अगर 5-5 आदमियों को विकास के लिए उनको ऋण दिया गया होता तो आज 5 वर्षों में 25 परिवार हर गांव में लाभान्वित होते।

मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो जगह-जगह काम हो रहा था, जो मंडी समिति के माध्यम से जो ये जा रहे थे, वह आज बन्द पड़े हैं। मान्यवर, एक भी कदम ऐसे कारगर नहीं उठाये जा रहे हैं जिससे कि यह माना जाय कि ग्रामीण अंचल में विकास की नीति इस शासन की कारगर होगी। आज आप देखें

खाण्डसारी उद्योग । माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया कि हमारी यह व्यवस्था है, 50 प्रतिशत लेवी लगा दी गयी । मान्यवर, 50 प्रतिशत लेवी लगाने का, मतलब होगा कि इससे खण्डसारी उद्योग में भारी क्षति होगी साथ ही 10 लाख इस उद्योग में लगे लोगों का नुकसान होगा और इससे खाण्डसारी उद्योग के उद्योगपति लोग अपना उद्योग नहीं चला सकते । मान्यवर, हरियाणा ने भी इसको अभी लागू नहीं किया । महाराष्ट्र ने नहीं लगाया, मध्य प्रदेश ने केवल 25 प्रतिशत लगाया तथा हरियाणा ने भी नहीं लागू किया । अन्य प्रदेश की सरकारों ने भी अभी इसको लागू नहीं किया, लेकिन यह सरकार केन्द्र के प्रति इतनी वफादार है और खण्डसारी उद्योग पर सारी संकट लाकर खड़ा कर दिया । मान्यवर, बड़े-बड़े उद्योगपति एवं विदौलिये जब चीनी बड़े भाव में बेच सकते हैं, तो इस प्रदेश के जो खाण्डसारी उद्योगपति हैं वे क्यों न लाभ उठायें । यह बहुत बड़ा अहम प्रश्न है । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो 50 परसेंट लेवी की नीति है इसे तत्काल वापस लें अन्यथा खांडसारी की हालत दिन प्रति दिन दयनीय होती जायगी और गन्ने के विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

इसके अलावा आज पुलिस की कारगुजारी पर सदन में बहुत चर्चा हुई । अभी हाल में शासन की तरफ से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये उनसे यह ज्ञात होता है कि जनता पार्टी के शासन काल में जितनी हत्यायें हुई उससे ज्यादा सत्ता पक्ष के शास काल में हुई । लेकिन शासन ने स्पष्ट रूप से डकैती के मामले में अफसरों को निदेशित कर दिया है कि डाके को वह 379 में परिवर्तित कर दें और इस प्रकार एक षड़यंत्र के रूप में यह किया जा रहा है । हत्यायें इसलिए ज्यादा बढ़ी हैं कि कत्ल को डाके की तरह परिवर्तित नहीं किया जा सकता । कुव्यवस्था इतनी फैली हुई है और अराजकता फैली हुई है कि पुलिस द्वारा पीपीगंज गोरखपुर में छात्रों पर दिन दहाड़े गोलियां चला कर उनको दवा के लिये गोरखपुर तक आने का मौका नहीं दिया जा रहा है । अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

*उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

श्रीमन्, बजट भाषण पर जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । नेता विरोधीदल ने गवर्नर एड्रेस तथा बजट दोनों पर सरकार के खिलाफ एक चार्ज शीट पढ़ी और हर जहाज पर उसे निकम्मा ठहराया (एक आवाज = ही है) उनकी बात मान भी लें तो भी एक फ्रंट पर हम कहीं ज्यादा मजबूत हैं और वह है हमारे दल ने इस प्रान्त व देश में मजबूत सरकार दी और इस फ्रन्ट पर हम कामियाब हुई हैं इसमें दो राय नहीं हो सकती ।

श्री मोहन सिंह--

एमरजेंसी के डर से इधर से उधर गये ।

श्री नियाज हसन खां--

अब तो कोई डर नहीं है आप भी इधर आ सकते हैं । दुनिया में कहीं भी देख लें जहां सरकारें ज्यादा उथल्ती पुथलती रहती हैं वे देश गिरते ही जाते हैं । फ्रान्स में जब तक डिगाल की सरकार नहीं आई तब तक वहां तरक्की नहीं हो सकी थी । उसी प्रकार हमारे दल ने इस देश और प्रदेश में 24, 25 साल तक मजबूत सरकार दी और उसकी यह देन है कि दूसरे मुल्कों के मुका ले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नियाज हसन खां--]

हम सर ऊंचा करके चल सकते हैं और मजबूती से हमने दूसरे गुटों का मुकाबला किया है और उनको शिकस्त दी है। यह हमारे दल और हमारी नीति तथा इतिहास की देन है। उसके बाद 24/25 वर्षों के बाद हमारे प्रदेश में एस0 बी0 डी0 सरकार आई जिसको हम अपने शब्दों में 'चू-चू का मुरब्बा' कहते हैं।

डाक्टर धर्मपाल--

आप भी घटक के रूप में शामिल थे।

श्री राज कुमार राय--

ये उसके भागीदार थे, इसीलिए अच्छी तरह से बता सकेंगे।

श्री नियाज हसन खां--

हमारे मित्र धर्मपाल जी को गलतफहमी हो रही है। मैं एस0 बी0 डी0 सरकार में कभी नहीं रहा।

डाक्टर धर्म पाल--

घटक के रूप में शामिल थे। आप अध्यक्ष थे।

श्री त्रिवेनी--

क्या माननीय सदस्य को पोल खुलने का डर हो रहा है, इसीलिए परेशान हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

आप इस बात को कैसे इनकार करेंगे कि हमारे नेता ने मजबूत सरकार दिया है।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, स्पष्टीकरण चाहता हूं। सफाई चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

क्या सफाई चाहते हैं ? कृपया बैठ जायं।

श्री नियाज हसन खां--

उसके बाद एस0 बी0 डी0 सरकार आई। भानुमती का पिटारा फूटा और वह बह गई। आप तीन वर्ष तक गद्दी पर विराजमान रहे। मान्यवर, हमने सुना है कि कुर्सी की लड़ाई के लिए जो कुछ हो जाय, कम है। लेकिन कुर्सी भी गई, जनाजा भी निकल गया और अब दफन हो रहे हैं।

श्री कुबेर भंडारी--

आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कुर्सी पर हैं। इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी व्यवस्था के पहले उन्होंने बोलना शुरू किया ।

श्री कुबेर भंडारी--

[× × ×]

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, यह भी कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कुबेर जी, आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सके । यह नहीं लिखा जायेगा । कुबेर भंडारी जी की कोई बात नहीं लिखी जायेगी । उन्होंने व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था की बात कही है ।

श्री नियाज हसन खां--

जो हाल हुआ उसको देखा । उसका कारण क्या है ? मान्यवर, मैं बड़ी नम्रता पूर्वक अपने विरोधी दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इसका एक इतिहास है और उस के नेता की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । क्या वजह है कि आप 5 साल के लिए चुनकर आये थे और 3 साल में ही हट गए ? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता । इतिहास देखिए । पंत जी आये, तो उनसे भी नाराज । सम्पूर्णानन्द जी आये, तो उनसे नाराज । गुप्ता जी आये, तो उनसे नाराज । कृपलानी जी आयीं, तो उनसे नाराज । कमलापति जी आये, तो उनसे नाराज । यहां तक कि अपने से भी नाराज होकर अपनी सरकार गिरा दी । एस० बी० डी० की सरकार हमलोगों ने नहीं गिराई ? अपने से नाराज होकर गिरा दी । न जनता ने सरकार गिराई और न हमने ।

डाक्टर धर्मपाल--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया इस तरह की बात न कहें ।

श्री लोकपति--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय सदस्य को कुछ आचार संहिता की बात बता दें अभी नये-नये आए हैं । इनको झूठ शब्द न ही कहना चाहिए असत्य कहना चाहिए ।

डाक्टर धर्मपाल--

झूठ को असत्य में बदल दिया जाय ।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

कार्यवाही में नोट नहीं होगा । आपने व्यवस्था गलत उठाई है जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोलेंगे उनके शब्द नोट नहीं होंगे ।

श्री नियाज हसन खां--

आप भी जनता के सामने गए और हम भी जनता के सामने गए जनता ने देखा कि हम मजबूत सरकार दे सकते हैं । हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि दैनिक जीवन की चीजें, ला एण्ड आर्डर वगैरह वगैरह । कीमत आप चाहते हैं कि 3 साल का कोढ़ 3 महीने में धुल जाय । अमेरिका को अपने 54 बन्धकों को छुड़ाने के लिए 444 दिन लगे अमेरिका जैसे देश को । मैंने कहा कि जिस समय आपने शासन छोड़ा उसका जनाजा निकाल दिया और अब कफन के लिए लड़ रहे हैं ।

श्री विद्या सागर कौशियाल--

माननीय मंत्री जी अपनी तुलना अमेरिका से न करें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं, आप बैठें ।

श्री नियाज हसन खां--

रफ्ता-रफ्ता हमारी सरकार इस पर काबू करेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी ने फिर तुलना किया जनता सरकार की और अपनी सरकार की । मैंने कल कहा था कुछ आंकड़े रखे थे उस समय मंत्री जी थे नहीं । जनता सरकार क्या छोड़कर गई थी उसके विपरीत बताये तो अच्छा रहेगा खाली एक्सटेम्पोर बोलने से अच्छा नहीं होगा ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य खामोश रहें ।

श्री कुबेर भंडारी--

उद्योग पर बोलते रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

सामान्य बजट पर भी बोल सकते हैं और उद्योग पर भी बोल सकते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मंत्री इन्टरवीन कर सकता है । मंत्री अपने विभाग और सरकार की उपलब्धता के बारे में बताते हैं । राजनीतिक भाषण नहीं करते हैं । आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री किसी भी समय बजट भाषण पर बोल सकते हैं एक सदस्य के नाते । इसलिए आप इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं ।

श्री त्रिवेनी--

मोहन सिंह जी कर चुके हैं ।

श्री निथाज हसन खां--

हिन्दू-मुसलमान के झगड़े के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं गईं । मैं सहमत हूं इस बात से कि इससे बढ़कर देश और प्रदेश के लिए शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती । इससे ज्यादा शर्मनाक, अफसोसनाक कोई चीज हो नहीं सकती मगर हमारे और आपके कर्त्तव्य क्या हैं । चाहे हमारे हिन्दू भाई हों या मुसलमान, चाहे पुलिस हो या सरकार, सूझबूझ से काम लेना चाहिए । इस तरह का कोई घाव देश पर अगर लगेगा तो देश कमजोर होगा । आप क्या चाहते हैं देश कमजोर होता रहे ? अतः जोश और खरोश से काम नहीं लेना चाहिए, मिलकर आग को बुझाना चाहिए न कि उसमें और पेट्रोल छिड़का जाये ।

जहां तक मजहब का संदेश है, हमारे प्राफेट, पैगम्बर, रसूल जब अपना प्रचार करने चले तो जिस गली से गुजरते थे, एक स्त्री, औरत उन पर कचरा फेंक देती थी । जब वह अपनी मस्जिद या घर में पहुंचते थे तो कपड़ा उतार कर गंदगी को साफ करते थे । रोज यह वाकया होता था । एक दिन वह कचरा उन पर नहीं पड़ा तो उन्होंने अपने दोस्त को भेजा कि जा कर देखे कि क्यों आज कचरा नहीं फेंका गया । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है तो हमारे पैगम्बर वहां गये और दरवाजा खटखटाया और कहा कि तुम बीमार हो और हम तुमको देखने आये हैं । यह सब हमको पढ़ाया गया है । अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक सेमिनार हुआ, क्षमा किया जाये, मैं उस हैसियत से नहीं बोल रहा हूं और हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि जितने धर्म हैं वह वैसे ही हैं जैसे एक मुजैक के फर्श को बनाया जाता है उसमें हर तरह के पत्थर और नगीने लगे होते हैं । यह महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की देन है कि इस देश में गणतन्त्र लागू किया और हर शख्स को यह हक दिया कि बराबर के वोट होंगे और जब तक हिन्दुस्तान में गणतंत्र है मुसलमान अपने भाइयों से कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे और जब आपने यह महसूस कर लिया कि ये बैलेंसिंग पावर हैं, तब से आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । इस लिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा जोश व खरोश से इस मामले में काम न लिया जाये ।

(व्यवधान)

कई सदस्य--

यह काफी देर से बोल रहें हैं, किस हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्षा--

जिस तरह से दूसरे दलों के नेताओं को 25 मिनट दिया जाता है उसी तरह से मंत्रि परिषद् के मेम्बरों को भी 25 मिनट दिया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं तो चाहता हूं कि आप मुख्य मन्त्री की हैसियत से बोलते तो हमारे मसले भी हल हो जाते ।

श्री नियाज हसन खां--

हमारा मुख्य मन्त्री तो इतना चमकदार है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता ।

श्री अधिष्ठाता--

नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिए कोई समय सीमा नहीं होती ।

श्री नियाज हसन खां--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कुछ हमारे साथियों ने...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शान्त बैठें ।

श्री नियाज हसन खां--

तो श्रीमन्, कुछ हमारे साथियों ने उर्दू की भी चर्चा किया । मैं इन चीजों की इसलिये चर्चा कर रहा हूं कि यह न कहें कि नियाज खड़ा हुआ और इन चीजों की चर्चा हुई नहीं, क्योंकि वह सरकार में है । यह वह भाषा है जिसको पैसा खर्च करके लोग सुनने जाते हैं । क्या यह कभी मिट सकती है, कोई मिटा सकता है इसे लोग पैसा खर्च करके सिनेमा में सुनने जाते हैं । 26 जनवरी को जब कमेन्टरी हो रही थी तो वहां इकबाल का तराना सुनाया जा रहा था, तो किस भाषा में सुनाया जा रहा था । हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति है जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि यह वह भाषा है जिसको सुनने के लिय लोग पैसा खर्च करके जाते हैं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, ये मुफ्त सुना रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है ।

(4 बज कर 20 मिनट) ।

श्री नियाज हसन खां--

मैं तो आपको सुना रहा हूं, बिना पैसे वाली बात । तो मैं यह अर्ज कर रहा था श्रीमन् कि यह वह भाषा है जिसे कोई मिटाना चाहे तो भी नहीं मिटा सकता ।

मान्यवर, कुछ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी चर्चा की गयी । कोई सरकार चाहे आपकी हो या हमारी हो जहां यूनिवर्सिटी का मामला है वहां सोचती है और समझती है कि इसमें सुधार होना चाहिये । मगर जहां ला ऐन्ड आर्डर का सवाल आ जाता है वहां मजबूरन सरकार को यह कदम उठाने पड़ते हैं । ऐसी कोई मिसाल नहीं दी गयी कि ऐसे शान्तिपूर्ण तरीके से यूनिवर्सिटी को बन्द कराया गया हो । यूनिवर्सिटी के लड़के भी और वहां के जिले के प्रशासन ने भी इसमें काफी मदद की । इतने शान्तिपूर्ण तरीके से इसको हल किया गया है । हमारे गुप्ता जी ने इस मसले को उठाया। मैं तो बड़ा खुश हूं कि कभी-कभी हमारी गिरती हुई नब्ज पर भी हाथ रख दिया करें । तो मैं चाहता हूं यूनिवर्सिटी वाले हों या सरकार हो, मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करें

जल्द से जल्द यह मामला खत्म हो और यूनिवर्सिटी चले। एक बात तो आप मानेंगे कि बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी में इम्तहानात नहीं हो रहे थे, यह हमारी सरकार का प्रयास है कि जो हो रहे हैं। अब वह चाहे नकल से हो रहे हों या असल से हो रहे हों।

अब आप यह देखें कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक सुन्दर बजट पेश किया। इतनी तो दाद दी होती कि टैक्स कोई नहीं लगाया। आपके सामने पे कमीशन की रिपोर्ट आयी। 67 करोड़ का भार है और दुर्भाग्य यह कि कोई खुश नहीं है।

एक सदस्य--

नहीं, सब खुश हैं।

श्री नियाज हसन खां--

अगर सब खुश हैं, तो धन्यवाद।

अब आप देखें, हमारी सरकार ने, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान की पैदावार का कीमत बढ़ाइये। तो दोनों काम कैसे होंगे। यह कैसे संभव है। हमारी सरकार ने जो गन्ने के दाम दिये हैं उतने कभी नहीं दिये गये थे। आप जब भी कभी एक चीज का दाम बढ़ायेंगे तो दूसरी चीजों की कीमत बढ़ेगी। दुनिया में सोने की कीमत बढ़ती है तो जितनी चीजें हैं सबकी कीमत बढ़ेगी। एक जमाना था कि सोना मिडिल ईस्ट और अरब कन्ट्रीज से स्मगल किया जाता था और अब उल्टा हो रहा है अब सोना यहां से जा रहा है। यह गंगा हम बहा रहे हैं गुप्ता जी ?

डाक्टर धर्मपाल--

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह तस्करी करवा रहे हैं सोने की।

श्री नियाज हसन खां--

उसी तरह से आप देखें नान नेशनलाइज्ड रूट्स पर जो सड़कें या रास्ते नेशनलाइज्ड नहीं हुये हैं, राष्ट्रीकरण नहीं हुआ है हमने उन पर इजाजत दे दी है कि अपनी बसेज चलावें। दूसरी चीज आप देखें, पहली मर्तबा खांडसारी पर हमारी सरकार ने हाथ रखा है। क्षमा कीजियेगा जो सरकार थी, वह डरते रहे या तो उनकी जेब गर्म होती रही या वोट का खतरा था इसलिये खांडसारी पर हाथ नहीं रखा। लेकिन हमारी सरकार ने खांडसारी के ऊपर नियन्त्रण लगाया है ताकि शक्कर आपको उपलब्ध होती रहे। यही नहीं उनके मोलेसेस के ऊपर भी नियन्त्रण लगा दिया गया है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उद्योग हमारे यहां लगें तो उनको मोलेसेस की आवश्यकता होगी। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने लाल बत्ती पहले से दिखा दी है इसलिये इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैं बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बजट किसान विरोधी है इस बजट में गांव के

[श्री जमुना प्रसाद--]

विकास के सम्बन्ध में कुछ बातें नहीं कही गयीं हैं । मान्यवर, हमारा देश भारत किसानों का देश है । जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है तब तक इस देश का विकास नहीं होगा । जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक यह देश और प्रदेश खुशहाल नहीं होगा । मान्यवर, यह सरकार किसानों के लिये तमाम खुशहाली की घोषणायें करती है लेकिन आज हम देखते हैं कि बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है ।

गतवर्ष में सूखा और बाढ़ सम्बन्धी दैवी आपदाओं से पीड़ित किसानों को आज खाद नहीं मिल रही है बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसे ऊंचे दामों पर मिलती है । इस बाजार में यूरिया का दाम 125-130 रुपया बोरी है । यही नहीं गत वर्षों में लगभग स्थगित की गयी लगान भी जोरों से वसूल की जा रही है । इस समय भीषण वर्षा और बाढ़ से प्रदेश त्रस्त था लेकिन सिंचाई नहर से न करते हुये भी किसानों से सिंचाई वसूल की जा रही है ।

मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र बाराबंकी जिले में दरियाबाद सामान्तर शाखा है उसके किनारे हजारों एकड़ भूमि सीपेज से डूबी है । रबी की बोआई नहीं हो पायी है लेकिन उसमें सरकार का ध्यान नहीं गया है । मैं चाहता हूं कि उस नहर में बेड लाईनिंग करा दी जाय जिससे नहर का सीपेज बन्द हो जाय और नहर के किनारे से फसल बोई जा सके ।

मान्यवर, अब मैं निर्माण के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक स्थान है मजगवां शरीफ । वहां एक मखदूम शेख सारंग की मजार है, जहां देश और विदेश से हजारों आदमी आते हैं । मेला वहां प्रतिवर्ष लगता है । वहां बाराबंकी-फतेहपुर मार्ग पर कुतलूपुरसे मजगवां शरीफ तक एक लिंक रोड गयी है जोकि पक्की नहीं है । पिछली सरकार ने मंडी समिति द्वारा खड़ंजा उस पर बिछाया था । इस सड़क पर सरकारी बस जाती है इसलिये हमने शासन से मांग किया था कि इसको पक्का करा दिया जाय लेकिन बस उसी खड़ंजे पर जाती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि उस सड़क को अविलम्ब पक्का कराया जाय ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, अब मैं परिवहन बसों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । बाराबंकी में बस स्टेशन है । वहां पर बुकिंग नहीं होती है । यह क्यों ऐसी व्यवस्था है जबकि प्रदेश की राजधानी से बस वहां जाती हैं और वैसे ही खड़ी रहती हैं क्योंकि बुकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी भागते रहते हैं । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय और बुकिंग की उचित व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । प्राथमिक शिक्षा जो मूलभूत शिक्षा की इकाई है उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है । मान्यवर, जो भवन बने हैं वह जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं । बरसात में पानी गिरता है तो बच्चे पेड़ों के नीचे भागते हैं । अक्सर होता है कि तमाम घटनायें होती हैं और बच्चे मर जाते हैं लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है । मैं प्राइमरी पाठशाला टेढ़वा में अध्यापक था । वह स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है । वहां से मैं चला आया हूं लेकिन वहाँ दूसरे अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है । इसलिये मैं एक सदस्य के नाते मांग करता हूं कि वहां पर एक अध्यापक

की नियुक्ति की जाय । वहां एक जूनियर हाई स्कूल भी है जिसके भवन के निर्माण की शतवर्ष व्यवस्था थी लेकिन ग्रामीण अभियन्ता के यहां प्रस्ताव उसका रखा है और अभी तक उसके निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

अन्त में मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री भागीरथ––

आज जो आपने प्रथम बार सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसका मैं बड़ा आभारी हूं और मैं अपने मौरानीपुर, जिला झांसी जनपद से बुन्देलखंड की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं । बुन्देलखंड का जहां तक प्रश्न है वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है । झांसी जिले में मेरा क्षेत्र मौरानीपुर है जहां पर 126 गांव हैं । उन 126 गांवों में सिंचाई की सुविधा नहीं है । वहां पर डेढ़ लाख एकड़ भूमि अंचित है । इसका सर्वे कभी नहीं किया गया है । इस बारे में सरकार से कई बार लिखा–पढ़ी भी की गयी है, वहां पर नलकूप लगाने के बारे में कहा गया । वहां पर नलकूप लगाने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वहां पर जो नहर निकली है वह बहुत छोटी है और कम एरिया में है जिससे कम एरिया में सिंचाई होती है, इसका विस्तार किया जाय । वहां पर बांध बनवा कर... ।

डाक्टर धर्म पाल––

मान्यवर, वह देखिये वह पढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं ।

एक सदस्य––

यह प्रथा तो आपके नेता विरोधी दल ने डाल ही दी है ।

श्री भागीरथ––

मैं तो अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारा जहां पिछड़ा एरिया है, हमारा बुन्देलखंड जो कभी उन्नति नहीं कर पाया, वह हमारा जिला है । हमारा पिछड़ा क्षेत्र बुन्देलखंड कभी किसी चीज में आगे नहीं बढ़ पाया । मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वह जल्द से जल्द प्राविधान करके वहां की भूमि को सिंचित करने में सहयोग करे । मैं बड़ा आभारी हूं कि जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री सन्त बख्श रावत––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने जो मौजूदा आय–व्ययक पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । लखनऊ जनपद में मोहनलाल गंज मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है । श्रीमन्, मेरे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में 50 फीसदी हरिजन परिवार रहते हैं जिनको जीविका का कोई साधन नहीं है । मान्यवर जब–जब किसी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, मोहनलाल गंज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मोहनलाल गंज क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं लगा है । कोई भी योजना उसके लिये कभी बजट में नहीं रखी गयी जिससे वहां के लोगों के रहन–सहन का स्तर उठे, ऐसी कोई योजना वहां के

[श्री सन्त बख्श रावत--]

लिये नहीं रखी गयी है । हमारे क्षेत्र में शारदा सहायक परियोजना निकली है जिसके सीपेज के कारण वहां के अनेकों परिवारों को कष्ट उठाना पड़ रहा है । सीपेज के कारण जमीन बरबाद हो रही है । सीपेज के परिणाम स्वरूप वहां प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये की हानि हो रही है । मैंने कई बार माननीय सिंचाई मंत्री जी को लिख कर दिया किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अविलम्ब सीपेज को समाप्त करने के लिए सीपेज ड्रेन बनाई जाय तथा किसानों का क्षति पूर्ति करने की कृपा की जाय ।

हमारे क्षेत्र में स्कूलों का अत्यन्त अभाव है । जब से उत्तर प्रदेश में तथा केन्द्र में कांग्रेस (आई) सरकारें आई हैं पूरे जिले में भेदभावपूर्ण अनुदान का वितरण या जो भी ऋण जिले में आवंटित किया जाता है उसे भेदभावपूर्ण तरीके से वितरित किया जाता है । हमारे क्षेत्र में जो अनुदान का वितरण हुआ है उसे जानबूझ कर कांग्रेस (आई) के लोगों को दिया गया है । कांग्रेस(आई)के लोगों ने जिनको बताया उन्हें दिया गया । जो पात्र व्यक्ति था उसको कोई अनुदान नहीं दिया गया । इसी तरह से स्कूलों का जो अनुदान आवंटन हुआ, नये विद्यालय खोलने की जो बात है, उसमें जानबूझ कर उन्हीं क्षेत्रों में स्कूल खोले गए जिन क्षेत्रों के बारे में कांग्रेस के विधायकों ने कहा । हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की गई । इस प्रकार से अनेकों समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं । हरिजन उत्थान के लिए जो शासन की ओर से सहायता की बात की जा रही है, ग्रामीण एकीकरण योजना के अन्दर सहायता की बात की जा रही है उससे हरिजनों को समुचित रूप से कोई सहायता नहीं मिलती है । जो अनुदान तथा ऋण दिया जाता है उसमें तीन हजार रुपए कोआपरेटिव की तरफ से लिए जाते हैं और दो हजार रुपए देने की बात की जाती है । ऐसी ऐसी भैंसे लोगों को दिलाई गई हैं जो एक बार बिया जाने के बाद दूसरी बार बिया नहीं सकती । ऐसी स्थिति में गरीबों के स्थिति क्या सुधरेगी आप सहज अन्दाजा लगा सकते हैं ।

मेरे क्षेत्र से पुरानी शारदा कैनाल निकलती है जिसके पानी में तेल होने के कारण बहुत से क्षेत्र असिंचित रह जाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि शारदा सहायक परियोजना से इस क्षेत्र को पानी दिया जाय क्योंकि शारदा कैनाल से पानी नहीं मिल पा रहा है । इस प्रकार हमारे क्षेत्र में अनुदान की भी व्यवस्था की जाय और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गोसाईगंज और मोहनलालगंज में एक उद्योग अवश्य लगा दिया जाय । इस बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम कुंवर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत ही आभारी हूं कि मुझे भी चन्द मिनटों के लिए इस सामान्य बजट में बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, मैं जिस जिले से आया हूं वह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में से एक है । मैं जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आया हूं उस क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है । आज 35 वर्ष होने के बाद भी उस क्षेत्र

में सिंचाई का साधन केवल एक ट्यूब बेल है । वहाँ एक भी बिजली का बल्ब आज तक नहीं लगा है । वहां सड़क केवल 6 किलोमीटर बनी है । वहां अस्पताल एक भी नहीं है । अब ऐसी परिस्थिति में मैं अपने सरकार से यह चाहूंगा कि उस क्षेत्र की तरफ अवश्य ध्यान देकर वहां की सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करे ।

जहां तक इस बजट का सवाल है, हम किसान ह आज उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 80 प्रतिशत किसान गांव में रहता है चाहे वह किसान हो या कृषक मजदूर हो । इस परिस्थिति में मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा बल तो किसानों की तरफ देना चाहिए । आज महंगाई के जमाने में किसान की हालत बहुत खराब है । सरकार ने बजट में इधर ध्यान भी दिया है लेकिन मेरे ख्याल से यदि हमारे विरोधी दल के साथी सहमत हों तो सबसे ज्यादा ध्यान किसानों की सुविधा की तरफ देना आवश्यक है क्योंकि उनकी दशा सबसे ज्यादा खराब है । जो मिल मालिक हैं उनकी हालत खराब नहीं है, थोक व्यापारियों की, फुटकर व्यापारियों की हालत खराब नहीं है, इस प्रदेश का बोझ उन गांव में रहने वाले कृषक और कृषक मजदूरों पर पड़ रहा ह । इस स्थिति में मेरा ख्याल है कि दो तीन बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । एक तो कृषि के सम्बन्ध में हर प्रकार की सुविधा दी जाय जैसे खाद पानी, बीज जिससे 80 फीसदी लोगों का विकास हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके । इसके बाद बिजली पर भी ध्यान देना आवश्यक है । इसकी बहुत जरुरत है । बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस गांव में बिजली जाएगी उस गांव में समाजवाद जाएगा । इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । क्योंकि उसके माध्यम से ही सारा विकास चाहे वह गांव के किसानों का हो, उद्योग धन्धों का हो बिजली व्यवस्था गांव–गांव में अधिक से अधिक पहुंचाने की की जाय । तीसरे मैं अपनी सरकार के मुख्य मंत्री और सम्बन्धित मंत्रियों से चाहूंगा कि आज गांव के लोगों का भय दूर करने के लिए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए स्वच्छ प्रशासन की भी आवश्यकता है । इस ओर भी सरकार को बल देना चाहिए । मैं अन्त में फिर कहना चाहता हूं कि जो यह सामान्य बजट 1981–82 का पेश किया गया है उसके पक्ष में बोलते हुए मैं सरकार को उसके लिए बधाई देता हूं कि समाजवादी व्यवस्था में उसमें सबसे ज्यादा झलक दी गई है ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, वित्त मंत्री जी का बजट मदारी का करिश्मा मात्र है जो सच्चाई एवं वास्तविकता से परे है । घाटे का बजट पेश करके सस्ती लोकप्रियता लूटने की इस शासन की पुरानी परम्परा रही है । बजट में सरकार के साहस, ईमानदारी, चतुर्मुखी विकास एवं दृढ़ संकल्प की भारी कमी है । सरकार ने बजट द्वारा लोगों को झूठ आश्वासन दिए हैं । सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके पास राष्ट्रीय आय कितनी है और कितनी वह व्यय कर सकती है । सरकार को जन आकांक्षाओं को बकार में नहीं उभारना चाहिए । वित्त विभाग ने जो बजट के आंकड़े पेश किए हैं वह इस तरह से किए हैं कि वह सामान्य आदमी की समझ के बाहर हैं । मान्यवर, बजट में 2555.45 करोड़ रुपए की आय दिखाई गई है और उस पर जो असली घाटा है वह 260.53 करोड़ रुपए का है । परन्तु वित्त मंत्री जी ने यह करिश्मा दिखाया है कि घाटा 97.46 करोड़ बताया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

है । उसमें उन्होंने कहा है कि 110.07 करोड़ रुपए की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं उनको सरकारी निगमों और सरकारी विभागों को जो पिछले साल धन आवंटित किया गया है वह धन 31 मार्च तक खतम नहीं हुआ है उस सार्वजनिक लेखे की राशि जो कि ऋण होती है उसमें घाटे को पूरा करने के लिए जोर दिया गया है । मैं वित्त मंत्री से यह भी कह दूं कि सरकार ने जो इस समय 7 महीने के अन्दर बजट पेश किया है उसके पीछे यह राज है कि आपने वित्त विभाग और प्रशासन के कर्मचारियों को बजट बनाने में उलझा दिया है और वह रुपया जिलों में व्यय नहीं हुआ है और उसी रुपए को आपने यहां दिखाया है । आपने जनता को भ्रम में रखा है और उसके साथ धोखा किया है ।

इसके अलावा इस बजट में जो भारी कमी है उससे लगता है कि सरकार खुद तो दिवालिया बन गई है परन्तु उत्तर प्रदेश को भी दिवालियेपन के कगार में खड़ा कर दिया है । सन् 1978-79 में 145.85 करोड़ का रोकड़ शेष था वह घट कर 1980-81 में 131.15 रह गया और 1981-82 में सरकारी कोष शून्य हो गया तो आपने प्रदेश को दिवालिया कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय नेगी जी अब आपका भाषण कल जारी रहेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी की भावना को देखते हुए मैं नियम 51 को ले रहा हूं । नियम 51 में कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिनमें से एक श्री मित्र सेन, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री डबल, श्री भीखालाल जी की लखनऊ में नलों द्वारा मिलने वाले पीने के पानी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण होने से कालरा, पोलियो अपच, खुजली, गैस्ट्रोइनटाटिस रोगों के फैलने के सम्बन्ध में है, श्री अध्यक्ष ने स्वीकृत किया है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत की हैं ।

(4 बज कर 48 मिनट) ।

ग्राम परसूरामपुर जिला बस्ती में कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की साजिस से भू0 पू0 विधान सभा सदस्य श्री सुखपाल पान्डेय को जान से मारने की कोशिश तथा उनके शैडो को कमरे में बन्द होने के लिए मजबूर करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय मुख्य मन्त्री का वक्तव्य होगा ।

वित्त एवं विद्युत मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-1-81 की शाम को थानाध्यक्ष परसुरामपुर को इस आशय की लिखित सूचनाएं प्राप्त हुई कि श्री सुखपाल पान्डेय अपने सहयोगियों के साथ शस्त्रास्त्रों को लिए हुए परसुरामपुर बाजार में घूम रहे हैं तथा बलवा झगड़ा होने और कतिपय व्यक्तियों की जान जाने का भी अंदेशा है । इस सूचना पर थानाध्यक्ष परसुरामपुर अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर

गये । वहां पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि किसान इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री शेष नरायन सिंह तथा प्रधान लिपिक श्री राम तेज पान्डेय भी अपनी सुरक्षा हेतु श्री सुखपाल पान्डेय के विरुद्ध अपने गोल के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं । थानाध्यक्ष के पहुंचने पर कोई व्यक्ति बाहर नहीं मिला । श्री सुखपाल पान्डेय अपने आदमियों के साथ कथित जनता पार्टी के कार्यालय के अन्दर थे तथा दरवाजा अन्दर से बन्द था । थानाध्यक्ष ने दरवाजा खुलवाने का काफी प्रयास किया परन्तु श्री पान्डेय ने दरवाजा नहीं खोला । श्री पान्डेय के साथ उस समय उनके नियुक्त शैडो भी थे और उन्होंने भी दरवाजा नहीं खोला । थानाध्यक्ष ने दरवाजा न खोलने का कारण यह बताया कि श्री पान्डेय के साथ कुछ व्यक्ति अवैध असलहे लिए हुए थे । तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुये थानाध्यक्ष ने अतिरिक्त फोर्स मंगवाली । श्री सुखपाल पान्डेय के आदमी लगभग 10 बजे रात्रि में पुलिस अधीक्षक से मिले और यह सूचना दी कि श्री पान्डेय को घेर लिया गया है और उनकी जान खतरे में है । इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने एक उप पुलिस अधीक्षक को परसुरामपुर के लिए रवाना किया ।

लगभग 11·30 बजे रात्रि में थानाध्यक्ष परसरामपुर को यह सूचना मिली कि श्री सुखपाल पाण्डेय के आदमी शस्त्रास्त्रों को लिए हुए एक बस द्वारा परसरामपुर की ओर आ रहे हैं । इस सूचना पर थानाध्यक्ष ने श्रृंगीनारी के पास इस बस की चेकिंग के उपरान्त अनेक लोगों से लाइसेंसी और अवैध शस्त्रास्त्र बरामद किये और अवैध शस्त्रों के संबंध में धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये ।

पुलिस उप अधीक्षक की श्री सुखपाल पान्डेय से 15/16 जनवरी की रात्रि में मुलाकात हुई थी तथा उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि यदि श्री पाण्डेय चाहे तो उनके संरक्षण में घर चल सकते हैं किन्तु श्री पाण्डेय ने स्वयं अनिच्छा प्रकट की ।

उक्त घटना के संबंध में प्रधानाचार्य श्री शेष नारायण सिंह ने 15-1-81 को थाना परसरामपुर में एक मुकदमा अपराध संख्या 11, अन्तगत धारा 148/342/499 भा0 द0 वि0 बनाम श्री सुखपाल पान्डेय आदि पंजीकृत कराया है परन्तु श्री सुखपाल पाण्डेय ने इस संबंध में कोई भी अभियोग अंकित नहीं कराया है। थानाध्यक्ष परसरामपुर ने दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था हेतु धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत 17 जनवरी, 1981 को कार्यवाही की । इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के शस्त्रों का लाइसेंस निलम्बित करके उन्हें तत्काल थाने में जमा करने के लिए आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिये जा चुके हैं ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो वक्तव्य है उसे पूरा पढ़ने से ऐसा लगता है कि उनको दोनों तरफ से सूचनायें मिली । एक सूचना मिली कि माननीय श्री सुखपाल पान्डेय अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बलवा करने के लिए । दूसरी सूचना उनको यह मिली कि किसान इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य और प्रधान लिपिक भी अपनी सुरक्षा हेतु अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं । यह वक्तव्य पढ़ने से ऐसा लगता है कि थानाध्यक्ष केवल श्री सुखपाल पान्डेय के लिए कथित कार्यालय पर गए और दरवाजा खुलवाने लगे । तीसरी बात इसमें यह है कि यह सूचना मिली कि श्री पान्डेय को घेर लिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस में एक साथ 3 प्रश्न क्यों हो रहे हैं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह]

1--जब श्री सुखपाल पाण्डेय का गिरोह असलहे लिए हुए बलवा करने के लिए आया तो क्या कार्यवाही की गई उसको रोकने के लिए ?

2--उसमें उनका शैडो भी था और शैडो पुलिस का आदमी होता है। सबसे बड़ा गवाह पुलिस के लिए पुलिस का आदमी होता है, उसने क्या रिपोर्ट दी ?

तीसरी बात मान्यवर, मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखने से मना किया और क्या दूसरे दिन श्री सुखपाल पान्डेय ने कोई दरख्वास्त दी ? इन तीनों बातों के बारे में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त--

थानाध्यक्ष ने जो कार्यवाही की, वह दोनों पक्षों के लिए की। वह दोनों जगहों पर गए। इस घटना की पूरी जांच पुलिस अधीक्षक ने की और इसके अलावा यहां से भी, इस सचिवालय से भी कार्यवाही हुई।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस पूरी घटना के दो भाग हैं। पहला यह देखते हुए कि परसरामपुर के थानेदार ने जो कुछ भी कार्यवाही की किसी ने जाकर परसरामपुर के थानेदार को सूचना दी और इसपर उन्होंने कार्यवाही की ? इस स्टेटमेंट से स्पष्ट यह है कि श्री सुखपाल पान्डेय जी का जो शैडो है वह स्वयं सुखपाल पान्डेय के साथ बन्द था और उनकी हिदायत पर ही उसने दरवाजा नहीं खोला, तो जो रिपोर्ट उस उक्त शैडो ने लिखाई है, उसको पढ़कर वह सुनाएंगे ? फिर आगे चला जाये ?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्री सुखपाल पान्डेय की मेरे पास रिपोर्ट है और शेष नारायण सिंह की रिपोर्ट है और शैडो की तो कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

यह सारी घटना एक सिलसिलेवार है और उसका वह अन्तिम रूप था। उसमें उस समय सुखपाल पान्डेय और शैडो दोनों साथ थे। उस घटना के बारे में शैडो ने खुद एक जिम्मेदार कर्मचारी के तौर पर रिपोर्ट लिखाई है, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इसकी जानकारी यदि मंत्री जी के पास नहीं है, तो आप इसको कल के लिए मुल्तवी कर दें, लेकिन जब तक वह बात हमारे सामने नहीं आती तब तक इस पर क्या कहा जाए ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ना तो सुखपाल पान्डेय की चिट्ठी में और न माननीय सदस्य की चिट्ठी में शैडो की रिपोर्ट का कोई जिक्र है। सुखपाल पान्डेय ने जिलाधिकारी, बस्ती को जो पत्र लिखा है, उसमें भी यह नहीं है।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मैं नियोजन मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही थानाध्यक्ष है, जिन्होंने इसी तरह से आज से तीन साल पहले जब वह बरनी चौकी पर पोस्टेड थे नर्वदेश्वर शुक्ल को अपमानित किया था, मारा था और मुकदमा कायम किया था ? और जब वह (मंत्री जी) उस समय नेता विरोधीदल विधान परिषद थे तो उन्होंने उसके भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाकर उसको सस्पेंड कराया था ? उसका रवैया ही है राजनैतिक लोगों को अपमानित करने

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

का, तो इसको जानते हुए क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करने और इस मामले की न्यायिक जांच कराने की वह कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय सदस्य तो मुझे मिले थे सुखपाल पान्डेय के साथ । उसी समय मैंने गृह सचिव को आदेश दिये थे कि वह पूरी इस मामले में जांच करायें और सुखपाल पान्डेय की सुरक्षा व्यवस्था करे । यही आदेश मुख्य मन्त्री ने दिये हैं । उनकी सुरक्षा और जांच के आदेश चले गये हैं । उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है, मुकदमा कायम है और उनकी निष्पक्ष जांच की जायेगी ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट को देखने से ही लगता है कि सारा मामला दबाया जा रहा है और गढ़ा जा रहा है । मैं इसमें सिर्फ दो प्रश्न जानना चाहता हूं, जैसा कि इसमें लिखा है "थानाध्यक्ष ने दरवाजा न खोलने का कारण यह बताया कि श्री पान्डेय के साथ कुछ व्यक्ति अवैध असलहे लिए हुए थे ।" इसमें यहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि-"पुलिस उस अधीक्षक की श्री सुखपाल पान्डेय से 15/16 जनवरी की रात्रि में मुलाकात हुई थी" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उप पुलिस अधीक्षक ने शंडो से यह जानकारी किया या नहीं कि उस समय जब शंडो और सुखपाल पान्डेय जनता पार्टी कार्यालय में बन्द थे, तो उस समय उनके साथ और भी लोग थे या नहीं थे ? दूसरी बात यह है कि इसमें लिखा है कि श्री सुखपाल पान्डेय ने इस संबंध में कोई अभियोग अंकित नहीं कराया है, तो क्या श्री पान्डेय ने पिछले दो साल से बराबर शासन को और जिला प्रशासन को अपने पत्रों द्वारा यह सूचित नहीं करते रहे हैं कि परशुरामपुर के थानेदार से उनको उनकी जान का खतरा है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस प्रकार का पत्र मिला था जिसके ऊपर सचिवालय स्तर से भी जांच हुयी है । उच्च स्तरीय जांच करने और उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक को आदेश भी भेजे जा चुके हैं । उनसे यह भी कहा गया है कि विवेचना निष्पक्ष हो और उनकी सुरक्षा का भी समुचित प्रबन्ध हो लेकिन यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उनके साथ में थे वे भी असलहे लिए हुये थे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या शंडो से यह पूछा गया कि उनके साथ कौन लोग थे और क्या वे असलहे लिए हुए थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

श्री सुखपाल पान्डेय ने 14 जनवरी को एक पत्र लिखा जिलाधिकारी को और उनसे कहा कि स्थानीय थाना अध्यक्ष से उनको खतरा है ? यदि हां, तो उस पत्र पर जिलाधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यह मामला बहुत दिनों से चल रहा था और थानेदार उनको अननेसेसरी परेशान करना चाहता है और जो पत्र पान्डेय जी ने जिलाधिकारी को लिखा उससे वह थानेदार बहुत बौखला गये और 15 तारीख को यह मामला होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौनसा पत्र था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रह्म दत्त---

उस पत्र पर जिलाधीश ने स्वयं पुलिस अधीक्षक को लिखा। जिस पत्र का हवाला माननीय सदस्य दे रहे हैं उस पर आदेश दिए गए कि इस मामले में सारी विवेचना निष्पक्ष रूप से की जाय और उनकी सुरक्षा का भी पूरा प्रबन्ध किया जाय।

श्री रियासत हुसैन---

इस वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 बजे पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सी० ओ० वहां पर गये। उस समय वहां पर उनका शैडो और श्री सुखपाल पान्डेय मौजूद थे। तो क्या शैडो का बयान लिया गया ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जब वे लोग वहां पर गये तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला उस समय शैडो उनके साथ था। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने निष्पक्ष विवेचना और श्री पान्डेय की सुरक्षा के आर्डर दे दिए हैं।

श्री रियासत हुसैन---

क्या शैडो का बयान लिया गया था या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

इस मामले से सम्बन्धित जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं माननीय मंत्री जी उनके उत्तर घुमा फिरा कर जबाब दे रहे हैं। आप मन्त्री जी को निर्देश दें और वे बतायें कि क्या शैडो का बयान लिया गया था। उन्होंने कहा कि शैडो ने दरवाजा नहीं खोला। हो सकता है कि उसने दरवाजा इसलिए नहीं खोला कि कहीं पान्डेय जी की हत्या न हो जाय और वह उस कर्तव्य का पालन नहीं कर पायेगा जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गयी है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर पूरे तथ्य सदन के पटल पर रखवाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष ---

माननीय मन्त्री जी क्या आप इन तथ्यों को उपस्थित कर सकेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त ---

मान्यवर, मैं समझा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष ---

जितनी बात माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा कि शैडो का बयान हुआ और शैडो ने सम्भवतः इसलिए दरवाजा नहीं खोलने दिया कि अगर दरवाजा खुल जाता तो माननीय सुखपाल पान्डेय की जान नहीं बचती और सुरक्षा का जिम्मेदार वह था, इसलिए उसने सुरक्षित कार्यवाही की और दरवाजा नहीं खोला। यह सब बातें तभी साफ हो सकती हैं, जब शैडो का बयान सामने आवे।

ग्राम परसुरामपुर जिला बस्ती में कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की साजिश से भू0 पू0 विधान सभा सदस्य श्री सुखपाल पान्डेय को जान से मारने की कोशिश तथा उनके शैडो को कमरे में बन्द होने के लिए मजबूर करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री ब्रह्म दत्त —

मैं पुलिस अधीक्षक, बस्ती को लिखवा कर भेजवा देता हूं कि शैडो का बयान भी ले लें । तफतीश हो रही है, उसमें सभी का बयान आ जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष —

उन्होंने मांग यह की कि क्या वह बयान आ जाने पर सदन के पटल पर आप उन बयानों को रखेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अवश्य, अवश्य ।

*श्री भीखा लाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कहते है कि शैडो का बयान ले लिया जायगा । मान्यवर, पृष्ठ 2 पर आप देखें, जिस समय थानाध्यक्ष पहुंचे दरवाजा खोलने की कोशिश किया । माननीय पान्डेय जी और शैडो ने दरवाजा नहीं खोला । जब पुलिस उपअधीक्षक गए तो पान्डेय जी से और शैडो से मुलाकात हुई । इसका मतलब दरवाजा खोला गया था । तो क्यों बयान नहीं लिया गया ? मान्यवर, पान्डेय जी का थानाध्यक्ष से झगड़ा है, थानाध्यक्ष उनको मरवाना चाहता है और माननीय पान्डेय जी को खतरा है । क्यों पुलिस अधीक्षक ने नहीं पूछा, अब बयान दिलवाने की जरूरत पड़ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय भीखा लाल जी, आप पूछना क्या चाह रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, वह यह पूछना चाहते हैं ..।

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय मोहन सिंह जी, आप उनके सूत्र का वर्णन तो करेंगे नहीं, वह स्वयं करेंगे ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, उनका फर्ज था,, जब दरवाजा खुल गया, तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा ? अपने फर्ज से वह क्यों मुकर गये ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त —

मान्यवर, जब पुलिस अधीक्षक गये, उन्होंने आफर किया कि आप मेरे संरक्षण में घर चल सकते हैं । वह तो मान्यवर, संरक्षण देना चाहते थे ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने उच्चस्तरीय जांच कराने का आदेश किया, जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को उन्होंने कह दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह]

है । प्रारंभदर्शन से यह सिद्ध हो रहा है कि कार्यवाही दरोगा की एकतरफा है । तो जब तब वह दरोगा वहां पर रहेगा, क्या इस बात की सम्भावना है कि उसके रहते हुए चाहे जितनी भी उच्चस्तरीय जांच करा लें, निष्पक्ष जांच शासन को मिल पायेगी ? इसलिए निष्पक्ष जांच कराने के लिए उस दरोगा को तात्कालिक तौर पर वहां से हटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

मान्यवर, यह मामला बस्ती पुलिस अधीक्षक के विचाराधीन है । वह चाहते हैं, तो वह जरूर वहां से हटाया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष --

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

5 फरवरी, 1981

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 953 पर)

समस्या	स्थिति
1--कच्ची जमीन पर बैठने वाले फुटकर बिक्रेताओं से किराया (तहबाजारी)	1--सब्जी मंडी में तहबाजारी की दरें 13 वर्ष पुरानी थीं। सब्जी मंडी में उत्कृष्ट सुधार कार्यों पर किये गये व्यय को ध्यान में रखते हुए तहबाजारी की दरों का पुनरीक्षण अनिवार्य था।
2--आलू और आलू के बीज की चुंगी की दरें	2--आलू के बीज पर चुंगी की दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।
3--सब्जी मंडी की सफाई व्यवस्था	3--सब्जी मंडी में 5 (पांच) सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिक सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, परन्तु इसकी व्यवस्था हेतु सब्जी मंडी समिति तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा महापालिका को अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा।
4--फलों की चुंगी दरें	4--जन सामान्य द्वारा उपभोग्य (जामुन, आम, पपीता, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, अमरूद आदि) की चुंगी दरें 1.50 रु0 तथा शेष सभी फलों की चुंगी दरें 2.50 रु0 प्रति क्विंटल हैं। यह दरें नियमानुसार जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्धारित की गयी हैं।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 974 पर)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद बहराइच, गोरखपुर, बाराबंकी, देवरिया में कुष्ठ रोग की अधिक व्यापकता को देखते हुये अतिरिक्त कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की गयी थी इन जनपदों में पांच को पूर्व कुष्ठ रोग की व्यापकता निम्न प्रकार से थी तथा इस समय उनकी स्थिति उनके सामने अंकित है :—

	5 वर्ष पूर्व व्यापकता (हजार) प्रति की दर	इस समय व्यापकता की दर प्रति हजार
(1) बहराइच	15/1000	7.98/1000
(2) गोरखपुर	14/1000	4.91/1000
(3) बाराबंकी	13.75/1000	5.82/1000
(4) देवरिया	11.79/1000	5.72/1000

इस समय प्रदेश के जनपद सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, पीलीभीत में कुष्ठ रोग की व्यापकता इस प्रकार से है :—

1—सीतापुर	15.69/1000
2—शाहजहांपुर	10.74/1000
3—पीलीभीत	10.87/1000
4—उन्नाव	7.25/1000

इन जिलों में इस समय कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र नहीं है केवल एस० ई० टी० केन्द्रों द्वारा ही नियंत्रण किया जा रहा है। जो पर्याप्त नहीं है इसीलिये वहां की कुष्ठ पीड़ित जनता को अधिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है अतएवं वहां पर कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, बाराबंकी से यदि अतिरिक्त कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र स्थानान्तरित किये जाते हैं तो वहां की जनता के लिये निम्नलिखित कुष्ठ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध रहेगी, जो वर्तमान स्थिति को देखते हुये पर्याप्त है :—

1	2	3
1—गोरखपुर	1—कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	1
	2—एस0 ई0 टी0 केन्द्र	21
	3—शहरी कुष्ठ केन्द्र	1
	4—रिकान्सट्रूस्टि सर्जरी यूनिट	1
	5—20 शैया युक्त वार्ड	1
	6—कुष्ठ सेवाश्रम	1
2—बहराइच	1—कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	1
	2—राजकीय कुष्ठ अस्पताल	1—64 शैया युक्त
	3—एस0 ई0 टी0 केन्द्र	(14)
	4—शहरी कुष्ठ केन्द्र	1
3—बाराबंकी	1—कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	1
	2—एस0 ई0 टी0 केन्द्र	14
	3—शहरी कुष्ठ केन्द्र	1
	4—लेप्रासी मिशन अस्पताल	1
4—देवरिया	1—कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	1
	2—शहरी कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	1
	3—20 शैया युक्त अस्थायी वार्ड	1
	4—स्वेच्छिक कुष्ठ संस्थायें	4

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 981 पर)

संलग्नक

भारत सरकार से अप्रैल, 1980 से नवम्बर, 1980 तक प्रतिमास प्रदेश को प्राप्त डीजल का आवंटन तथा उसके विपरीत उठान एवं वितरण का विवरण

माह	हाईस्पीड डीजल आवंटन मात्रा (किलो लीटर में)	उठान एवं वितरण मात्रा (किलो लीटर में)
1	2	3
1--अप्रैल, 1980	1,08,900	1,00,454
2--मई, 1980	1,21,000	1,10,923
3--जून, 1980	1,07,420	95,248
4--जुलाई, 1980	1,07,420	74,409
5--अगस्त, 1980	85,547	65,967
6--सितम्बर, 1980	92,324	87,170
7--अक्तूबर, 1980	99,982	98,007
8--नवम्बर, 1980	1,13,740	1,09,800

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 994 पर)

पालिका की वर्ष 1975 से नवम्बर, 1980 तक की वार्षिक आय निम्न प्रकार है :

ऋण एवं अनुदान का विवरण, मदों संहित सारिणी में दिया गया है ।

क्रम सं0	वर्ष	वास्तविक आय	मद	ऋण की धनराशि	अनुदान की धनराशि	मद	ऋण की धनराशि	अनुदान की धनराशि
		रु0		रु0	रु0		रु0	रु0
1	1974–75	10,96,731.37	जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना	1,00,000	..	सड़क निर्माण	..	15,000
			मलोत्सारण	2,00,000	..	,,	..	..
2	1975–76	8,47,412.00	..	..	..	,,	..	40,500
								15,000
3	1976–77	10,58,481.59	..	..	..	,,	..	5,000
4	1977–78	12,50,577.50	..	..	..	,,	..	..
5	1978–79	12,37,130.29	..	..	..	,,	..	40,500
6	1979–80	12,53,336.26	..	..	..	,,	..	..
7	नवम्बर, 80 तक	7,55,659.89	..	..	..	,,	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1019 पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के चौथे गुरुवार के लिये [नियम 38 (2)] के अन्तर्गत पुनः निर्धारित सर्वश्री भगवती सिंह शारद, हरि प्रसाद कुरील तथा गया सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1--क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में वर्ष 1979 मास सितम्बर से लेकर वर्ष 1980 के मास जून तक कितने और किन-किन पेट्रोल, डीजल डीलर्स या पेट्रोल डीजल पम्पों द्वारा चोरबाजारी करने या वितरण में अनियमितताओं के किस-किस अपराध और किस-किस धारा में उनके पेट्रोल डीजल पम्प सील कर दिये गये हैं और उनके लाइसेन्स निलम्बित कर दिये गये हैं ? और अब उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?	1--जनपद उन्नाव में माह सितम्बर, 1979 से जून, 1980 तक की अवधि में निम्न तीन डीजल पम्प सील किये गये-- (1) मेसर्स के0 बी0 फिलिंग सर्विस स्टेशन, शुक्लागंज, उन्नाव । (2) मेसर्स रोकलैण्ड आटोमोटिव्स सर्विस स्टेशन, बाईपास, उन्नाव । (3) मेसर्स उन्नाव फिलिंग स्टेशन, उन्नाव । मेसर्स के0 बी0 सिंह, फिलिंग सर्विस स्टेशन, शुक्लागंज, उन्नाव को दिनांक 29 सितम्बर, 79 को उनके लेखों में अंकित मात्रा से स्टाक में अधिक डीजल पाये जाने के अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत सील किया गया । यह मामला 13 नवम्बर, 79 से चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है । मेसर्स रोकलैण्ड आटोमोटिव्स सर्विस स्टेशन, बाईपास, उन्नाव को दिनांक 9 नवम्बर, 1979 को डीजल की चोरबाजारी करने, अवैध ढंग से डीजल बिक्री करने तथा बिक्री का लेखा-जोखा न रखने के अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत सील किया गया । यह मामला अभी स्थानीय पुलिस के पास विवेचनाधीन है ।

प्रश्न	उत्तर
	मेसर्स उन्नाव फिलिंग स्टेशन, उन्नाव को दिनांक 29 मार्च, 1980 को चोरबाजारी में डीजल बेचने तथा बिना लेखा-जोखा में प्रविष्ट किये डीजल का स्टाक रखने के अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में सील किया गया। यह मामला अभी स्थानीय पुलिस के पास विवेचनाधीन है।
	जहां तक लाइसेन्स निलम्बन का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत डीजल बिक्री हेतु कोई लाइसेन्स देने का प्राविधान नहीं है अतएव उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स निलम्बन का प्रश्न नहीं उठता।
	अजीत सिंह सेठी, राज्य खाद्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—7 विधान सभा—4-6-81—835—(पी०डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा